खण्ड–491, अंक–5
मंगलवार, 4 अग्रहायण, शक संवत् 1936
(25 नवम्बर, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र, 2014)

(खण्ड 491 में 5 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2014

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रदेश सरकार के मुखिया श्री मुलायम सिंह जी द्वारा सरकार की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाने विषयक सूचना को सर्व प्रथम सुने जाने की मांग ...	7
किसानों के साथ ज्यादती एवं पुलिस फायरिंग में हताहत हुए विषय को सुने जाने की मांग	7
प्रश्नोत्तर	7-48
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	48-50
परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ में कार्यरत वरिष्ठ सहायक, लिपिक संवर्ग की पदोन्नति कार्यालय अधीक्षक अथवा प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद पर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	50
जनपद शाहजहांपुर के कतिपय ग्रामों में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	51
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला में गौ-वंशीय पशुओं को काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	51
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वद्यिालय द्वारा छात्र-छात्राओं से करोड़ों रुपये अवैध वसूले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	51-52
कानपुर महानगर के यशोदा नगर एवं गोपाल नगर में पेयजल संकट के निवारण हेतु ओवरहेड टैंक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52
लखनऊ शहर के व्यस्ततम बाजारों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52-53
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर से निकलने वाले गन्दे नाले की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	53
जनपद आगरा में मोतीकुन्ज लोहा मण्डी की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53-54
यू0पी0 बार्डर फोर लेन मार्ग के निर्माणाधीन कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54
मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा मोदीपुरम् तिराहे के पास निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के ठेके के आवंटन में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	54-55

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद इलाहाबाद में विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55
जनपद बदायूं की नगर पंचायत आलापुर के अध्यक्ष द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55
मथुरा शहर के मुर्गा फाटक (डेम्पियर नगर) पर फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55-56
जनपद बुलन्दशहर के जिलापूर्ति कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56
प्रदेश में मा0 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष एवं विधायक निधि से मिलने वाली धनराशि की औपचारिकताएं पूर्ण करने में विलम्ब होने पर चिकित्सालयों द्वारा अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56-57
जनपद चित्रकूट के संयुक्त चिकित्सालय में सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्ति किये जाने एवं खराब उपकरणों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57
आगरा ग्रामीण विधान सभा के क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57-58
जनपद पीलीभीत के कतिपय ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58-59
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड से जल निगम पेयजल योजना अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के निर्माण कार्य में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59
उ0 प्र0 के विभिन्न जनपदों में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59-60
जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा अन्तर्गत दितौनी बांध के रैम्प का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	60
जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में स्वीकृत राजकीय इण्टर कालेजों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	60-61

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सीतापुर अन्तर्गत फल पट्टी क्षेत्र में संचालित ईंट-भट्ठों को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61
वाराणसी नगर निगम द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता और मानकों की घोर अनदेखी किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61-62
जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुफ्तीगंज में पीड़ित किसान परिवार को नियमानुसार कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना की नहर पटरियों पर सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62-63
जिला सहकारी बैंक के वर्ग-4 के कर्मचारी के अर्जित अवकाश को सेवा पुस्तिका में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	63
प्रदेश के गृह, पुलिस अनुभाग की सेवा नियमावली की विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63-64
जनपद फिरोजाबाद के कतिपय क्षेत्रों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	64-65
गाजियाबाद के इन्दिरापुरम् में रामलीला मैदान हेतु भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	65
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में प्रस्तावित 11 परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65-66
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सिद्धार्थनगर परतापुर में जर्जर सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66
जनपद मिर्जापुर के विरोहिया पिकअप वीयर एवं जलाशय के बांध का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66-67
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली की विभिन्न तहसीलों में शादी व बीमारी व अनुदान योजना के हजारों लम्बित प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	67
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कतिपय मार्गों पर मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	67768
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	68

विषय	पृष्ठ-संख्या
कानपुर नगर में 12वीं पंचवर्षीय योजना की बैठक सत्र के समय बुलाये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास	68-69
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	69
नियम-301 का उत्तर समय से न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	69'71
कानपुर नगर में 12वीं पंचवर्षीय योजना की बैठक सत्र के समय बुलाये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	71-73
पंचायती राज संस्थाओं पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन 31 मार्च, 2010 एवं 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)	73-74
सहकारी समितियों एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	74
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के 31वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	74
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1574/ग्यारह-9 (214)/13-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-2014 (सदन के पटल पर रखा गया)	74
उत्तर प्रदेश विनियोग (2014-2015 का अनुपूरक) विधेयक, 2014 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	74
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	75
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	75
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	75
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2014 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	76
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2014 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	76
डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	76
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग विधेयक, 2014 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	76

विषय	पृष्ठ-संख्या
फिरोजाबाद के मोहल्ला द्वारिकापुरी, कोटला रोड की कच्ची गलियों एवं नालियों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक सुश्री बबली आदि निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	76
फिरोजाबाद के मोहल्ला सविता नगर, कोटला रोड की कच्ची गलियों एवं नालियों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री अशोक वर्मा आदि निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	77
फिरोजाबाद के ग्राम रहना वार्ड नं0-3 (नई आबादी) रहना की कच्ची गलियों एवं नालियों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री पंकज सविता आदि निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	77
फिरोजाबाद के रघवीरपुरम् (नई आबादी), रहना की कच्ची गलियों एवं नालियों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	77
फिरोजाबाद के परशुराम कालोनी, रहना की कच्ची गलियों एवं नालियों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री राधेश्याम मिश्रा निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	77
फिरोजाबाद के मोहल्ला ठारपूठा महादेव नगर की कच्ची गलियों एवं नालियों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक पं0 वीरेश शर्मा आदि निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	77
विशेषाधिकार हनन के प्रकरण की वर्षों से लम्बित रिपोर्ट को दिखवाये जाने की मांग	77-78
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	78-97
विषय की ग्राह्यता पर शासन का जवाब न देकर जिनका कोई मतलब नहीं विषय के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	97-104
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	104
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम बदन के निधन पर शोकोद्‌गार...	104-105
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	105-110
पडरौना चीनी मिल की नीलामी रुकवाकर और उसको चलाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	110-111
जनपद बुलन्दशहर के अनेक पुराने पोखर/तालाब की जमीनों पर भू-माफियों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलनवाज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	111-112

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद फिरोजाबाद में कांच उद्योग को बढ़ावा दिये जाने तथा युवाओं को बेरोजगार हेतु ग्लास टेक्नोलाजी कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	112-113
कानपुर सदर तहसील अन्तर्गत सरसौल ब्लाक को नरवल तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	113-114
प्रदेश में वर्ष 1989 से शासनादेशों के तहत नियुक्ति परियोजना अधिकारियों को बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	114
जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद् सिकन्दराबाद का सीमा विस्तार न होने के कारण वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	114-115
महानगर बरेली में सालिड बेस्ट प्रोजेक्ट को पूर्ण क्षमता से चलवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरूण कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	115-116
जनपद हाथरस के थाना हाथरस के ग्राम छौक में लापता श्रीमती राजबेटी के पति श्री बनी सिंह की सम्बन्धित थाने से प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री गेंदा लाल चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	116-117
प्रदेश में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004 से 2007 में बने मार्गों के रख-रखाव हेतु बजट आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्र ''मोना'' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	118-120
राष्ट्र-गान	120

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2014

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-287

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
7. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री — बरेली
9. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
10. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
11. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
12. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
13. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
14. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
15. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
16. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
17. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
18. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
19. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
20. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
21. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
22. *अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
23. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
24. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
25. अरुण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
26. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
27. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
28. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
29. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
30. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
31. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
32. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
33. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
34. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
35. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
36. आशीष यादव, श्री — बदायूं
37. *आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री — बदायूं
38. इकबाल, श्री — बिजनौर
39. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
40. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
41. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
42. इन्द्रपाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
43. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
44. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
45. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
46. उदयराज, श्री — उन्नाव
47. उमाशंकर, श्री — बलिया
48. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
49. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
50. ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
51. ओम प्रकाश वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
52. काली चरन सुमन, श्री — आगरा
53. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव

54. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
55. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
56. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
57. कैलाश, श्री गाजीपुर
58. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
59. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
60. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
61. गजराज सिंह, श्री हापुड़
62. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
63. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
64. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
65. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
66. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
67. गोमती यादव, श्री लखनऊ
68. गोरख पासवान, श्री बलिया
69. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
70. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
71. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
72. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
73. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
74. जगपाल, श्री सहारनपुर
75. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
76. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
77. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
78. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
79. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
80. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
81. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
82. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
83. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
84. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
85. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
86. तसलीम, श्री बिजनौर
87. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
88. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
89. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
90. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
91. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
92. दलजीत सिंह, श्री बांदा
93. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
94. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
95. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
96. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
97. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
98. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
99. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
100. धर्मराज, श्री बाराबंकी
101. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
102. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
103. नदीज जावेद, श्री जौनपुर
104. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
105. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
106. *नवाब जान, श्री मुरादाबाद
107. **नाहिद हसन, श्री शामली
108. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
109. *पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
110. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
111. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
112. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
113. पीतमराम, श्री पीलीभीत
114. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
115. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
116. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
117. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
118. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर

119. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
120. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
121. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
122. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
123. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
124. फेरन लाल, श्री ललितपुर
125. *बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
126. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
127. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
128. बदलू खां, श्री उन्नाव
129. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
130. बाबू खां, श्री हरदोई
131. बावन सिंह, श्री गोण्डा
132. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
133. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
134. बैजनाथ, श्री मऊ
135. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
136. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
137. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
138. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
139. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
140. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
141. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
142. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
143. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
144. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
145. मनीष रावत, श्री सीतापुर
146. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
147. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
148. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
149. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
150. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
151. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
152. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
153. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
154. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
155. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
156. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
157. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
158. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
159. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
160. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
161. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
162. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
163. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
164. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
165. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
166. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
167. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
168. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
169. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
170. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
171. यासर शाह, श्री बहराइच
172. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
173. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
174. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
175. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
176. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
177. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
178. रणजीत सुमन, श्री एटा
179. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
180. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
181. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
182. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
183. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0के0 वर्मा श्री प्रतापगढ़
184. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी

185. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
186. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
187. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
188. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
189. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज, श्री महोबा
190. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
191. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
192. राजिव, श्री सहारनपुर
193. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
194. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
195. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
196. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
197. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
198. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
199. राधे श्याम, श्री अमेठी
200. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
201. राम करन आर्य, श्री बस्ती
202. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
203. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
204. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
205. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
206. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
207. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
208. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
209. राम मगन, श्री बाराबंकी
210. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
211. राममूर्ति सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
212. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
213. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
214. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
215. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
216. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
217. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
218. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
219. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
220. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
221. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
222. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
223. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
224. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
225. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
226. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
227. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
228. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
229. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
230. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
231. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
232. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
233. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
234. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
235. विजय सिंह, श्री रामपुर
236. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
237. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
238. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
239. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
240. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्ध नगर
241. वीरपाल राठी, श्री बागपत
242. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
243. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
244. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
245. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
246. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
247. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
248. शाकिर अली, श्री देवरिया
249. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ

250. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
251. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
252. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
253. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
254. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
255. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
256. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
257. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
258. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
259. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
260. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
261. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
262. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
263. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
264. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
265. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
266. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
267. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
268. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
269. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
270. सियाराम सागर, डा0 बरेली
271. सीमा, श्रीमती जौनपुर
272. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
273. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
274. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
275. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
276. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
277. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
278. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
279. सुरेश राणा, श्री शामली
280. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
281. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
282. सुल्तान बेग, श्री बरेली
283. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
284. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
285. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
286. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
287. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :- मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), कारागार श्री बलराम यादव तथा राजनैतिक पेंशन (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

श्री अध्यक्ष-

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 माननीय मनीष असीजा जी।

[11.01] प्रदेश सरकार के मुखिया श्री मुलायम सिंह जी द्वारा सरकार की क्षमता पर प्रश्न चिह्न लगाने विषयक सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारी नियम-56 की एक सूचना है, इस सरकार के मुखिया ने इस सरकार की क्षमता पर प्रश्न चिह्न लगाया है।

[11.02] किसानों के साथ ज्यादती एवं पुलिस फायरिंग में हताहत हुए विषय को सुने जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

जब नियम-56 आयेगा, तब कहियेगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के साथ बहुत ज्यादती की गयी है, दर्जनों लोग पुलिस फायरिंग में हताहत हुये हैं और मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में भर्ती हैं। यही नहीं उन किसानों के साथ जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण अत्याचार किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है, उनकी आवाज को दबाने के लिए गोली का प्रयोग किया जा रहा है। मान्यवर, मैं इसकी निन्दा करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसे आपने नियम-56 में दिया है वह स्वीकार भी है जब नियम-56 आयेगा तब बोलियेगा, क्यों पहले बोल रहे हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी नियम-56 में सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, नियम-56 का समय आने दीजिए, अभी तो प्रश्न का उत्तर आने दीजिए। आप तो दल के नेता हैं आपको प्रक्रिया की जानकारी है जब नियम-56 आयेगा तब खड़े होईयेगा। अभी बैठिये।

[11.03] प्रश्नोत्तर

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसवों के लक्ष्यों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014-2015 के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव की पूर्ति के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदम

**1-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसवों के लक्ष्यों के सापेक्ष अभी तक कितने संस्थागत प्रसव कराये गये हैं ? वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव के लक्ष्य की पूर्ति के लिये सरकार क्या आवश्यक कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मात्र एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंख लाल माझी)-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष माह अक्टूबर, 2014 तक हुई प्रगति का विवरण निम्नवत् है :-

संस्थागत प्रसव हेतु निर्धारित लक्ष्य	माह अक्टूबर, 2014 तक की प्रगति
2657239	1288054

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित जननी सुरक्षा योजना के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्रों में रु0 1400 एवं शहरी क्षेत्रों में रु0 1000/- तथा बी0पी0एल0 श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु रु0 500/- प्रत्येक लाभार्थी को दिये जा रहे हैं एवं सुरक्षित/संस्थागत प्रसव की सुविधायें उपलब्ध करवाने में इन्हीं क्षेत्र की चुनी हुई महिला कार्यकर्ता (आशा) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो महिला के गर्भवती होने पर पंजीकरण से लेकर प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन व प्रसवोत्तर सभी सेवायें उपलब्ध करवाती है। इस कार्य हेतु आशा को ग्रामीण क्षेत्र में रु0 600/- का प्रति संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क औषधि, निःशुल्क भोजन एवं निःशुल्क ड्रापबैक की सुविधा प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा प्रत्येक गर्भवती महिला को घर से प्रसव इकाई तक ले जाने एवं प्रसवोपरान्त उसे घर वापस ले जाने हेतु 102 एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। जनपदवार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा राज्य, मण्डल, जनपद स्तर पर कार्यक्रम की प्रगति मासिक समीक्षा नियमित रूप से की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष आसीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री जी ने 2014-15 का जो लक्ष्य बताया है 26 लाख 60 हजार, और यह 31 अक्टूबर तक 12 लाख 88 हजार, आधे से भी कम सात इन महीने में हुआ है। मा0 अध्यक्ष जी मैं एक बात और कहता हूँ इन सात महीनों में अगस्त और सितम्बर के दो महीने और हैं पूरे बारह महीने में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है बचे पांच महीनों में हम इसे कैसे लक्षित कर पाएंगे यह प्रश्न है। मैं एक बात कहकर सीधे प्रश्न पर आऊंगा पूरे प्रदेश में लगभग 58 लाख के लगभग प्रसव होते हैं। इसमें 38 लाख प्रसव संस्थागत हैं जो जननी सुरक्षा योजना और निजी क्षेत्र के चिकित्सालय हैं..

(मा0 मुख्य मंत्री जी के आने पर मेजें थपथपाई गईं)

इन 58 लाख में से हम 38 लाख को कहते हैं कि संस्थागत प्रसव हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस समय यहां पर हैं। 20 लाख प्रसव ऐसे हैं जो न तो निजी क्षेत्र में आते हैं न जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आते हैं। यह प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और यह चुनौती इसलिए है कि मात्र मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर कन्ट्रोल करने की सबसे पहली सीढ़ी या कदम है यह

सुरक्षित प्रसव ही है। आपके माध्यम से 200 फर्स्ट रेफरेंस यूनिट चालू हुए थे उत्तर प्रदेश में। जो फर्स्ट रेफरेंस यूनिट हैं इसमें कभी कोई प्रसव की समस्या आए तो सबसे पहले यहां जाने की व्यवस्था है। इसमें से 150 चालू हैं 50 बन्द हैं। एन0आर0एच0एम0 बन्द है 40 और बन रहे हैं इसके पीछे का कारण सदन भी जानता है कई बार चर्चा भी हुई है। सबसे बड़ी कमी है..

श्री अध्यक्ष-

सवाल तो पूछें। आप इतनी देर से बोल रहे हैं और सवाल तो पूछ नहीं रहे हैं।

श्री मनीष असीजा-

श्रीमन् सबसे बड़ी कमी एच0आर0 की है लेडी डाक्टर्स की बहुत बड़ी कमी है फिजीशियन की कमी है, एनेस्थेटिक की कमी है, लेडी नर्स की कमी है अभी बीस लाख के लक्ष्य को प्राप्त करना बाकी है। जो हमारा लक्ष्य है उसका आधा भी नहीं कर पाए हैं और इसको पूरा करने की जो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है उसकी हमारे पास बहुत बड़ी कमी है।मैं एक प्रश्न आपसे यह करना चाहता हूं इस कमी को दूर करने के लिए एन0आर0एच0एम0 से अभी जननी सुरक्षा योजना से कुछ इन्सेंटिव आया है वह इन्सेंटिव पर्याप्त नहीं है। क्या राज्य सरकार कुछ धन मिलाकर जननी सुरक्षा योजना में काम करने वाले चिकित्सकों, लेडी डाक्टर्स और बाल रोग विशेषज्ञों का विशेष मानदेय बढ़ाने का काम करेगी ताकि जननी सुरक्षा योजना के लक्ष्य को पूरा कर सकें।

श्री अध्यक्ष-

पांच मिनट लगा इस प्रश्न को पूछने में।

श्री शखंलाल माझी-

अभी माननीय आसीजा जी ने कहा है, उसमें मा0 सदस्य की जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास जो डाक्टर्स है पैरामेडिकल स्टाफ है संस्थागत, इसके इतर ग्रामीण क्षेत्रों में इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए संविदा पर नर्स, डाक्टर्स, महिला डाक्टर्स की भी नियुक्ति की गई है। जहां तक आपने इस पूरे प्रदेश में जो आंकड़े पेश किए हैं 58 लाख बता रहे हैं मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है। हमारे पास वर्षवार मैं 2010-11 से बताना चाहूंगा, वर्ष 2011-12 में लक्ष्य 21 लाख था और उस समय 23 लाख 41 हजार 573 प्रसव संस्थागत हुए थे। वर्ष 2011-2012 में लक्ष्य 25 लाख का था उसके सापेक्ष 23,27,830 प्रसव हुए थे। वर्ष 2012-2013 में 27 लाख के सापेक्ष 21,76,399 प्रसव हुए थे। वर्ष 2013-2014 में 25 लाख के सापेक्ष हमने 23,88,701 यानि 95 प्रतिशत जो लक्ष्य था उसका प्रसव संस्थागत हुआ था। 2014-2015 में 26,57,239 का जो लक्ष्य है 12,88,000 यानि लगभग 13 लाख यह अक्टूबर तक का आंकड़ा है। असीजा जी, अभी हमारे पास 5 महीने का समय इस वर्ष का और है और हम सदन को बताना चाहेंगे कि इस बार हमारी कोशिश है कि जो हमारा लक्ष्य है उसको हम मुकम्मल तौर से पूरा करेंगे और जहां तक आपने कहा मानदेय की बात, मानदेय के लिये मैंने पहले बता दिया कि जो आवश्यकता है हम संविदा के आधार पर उनकी नियुक्ति कर रहे हैं और भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी और भी व्यवस्था करेंगे।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी की भावना का सम्मान करता हूं लेकिन मैं यह जो सदन में आपसे कहता हूं तो उसकी जरूर जांच करवाइये। प्रदेश में 58 लाख के आस-पास प्रसव हैं।

और उसमें से 38 लाख संस्थागत हैं, बचा 20 लाख। पिछली बार भी इस सदन में चर्चा में मैंने यह तथ्य रखा था कि हमने जो लक्ष्य रखा है हम अगर उसके 90-95 प्रतिशत अचीव कर रहे हैं तो यह एक विषय है। लेकिन हम अभी बहुत बड़े लक्ष्य को रख ही नहीं पा रहे हैं। यह बात आप अपने अधिकारियों से, अन्य ऑकड़ों से संकलित कर सकते हैं कि यदि 20 लाख ऐसे प्रसव हैं जो न निजी क्षेत्र में हैं न सरकारी क्षेत्र में संस्थागत प्रसव के रूप में हैं तो यह हमारा बड़ा टारगेट है। अगर हम साढ़े छब्बीस लाख के सापेक्ष करते तो एक चीज है लेकिन उस 20 लाख का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न पूछिये ना।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो डाक्टरों की कमी है, आप कितनी भी भरपाई कर रहे हों आपकी जो एफ0आर0यू0 हैं, 200 एफ0आर0यू0 में से 50 बंद हुई हैं डाक्टर की कमी से । लगभग मई के महीने में यह 140 के आस पास रह गई थीं। यह डाक्टर्स की समस्या, मैं यह नहीं कहता कि यह आज के दिन की है लेकिन अभी क्या है कि इस क्षेत्र में, गायनी के क्षेत्र में निजी बाजार में अच्छा पैसा मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह बात रखना चाहता हूं कि विशेषकर जननी सुरक्षा योजना में यह जो गर्भवती स्त्रियों के लिये सुरक्षित प्रसव की बात है, इसमें काम करने वाले डाक्टर्स को अगर विशेष मानदेय करके आप अपने विभाग को स्ट्रेन्थेन नहीं करेंगें तो जो परिणाम हम लाना चाहते हैं जिसके लिये हमने 102 भी चलाई है, सब चलाई है वह नहीं हो पायेंगें। इसके लिये मानदेय बढ़ाने के लिये राज्य सरकार विशेष प्रयास करेगी। मानदेय बढ़ाने के लिये सरकार कोई पैकेज बनायेगी ?

श्री शंखलाल माझी-

मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया कि संविदा के आधार पर जो हमें आवश्यकता है उतना हम कर रहे हैं और उसके लिये हमें फंडिंग के लिये कोई प्राब्लम नहीं है। आप जो 58 लाख और 38 लाख का फिगर दे रहे हैं, मैं आपसे बड़ी विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि 38 लाख के बारे में जो आप बता रहे हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं वह मैंने आपको पहले बता दिया, दोबारा मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। फिर भी अगर आपके सुझावानुसार हम इसका पता कराते हैं और जहां तक आपने कहा कि इसको प्रोत्साहित करने के लिये। मान्यवर, हमने जब से एम्बुलेंस 102 सेवा की शुरूआत की है, हम कह सकते हैं कि शहर में ही नहीं गांव में भी अब हर हालत में लोग संस्थागत प्रसव कराना चाहते हैं। उनके प्रोत्साहन के लिये एक तो हम उनको वहां पर पूरी भोजन की व्यवस्था कराते हैं उनकी निःशुल्क दवा की व्यवस्था कराते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रसव प्रदेश में संस्थागत प्रसव ही हो रहे हैं। आपके 38 लाख की फिगर को मैं पता कराता हूं और जहां तक मेरे संज्ञान में है जहां तक सरकारी विभागीय आंकड़े मेरे पास हैं इसमें आज तक कोई 38 लाख का प्रसव संस्थागत हुआ यह आंकड़ा आपके पास हो सकता है मेरे पास नहीं है यह आपके पास हो सकती है मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जननी सुरक्षा योजना ने इस पूरे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसी सदन में हम लोग चर्चा किया करते थे कि पहले 21 प्रतिशत संस्थागत प्रसव

होते थे । आज यह 60 प्रतिशत हो गया है। मैं दूसरी बात सदन में लेकर आया हूं। जो आशा नाम हमने दिया है वह निराशा की ओर जा रहा है। इसके स्पेशफिक कारण हैं हमने वह सिस्टम डेवलप कर दिया है जिसकी गांव-गांव में नेटवर्किंग हो गयी है। हर गर्भवती महिला तक इसकी पहुंच हो गई है। माननीय मंत्री जी संभवतः इसको स्वीकार कर लेंगे क्योंकि इसमें कोई आरोप नहीं है गर्भवती महिलाएं अस्पताल में पहुंच रही हैं प्रसव पूर्व उनकी देखरेख हो रही है डिलीवरी के लिए एडमिट हो रही हैं डिलीवरी कार्ड बनने के बाद बड़ी संख्या में यही आशाएं उनको लेकर निजी चिकित्सकों के पास चली जा रही हैं। मैं गोरखपुर के सुस्पष्ट उदाहरण के साथ कह सकता हूं क्योंकि गोरखपुर में अभी मेरी बेटी इंटर्नशिप कर रही है हम लोगों ने सारी चीजों को अपनी आंख से होते हुए देखा है। 10-10 महिलाएं भर्ती होती हैं और जब डाक्टर एडमिट कराके उनका डिलीवरी कराने जाते हैं तो उनमें से 7 गायब हो जाती हैं तीन बच जाती हैं। यह 7 प्राइवेट चिकित्सकों के यहां चली जाती हैं और जब डाक्टर से और नर्सेस से यह पूछा जाता है कि आपने रोका क्यों नहीं तो वह कहती हैं कि इतनी असहज स्थिति पैदा होती है आशाओं और दाइयों के द्वारा कि हम उन्हें रोक नहीं पाते हैं माननीय मंत्री जी से मैं इस प्रश्न के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आप क्या कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन आशाओं को हम 600 रुपया दे रहे हैं वह उन्हें डिलीवरी के लिए ही तो दे रहे हैं आने जाने का खर्चा दे रहे हैं हालांकि 6-6,7-7 मरीज एक साथ लादकर लाई जाती हैं अलग-अलग नहीं लाए जाते हैं क्या आप कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें यह सुनिश्चित किया जाय कि जो गर्भवती महिलाएं गांव से चलकर शहर तक आ रही हैं वह आशाओं के माध्यम से निजी नर्सिंग होम तक न पहुंच पाएं यह बहुत मुश्किल काम नहीं है आज के इस आनलाइन युग में आप इतनी रुकावट तो कर सकते हैं कि जिन्हें हम 1400 रुपया या शहर में एक हजार रुपया दे रहे हैं उनकी डिलीवरी एक्चुएली में हुई कहॉ हैं यह एक बहुत गन्दा खेल है जो चल रहा है अध्यक्ष महोदय इस पर रोक लगनी चाहिए। अन्यथा इस चिकित्सा सेवा में हम जो चिकित्सा सुविधा देना चाहते हैं वह दे नहीं सकेंगे यही मेरा प्रश्न है।

श्री शंखलाल माझी-

माननीय अध्यक्ष जी डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी काफी सिंसियर हैं। हम उनकी बात का तवज्जो भी देते हैं। आपने दो बातें कहीं कि आशा बहुओं को हम प्रोत्साहन करने के लिए 600 रुपए का मानदेय देते हैं। आशा बहुएं 600 रुपए मानदेय तभी पाती हैं जब वह संस्थागत प्रसव कराती हैं लेकर जाती हैं। आपने यह भी कहा कि 10 में से 7 केसेज प्राइवेट नर्सिंग होम में लेकर चली जाती हैं हमारे पास इसकी कोई एथेंटिक सूचना तो है नहीं लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमारे टोल फ्री नम्बर भी हर महिला चिकित्सालय के सामने डिस्प्ले है लेकिर अगर कोई स्वेच्छा से हमारी यह सुविधाएं देने के बाद चाहे उसको हम इंसेंटिव के रूप में दें या प्रोत्साहन के रूप में दें हम गांव से आने वाली महिला को 1400 रुपया और शहर से आने वाली महिला को एक हजार रुपया दे रहे हैं मुफ्त दवा भी दे रहे हैं महीने भर नहीं अब तो बच्चे के एक साल तक के लिए उनको जब भी दिखाना होगा तो उनको 102 सेवा भी दे रहे हैं लाने जे जाने का और उनको निःशुल्क दवा भी दे रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन जैसे ही बच्चा मां की कोख में आता है तब से रजिस्ट्रेशन से टीकाकरण से लेकर प्रसव कराने तक की व्यवस्था किए हैं इसके बाद भी अगर कोई स्वेच्छा से निजी अस्पताल में जाना

चाहता है तो हम उसको कैसे रोक लगाएंगे इससे आप भी सहमत होंगे और हमारी बात को भी समझ रहे होंगे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आगे बढ़ने दीजिए। इस सवाल पर 20 मिनट हो गया।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं मा0 मंत्री जी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं वस्तुस्थिति बता रहा हूं और गोरखपुर शहर का मैं नाम ले रहा हूं। मैं वहीं का विधायक हूं। जिम्मेदारी ले रहा हूं। आपसे आग्रह करूंगा कि व्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से एक बार जांच करवाकर देखिये कि कितने लोग आते हैं और कितने भाग जाते हैं। स्वेच्छा से जाते हैं यह कहकर चीजों को टालने की जरूरत नहीं है।

प्रदेश की बन्द पड़ी सरकारी कताई मिलों को निजी क्षेत्र में देकर बन्द पड़ी सहकारी कताई मिलों को निजी क्षेत्र में देकर उन्हें चलाये जाने की मांग

**02-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की बन्द पड़ी सहकारी कताई मिलों को निजी क्षेत्र में देकर उन्हें चलाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त निर्णय की रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)-

जी हां।

उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ की 09 सहकारी कताई मिलों (मगहर, नगीना, बुलन्दशहर, बहादुरगंज, कम्पिल, अमरोहा, बहेड़ी, फतेहपुर व मऊआईमा) को यूजर चार्जेज लेकर निजी क्षेत्र की भागीदारी से चलाये जाने के आदेश दिनांक 12-11-2014 को निर्गत किये गये हैं।

उक्त मिलों को बिड के माध्यम से यूजर चार्जेज पर दिये जाने तथा बिड डाक्यूमेंट को स्टेट बैंक आफ इण्डिया से तैयार कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता था कि क्या प्रदेश की बंद पड़ी सहकारी कताई मिलों को निजी क्षेत्र में देकर उन्हें चलाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? सरकार ने 09 सहकारी कताई मिलों के बारे में बताया है और 07-11-2014 का मेरा प्रश्न था और 12-11-2014 में सरकार ने इस संबंध में शासनादेश निर्गत किया है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि और कितनी कताई मिलें ऐसी हैं सहकारी क्षेत्र की जिनके चलाये जाने के बारे अभी तक सरकार ने निर्णय नहीं लिया है और उसका क्या कारण है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यह जो 12-11-2014 को यूजर चार्ज के आधार पर बंद पड़ी कताई मिलों को प्राईवेट सेक्टर में चलाये जाने की अनुमति देने पर सरकार ने निर्णय लिया है। इनकी शर्तें क्या हैं कब तक चल जाने की संभावना है और इनमें जो मजदूर काम कर रहे थे क्या उनको पुनः सेवायोजित करने की भी व्यवस्था इस शासनादेश में है या नहीं है ?

श्री राममूर्ति वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, जितनी सहकारी मिलें बंद हो चुकी हैं उनको चलाये जाने के लिए सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और हम लोगों ने इन मिलों को निजी भागीदारी से चलाये जाने का निर्णय लिया है निजी क्षेत्र को बिड के माध्यम से 10 वर्षों के लिए यूजर चार्ज लेकर दिया जाएगा, इससे अधिक समय तक के लिए दिया जाएगा। और इसमें पहले तो जितने कर्मचारी थे उसमें सबको वी0आर0एस0 देकर उनका भुगतान कर दिया गया है और जल्द ही इस पर सरकार कार्रवाई करने जा रही है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी मैंने जानना चाहा था कि उत्तर प्रदेश में और ऐसी कितनी कताई मिलें हैं जिनके चलाये जाने के बारे में सरकार ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी कुछ ऐसी जानकारी है।

श्री राममूर्ति वर्मा-

मान्यवर, जितनी भी सहकारी कताई मिलें हैं सबको सरकार चलाना चाहती है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं संख्या जानना चाहता हूं और बची हुई मिलों के नाम जानना चाहता हूं।

श्री राममूर्ति वर्मा-

मान्यवर, पहली जो जानकारी मा0 सदस्य महोदय को और करायी जानी है उसकी सूचना मंगाकर हम मा0 सदस्य को उपलब्ध करा देंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न तो स्पष्ट हो जाये कि किन प्रश्नों का उत्तर मा0 मंत्री जी हमको भेजेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपने प्रश्न किया कि कितनी कताई मिल ऐसी हैं जो अभी बंद हैं जिनके बारे में अभी शासन ने चलाने का निर्णय नहीं लिया है उसमें उनकी क्या राय है तो वह सूचना आपको भेज देंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने यह भी पूछा था कि इस शासनादेश दिनांक 11-11-2014 में इन मिलों को बिड के अतिरिक्त और कौन-कौन सी शर्तें हैं जिन शर्तों पर इन मिलों को चलाये जाने का निर्णय हुआ हो।

श्री राममूर्ति वर्मा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय द्वारा जो पूछा गया है इटावा और सीतापुर की दो मिले हैं उनकी मशीनें बेची जा चुकी हैं उनको चलाने जाने का प्रयास हम कैसे कर सकते हैं और जो आपका दूसरा प्रश्न है उसमें मिलों में कुछ अतिरिक्त लैन्ड है, उसका भी हम लोग परीक्षण

करा रहे हैं और जब इनको फिर से चलाने के लिए देंगे, तो जो अतिरिक्त भूमि है उसको यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा बची हुई भूमि को बेच कर जो और देन-दारी शेष है, उसका भुगतान करने का काम करेंगे।

श्री उमाशंकर-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार का जो पहला बजट आया था तो उसमें चूंकि बन्द पड़ी कताई मिलों को चलाने की बात आयी थी तो हमने उस समय भी सवाल किया था कि बलिया जनपद में एक ही उद्योग है, कताई मिल जो रसड़ा में है। उस समय जवाब आया था कि अगर पहली शिफ्ट में बन्द पड़ी कताई मिलों को चलाने की बात आयेगी तो उसमें रसड़ा भी शामिल रहेगी। लेकिन अध्यक्ष जी जो अभी नई सूची आयी है, उसमें रसड़ा नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी बलिया में एक मात्र यही उद्योग है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि क्या रसडा कताई मिल जो कि बन्द है, को भी चलाने पर विचार किया जायेगा ?

श्री राममूर्ति वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी इन नौ मिलों को चलाने पर सरकार कार्यवाही कर रही है। आगे जहां पर और आवश्यकता है, उस पर भी हम विचार करेंगे।

*01- श्री लोकेन्द्र सिंह-

[दिनांक 18-11-2014 को तारां0 प्र0 सं0-08 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के विभिन्न कुक्कुट पालन केन्द्रों में मुर्गों के तीव्र विकास के एण्टीबायोटिक औषधि दिये जाने की जानकारी तथा उसका विवरण उसकी जांच की मांग

*02-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को प्रदेश के विभिन्न कुक्कुट पालन केन्द्रों में मुर्गों के तीव्र विकास के लिये एण्टीबायोटिक औषधि दिये जाने की जानकारी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इसकी जांच कराये जाने हेतु कोई नीति निर्धारित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय मंत्री जी हमारे क्षेत्र के हैं और बहुत अच्छे आदमी है। इसीलिए इनसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। यह नौजवान है इन्हे सोचना समझना चाहिए कि कोई कारण होगा तभी यह सवाल किया गया। सेन्टर फार साइन्स इन्वायरमेन्ट स्टडी एक केन्द्र है जिसने अध्ययन किया है कुक्कुट विकास का और 40 प्रतिशत मुर्गा पालन में जो स्पेशली मीट बेचने में प्रयोग किया जाता है।

6 एण्टीबायोटिक्स के प्रयोग आयें हैं। इसमें एमेनोग्लाइकोसाइड्स, सिप्रोफलाकसेसिन्स और टेक्ट्रासाइक्लिन्स हैं। आपने तो सपाट तरीके से कह दिया कि जी नहीं। अध्यक्ष जी हो क्या रहा है कि हम यह चाहते हैं कि यह बहुत तेजी से बढ़ जाये, उनका मांस बहुत अधिक तेजी से बढ़ जाये और यह भारी हो जाये। स्नाटिन एण्टीबायोटिक्स का प्रयोग हो रहा है ग्रुप प्रमोटर के रूप में। ऐसी ही एक दूसरी दवा भी ग्रुप प्रमोटर के रूप में बहुत खतरनाक है जिसे हम एबलिकस्टेलाइट कहते हैं। उसका प्रयोग भी उनके विकास के लिए हो रहा है और इसका नुकसान पूरे मानवीय समाज को पड़ रहा है। इधर चिकित्सकों ने यह देखा है कि जिन कामन एण्टीबायोटिक्स, सिप्रोफलाकसेसिन्स, टेक्टासाइक्लिन्स, जेनटामाइसिन को मरीजों को दिया जाता है तो उसका फायदा नहीं मिलता है। फायदा न मिलने के एवेज में जो जांच करायी गयी कि इसका कारण क्या है ? तो यह सामने आया कि जो लोग मांसाहारी है और जो मुर्गे का मीट खाते हैं वह छोटी-छोटी एमाउण्ट में एण्टीबायोटिक लगातार खाते रहते हैं और इसलिए उनके अन्दर इस एण्टीबायोटिक के खिलाफ एक नेचुरल रजिस्टेंश हो जाता है। मा0 मंत्री जी भी मेरी बात से सहमत है, मुंडी हिला-हिलाकर हां-हां कर रहे हैं। अब सवाल यह है मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न गम्भीर है, इसे रोका जाना चाहिए। मा0 मंत्री जी ने कह दिया जी नहीं, मतलब इनके पास कोई जांच की समिति होगी, कोई जांच की टेक्निक होगी। मैं तो नहीं जानता हूं कि सरकार के पास उत्तर प्रदेश में जांच की कोई भी ऐसी तकनीकि उपलब्ध है जिसके तहत एण्टीबायोटिक की जांच उन चारों में करा रही है, हो तो बता दें। इसलिए मेरा अग्रह होगा, आज सूचना हो सकता है न हो और बहुत बार ऐसा होता मा0 अध्यक्ष जी, यह सदन शर्मिंदा होता है, क्योंकि जिन्हें जवाब बनाकर के भेजना है, वह उन जवाबों को गम्भीरता से नहीं लेते हैं। अन्यथा यह जी नहीं, प्रश्न नहीं आता। मैं आपसे अग्रह करूंगा कि यह प्रश्न आया है, आप इतना ही कह दें कि हम इसकी जांच करा लेंगे और अगर यह सत्य पाया जायेगा तो हम कड़ी कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप तो अपने आप उत्तर भी बना ले रहे हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अब क्या करूँ मान्यवर, मदद करना पड़ेगा, हमारे मित्र हैं, इतनी मदद तो करूँगा ही और यदि नहीं मानेंगे तो प्रश्न को स्थगित करने की मांग कर लूँगा।

श्री राजकिशोर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, एण्टीबायोटिक के बारे में जो भी मा0 सदस्य ने कहा है, यह सही है कि एण्टीबायोटिक कुक्कुट को मुर्गे को दी जाती है, एण्टीबायोटिक देने के 72 घण्टे के अन्दर अगर जांच करायेंगे तो उसका असर रहेगा, लेकिन अगर 72 घण्टे बाद इसकी जांच करायेंगे तो मल-मूत्र के माध्यम से इसका सारा असर निकल जाता है और आपने कहा कि इनका ग्रोथ एण्टीबायोटिक के माध्यम से हो रहा है । आज की डेट में मा0 अध्यक्ष जी, हाईब्रीड कुक्कुट के मांस का व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पर फैला है, इसलिए आज की डेट में हाईब्रीड की जो मुर्गियां आ रही हैं यह अपने आप 35 दिन के अन्दर 150 से 200 ग्राम की हो जाती हैं और आरोप यह लगाया जाता है कि एण्टीबायोटिक देकर इन्हें बढ़ाया जाता है, जबकि एण्टीबायोटिक इनको इसलिए दी जाती है कि अगर

इनको कोई इन्फेक्शन हो तो वह इन्फेक्शन खत्म हो जाय। आपने कहा जांच कराने की बात, तो आजतक इस प्रकरण में हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आज तक पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर इस प्रकरण पर न किसी विधायक के द्वारा न ही अन्य किसी के द्वारा कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है। अगर आपने इसमें शिकायत कहीं से किया है, किसी प्राईवेट एजेन्सी या किसी प्राईवेट संस्था ने जांच किया है, तो आप हमको यह बता दीजिए कि इस संस्था ने यह जांच किया है, कहीं से भी कोई ऐसी सूचना आपको मिली हो, तो आप दीजिए हम उसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हो गया।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 मंत्री जी का मैं आभारी हूं, कम से कम जो जी नहीं प्रश्न था वह इतना तो बदल गया कि मा0 मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि एण्टीबायोटिक दी जाती है। अब प्रश्न यह है कि एण्टीबायोटिक दी क्यों जाती है। मैं तथ्यात्मक आधार पर आपको बता रहा हूं, यह एण्टीबायोटिक मुर्गों के ग्रोथ के डेवलपमेण्ट को बढ़ाने के लिए जनोबाईटिक के रूप में दी जाती है, यह मैं वैज्ञानिक आधार पर कह रहा हूं और यह सचमुच ड्रग रजिस्टेन्श पैदा कर रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस सदन से बड़ी शिकायत की कोई जगह नहीं होती है, अगर मैं इस सदन में यह प्रश्न ले करके आया हूं तो एक जिम्मेदारी के साथ ले करके आया हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, किसी एक अच्छी संस्था के साथ आप इसकी जांच करा लें, हो सकता है जो मैं कह रहा हूं सत्य ही निकल आये। जांच कराने से बहुत से तथ्य सामने निकल कर आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठ जाएं।

श्री राजकिशोर सिंह-

मान्यवर, इस समय आप देखे होंगे, पक्षियों में मुर्गों में हाईब्रीड आया है और इसकी खपत इतने बड़े पैमाने पर है, इतने बड़े पैमाने पर यह धंधा है अगर इन पर एण्टीबायोटिक का इस्तेमाल उनके इन्फेक्शन को रोकने के लिए न किया जाय, क्योंकि हाईब्रीड होने की वजह से यह बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, तो अगर उनमें कहीं कोई इन्फेक्शन हो जाय और उनको खाने से कहीं कोई बीमार हो जाय जो उनको यूज करता है, तो इसको देखते हुए पहले से ही हमारे विभाग के तमाम परिक्षेत्रों में लगभग 23 हजार पक्षियां पाली जाती हैं और उनमें एण्टीबायोटिक दी जाती है, इसलिए कि इनमें कोई इन्फेक्शन न हो। मा0 विधायक जी ने कहा कि इससे मुर्गियों में बीमारियां पैदा हो रही हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैंने कहा कि इससे मुर्गों का ग्रोथ हो रहा है और आदमियों में बीमारियां पैदा हो रही हैं।

श्री राजकिशोर सिंह-

मान्यवर उनको ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, उनमें कोई बीमारी या इन्फेक्शन न हो इसलिए उनको यह एण्टीबायोटिक दिया जा रहा है और अगर इसे आदमी खायें तो उनके अन्दर कोई बीमारी न हो। आपने कहा और मैं आपकी बात मान रहा हूं लेकिन मैंने इसलिये कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज

तक कोई शिकायत इसकी नहीं आई है। मा0 सदस्य, अगर आप कोई पर्टीकुलर शिकायत कर रहे हैं तो हम उसको गंभीरता से देखेंगे और उस पर विचार करेंगे।

*03-डा0 धर्मपाल सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गाजीपुर के बिरनों ब्लाक के प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल बोगना में दिनांक 29-08-2014 को मध्याह्न भोजन खाने से बीमार छात्रों का इलाज तथा भोजन की गुणवत्ता हेतु प्रभावी कदम उठाना

*04-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के बिरनों ब्लाक के प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल बोगना में दिनांक 29 अगस्त, 2014 को मध्याह्न भोजन खाने के बाद लगभग 50 छात्रों की हालत बिगड़ गयी और उनमें से बहुत से छात्रों को अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करना पड़ा ? यदि हां, तो क्या सरकार मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु कोई प्रभावी कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा (राज्य मंत्री) (श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया')-

जी हां। 50 नहीं अपितु 109 छात्र बीमार पड़ गये थे। प्राथमिक उपचार के पश्चात् 100 छात्र ठीक हो गये थे तथा शेष 09 छात्र दिनांक 29-08-2014 को जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती किये गये थे जो उपचार के पश्चात् स्वस्थ होकर अपने घर चले गये।

जी हां।

विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये शासनादेश दिनांक 29-3-2006 के क्रम में योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जनपद/विकास खण्ड स्तर पर टास्क फोर्स गठित है, जिसमें नामित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर भोजन निर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर सम्यक् निरीक्षण किया जाता है, जिसके आधार पर सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन स्तर से भी मध्याह्न भोजन की स्वच्छता, सुरक्षा एवं गुणवत्ता बनाये रखने हेतु शासनादेश दिनांक 25-07-2013 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस प्रकार नियमित रूप से प्रभावी अनुश्रवण करते हुए मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और उनके अन्दर विद्यालय आने की चाहत भी पैदा हो और वे शिक्षा भी ग्रहण कर सकें लेकिन ये जो बीच-बीच में इस तरह की खबरें आ रही हैं। जो सच्चाई है, सरकार ने भी स्वीकार किया। मेरी जानकारी 50 की थी और 109 छात्र बीमार हो गये थे। सरकार ने कहा कि कुछ तो प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिए गए और कुछ वहां एडमिट रहे फिर उनको वहां से रिलीज किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस सवाल को लाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इसकी जो महत्वाकांक्षी योजना है उसके प्रति जनता का विश्वास बना रहे लेकिन आप देखेंगे कि सरकार ने भी कुछ कार्यवाहियां की हैं। जिसका

उदाहरण सरकार ने दिया है और उसमें दिनांक 29.03.2006 के क्रम में टास्क फोर्स का गठन किया गया, उसके बावजूद भी 29 अगस्त, 2014 को यह घटना घटित हो गई। फिर इसके बाद 25-07-2013 को मुख्य सचिव के द्वारा आदेश निर्गत किए गए लेकिन फिर भी घटना घटित हो रही है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, शासनादेश और आदेश निर्गत हो रहे हैं लेकिन उसका असर जहां होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है तो इसका क्या कारण है और क्या जब भोजन में छिपकली, चूहे, पता नहीं क्या-क्या मिल रहे हैं तो जो यह टास्क फोर्स गठित किया गया है क्या उनके ऊपर कोई कार्यवाही की जाती है या जो रसोईया हैं केवल उन्हीं के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ?

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 श्यामदेव राय चौधरी जी इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। इस योजना के पीछे जो पवित्र भावना है, आपने उस भावना को लेकर के यह सवाल इस सदन में प्रस्तुत किया है। मैं आपकी इस भावना का सम्मान करता हूं। मैं मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जिस घटना का जिक्र यहां पर हुआ तो यह घटना न तो छिपकली गिरने से हुई है और न कहीं दूषित भोजन से हुई है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण होता है। एक टीम उस विद्यालय में पहली बार छात्रों के स्वास्थ्य की जांच के लिए गई थी। उस टीम को बच्चों को डिवार्मिंग टैबलेट देनी थी और डिवार्मिंग टैबलेट के बाद फोलिक एसिड टैबलेट देनी थी। नियम यह है कि जब कोई टीम प्रथम बार किसी विद्यालय में विजिट करेगी तो वह टीम अपने सामने बच्चों को डिवार्मिंग टैबलेट देंगे। जिस दिन की यह घटना है उस दिन बच्चे मध्याह्न भोजन ले चुके थे, जो टीम वहां पर गई थी डॉक्टर तिवारी के नेतृत्व में, वह टीम जब वहां पहुंची बच्चे भोजन कर चुके थे। वहां पर उनकी लापरवाही थी, यह कहने में मुझे सदन में जरा-सा भी कोई संकोच नहीं है। उन्होंने बजाय दूसरे दिन आने के दोनों टेबलेट वहां के प्रधानाध्यापक को दे दी, चूंकि बच्चे मध्याह्न भोजन ले चुके थे। इसलिए वह दो टेबलेट दी नहीं जा सकती थी। उनको फिर अगले दिन आना चाहिए था, लेकिन उन्होनें अपने कर्तव्यों में कहीं-न-कहीं स्लाइटनेस की, कमजोरी की, उन्होंने दोनों टेबलेट 28 तारीख की घटना है, 29 तारीख को उन्होंने प्रधानाध्यापक को अपने निर्देश के साथ, दोनों टैबलेट उपलब्ध करा दीं। प्रधानाध्यापक ने बच्चों को खाने के पहले डिवारयिंग टैबलेट दी। डिवारमिंग टैबलेट के तुरन्त बाद उन्होंने बच्चों को फॉलिक एसिड भी दे दिया, चूंकि दोनों टैबलेट जब बच्चों के उदर में चली गई, तो उससे उनमें गैस फारमेशन हुआ और जब उनको मध्याह्न भोजन दिया गया, उस समय गैस फारमेशन होने की वजह से, उनको उल्टी, मितली शुरू हो गई और उल्टी-मितली शुरू होते ही यह सूचना वहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में गई, 108, 102 एम्बुलेन्स आई। 109 बच्चों को लेकर वहां गई। 100 बच्चे प्राथमिक चिकित्सा के बाद वहां पर छोड़ दिये गए। 9 बच्चे जिला अस्पताल भेजे गये। शासन ने तत्काल गंभीर कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिया और जिलाधिकारी ने सी0डी0ओ0, सी0एम0ओ0, बी0एस0ए0 की टीम बनाकर मौके पर भेजा, मौके पर हमने जांच कराई। प्रथमदृष्टया हमें अध्यापक की गलती लगी। हमने अध्यापक को निलंबित कर दिया और यही नहीं बच्चे बीमार हुए साथ-ही-साथ जो रसोइया, वहां पर खाना बनाती है प्रमिला, उसने भी उस टैबलेट को ले लिया था, उसकी भी तबीयत खराब हो गई, तो किसी दूषित भोजन की

वजह से घटना नहीं हुई है। यह जो इन लोगों ने टेबलेट देने में लापरवाही बरती उसके कारण हुई। हमने इसको और गंभीरता से लिया तत्काल वहां पर जो खाद्य सामग्री थी, सील करके उसको भेज दिया गया जांच के लिए और टैबलेट्स को भेज दिया गया, उसकी अभी अन्तरिम रिपोर्ट हमारे पास आई है और जैसे ही पूरी रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो जाएगी, हम उन अधिकारियों के खिलाफ क्योंकि दवा का परीक्षण हमें अलग से आगरा से कराना है। अभी इसको यहां से भेजा नहीं है और दिनांक 30.08.14 को गेहूं, चावल, अरहर दाल और तेल की जांच के लिए हमने नमूना भेज दिया है, फूड सेफ्टी ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यू0पी0 लखनऊ को और दवा का नमूना 10/2014 को भेजा जा चुका है, जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी, तदनुरूप तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। अब यह सरकार अपने पूरे सदन को पूरी अपनी मजबूत भावना के साथ आपको अवगत कराना चाहती है कि हम स्वच्छ भोजन, सुस्वाद भोजन और पौष्टिक भोजन यह देने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसके लिए हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने अभी कुछ नई योजनाएं भी बनाई हैं। उनको जल्दी-जल्दी हम शुरू करेंगे।

डा0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी का आभारी हूं कि प्रश्न के पहले भाग से सम्बन्धित घटनाक्रम को बड़े विस्तार से और की गई कार्यवाही से सदन को अवगत कराया है। पहले भाग के सम्बन्ध में तो मेरा एक प्रश्न है कि क्या उस डॉक्टर के जिसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और दवा को प्रधानाध्यापक को देकर चला गया। उनके विरुद्ध भी क्या कार्यवाही की संस्तुति स्वास्थ्य विभाग को की है यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न में जो प्रश्न का दूसरा भाग है उसके सम्बन्ध में करना चाहता हूं कि शासनादेश जारी करना, टॉस्क फोर्स गठित करना, मा0 मुख्य सचिव द्वारा भी एक आदेश जारी करना, इन सब के माध्यम से मॉनीटरिंग तो हो रही है, लेकिन अगर पहले भाग में दवा की गड़बड़ी से कठिनाई हुई है, यह घटना घटित हुई है, लेकिन इस बात से तो मना नहीं किया जा सकता कि छिपकली और कीड़ों के कारण भी मध्याह्न भोजन में कठिनाई हो रही है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि मध्याह्न भोजन में किसी भी कीटाणु के कारण जितनी घटनायें प्रदेश में हुई हैं और इस शासनादेश के जारी होने के बाद हुई हैं, उनके अन्तर्गत कितनी प्रभावी कार्यवाही की गई है सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध और उस टास्क फोर्स ने अगर कार्यवाही नहीं की है, तो उस टास्क फोर्स के अधिकारियों के विरुद्ध और भविष्य में वह संस्था जिसके अधीन यह मध्याह्न भोजन बना और कीड़े-मकोड़े निकले और बच्चों को खतरा हुआ, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और अपने यहां कार्य करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सम्मानित वाजपेयी जी को अवगत कराना चाहता हूं कि एक तो आपने 50 बच्चों का सवाल किया था सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है हमने किसी तथ्य को छुपाया नहीं है हमने 109 की संख्या आपके सामने प्रस्तुत की है और जो भी एक सवाल आपने किया कि क्या डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही हुई है ? चूंकि डाक्टर ने जो टेबलेट दी थी बच्चों को उस टैबलेट की जांच के लिए भी हमने सदन को अवगत कराया कि हमने उसको भेज दिया है जॉच के लिए जितनी शीघ्र रिपोर्ट वहां से आ जायेगी उतनी शीघ्र कार्यवाही होगी क्योंकि डाक्टर

दूसरे विभाग का है जैसे वहां से कोई रिपोर्ट आती है हम आपको और सदन को आश्वस्त करते हैं कि हम डाक्टर के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे और अभी एक सवाल आपने किया कि यह तो प्रश्न था दवाओं से, अक्सर घटनाएं हो जाया करती हैं कहीं छिपकली की बात आती है कहीं कोई बात आ जाती है अभी एक तात्कालिक घटना की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं 4 दिन पूर्व अभी सहारनपुर में एक घटना हुई और सहारनपुर की इस घटना में वहां का नुमाइश कैम्प विद्यालय है, नुमाइश कैम्प विद्यालय में जो भोजन की आपूर्ति होती है वह एक सघन संस्था एनजीओ के माध्यम से होती है। एनजीओ वालें वहां खाना लाकर रख दिये अध्यापक ने वही गलती की और अध्यापक की गलती की वजह से उसने ढक कर सुरक्षित रखा नहीं और उसमें चूहा गिर गया यह जानकारी मुझे मिली मैने तत्काल तीन अधिकारियों की टीम बनाकर डीएम को निर्देश दिया और उस निर्देश पर जांच कराई वहां के अध्यापक का सस्पेंशन हुआ, वहां के रसोइये का सस्पेंशन हुआ और साथ ही साथ वह संस्था जिसने प्रदूषित भोजन, तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन जिसने भोजन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं की थी उसको भी हमनें ब्लैकलिस्ट किया है और बहुत जल्दी हम एनजीओज के बारे में एक नई नीति लायेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि चिकित्सक के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही ?

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कहा है कि जांच करा रहे है।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, उन्होंने कहा कि औषधि की जॉच रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही करेंगे यदि औषधि में कोई कमी है तो उसके लिए चिकित्सक जिम्मेदार नहीं है उसके लिए आपूर्ति की संस्था सी0एम0डी0एस0 जो स्वास्थ्य विभाग का है वह जिम्मेदार होगा। चिकित्सक ने गलती की कि दवा जो उसको अपने सामने देनी चाहिए थी, खाली पेट नहीं देनी चाहिए थी दोनो टैबलेट एक साथ दे दी गयी इसके लिए उस चिकित्सक की लापरवाही है जो प्रधानाध्यापक को देकर चला गया इसके अपने कर्तव्यपालन में लापरवाही की है अभी दवा की गुणवत्ता की जांच और शुद्ध और अशुद्धता की जांच की बात तो बाद में आयेगी और उसके लिए जिम्मेदार दूसरे लोग होंगे मुझे कोई दवा सप्लाई हुई और उसको मुझे मरीज को देनी है उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं लेकिन क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे ऐसी परिस्थिति में उस चिकित्सक के खिलाफ क्या स्वास्थ्य विभाग को लिख कर समुचित कार्यवाही करने की बात कहेंगे ?

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

मान्यवर, जो सवाल माननीय वाजपेयी जी ने किया है हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दोष है कहां, दोष उस दवा में है कि दोष डाक्टर में है। पूरी बात आ जाने दें, वह अध्यापक या जो डाक्टर जो है वह शासकीय सेवा से बाहर नहीं हो गया हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर दोष दवा में है तो डाक्टर को गलत ढंग से क्यों सस्पेण्ड करें यह निश्चित हो जाय यह रिपोर्ट में आने

के बाद कि दवा सही है हम डाक्टर पर प्रभावी कार्यवाही करेंगे यह हमने सम्मानित सदन के सामने पहले ही रख दिया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी यह बच्चों से संबंधित मामला गम्भीर विषय है हमें आपका संरक्षण चाहिए। दवा की गुणवत्ता का तो प्रश्न ही नहीं है स्वयं मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि डाक्टर गलती कर गया प्रधानाध्यापक को गोली देकर दूसरे दिन नहीं आने के कारण तो मेरा निवेदन है कि उस चिकित्सक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे यह बताइये हॉ या ना में ?

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो टैबलेट दी उस टैबलेट में क्या कोई ऐसा गुण था जिसके नाते यह बच्चे बीमार हुए इसकी जांच हो रही है जब वह जांच हो रही है तो डाक्टर से पूछा जायेगा तो खत्म हो गयी बात।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, दवा की गुणवत्ता की बात तो बाद में चिकित्सक ने लापरवाही की है प्रथमदृष्टया लापरवाही की है और सरकार अगर इस पर स्वास्थ्य विभाग को लिख दे तो मैं समझता हूं कि कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

देख लीजिए आप इसको।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

जो भावना आपकी है उससे ज्यादा हम लोग बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार हैं, संवेदनशील हैं पूरी तरह से, हम डाक्टर को फौरी तौर पर नहीं छोड़ना चाहते। हम यह चाहते हैं कि हमारे पास यह आ जायेगा कि दवा ठीक थी तो डाक्टर के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक अध्यापकों की कमी की पूर्ति हेतु शिक्षकों की नियुक्ति का प्रकरण

*05-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक कुल कितने अध्यापकों की आवश्यकता है तथा कितने अध्यापक एवं शिक्षामित्र कार्यरत हैं ? क्या सरकार अध्यापकों की कमी दूर करने हेतु शिक्षकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 02 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान/गणित, सामाजिक अध्ययन एवं भाषा विषय के न्यूनतम 03 अध्यापकों की व्यवस्था है। साथ ही प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 30 छात्रों पर 01 अध्यापक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 35 बच्चों पर 01 अध्यापक की नियुक्ति का प्राविधान है, जिसके

क्रम में विद्यालयों में अध्यापकों की आवश्यकता के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से सूचना संकलित की जा रही है।

परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में (कक्षा-1 से 8 तक) कुल 333790 अध्यापक तथा 106403 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं।

जी हां।

यथाशीघ्र। नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहते हैं। मान्यवर, जरा देख लें। आज की कार्य सूची में स्पष्ट रूप से दिया है कि मैंने यह सवाल 11.9.2014 को लगाया था और आज 25-11-2014 है। दो महीने, ढाई महीने इस सवाल को लगाए हो गए और आज उत्तर यह आता है कि जो एक घंटे का काम था मान्यवर, जोड़-घटाने का, उसके लिये यह कहा गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्ष अधिकारी कार्यालयों से सूचना संकलित की जा रही है। मान्यवर, इस सरकार के पास टेलीफोन है, फैक्स है, इंटरनेट है और ई-मेल है और ये मानक कोई बहुत पुराने नहीं हैं। ये 30 और 35 का मानक नये नहीं हैं मान्यवर, बहुत पुराने मानक हैं और जहां तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का सवाल है, इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया कि पिछले वर्ष इसमें केवल 60 विद्यार्थी लिये गए एडमिशन जिनका हुआ और इस वर्ष केवल आठ लिये गए और उसमें दो और तीन अध्यापकों की नियुक्ति का प्रावधान है मान्यवर। कोई बहुत लम्बा-चौड़ा कैल्कुलेशन हमने नहीं पूछा था। मैंने केवल यह पूछा था कि कितने अध्यापकों की आवश्यकता है कक्षा-1 से 8 तक, तो ढाई महीने में इतनी संवेदनशील सरकार कि एक घंटे का कैल्कुलेशन नहीं कर पाए। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इसका हम कारण भी चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि कब तक उपलब्ध करा देंगे। इस सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में यह वायदा किया था कि हम सभी शिक्षा मित्रों को स्थायी करके नियुक्ति प्रदान कर देंगे तो कितने लोगों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई और अन्तिम सवाल मान्यवर कि एक तरफ तो बेरोजगारों की फौज खड़ी है और दूसरी तरफ शिक्षकों की आवश्यकता है तो यह कब तक ये शिक्षक जितने भी आवश्यक हैं इनकी नियुक्ति कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, बता दीजिये, कब तक नियुक्ति कर देंगे।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

मान्यवर, यह जो आपने कहा कि सूचनाएं संकलित की जा रही हैं। मान्यवर, अगर आप पढ़ेंगे हमारे जवाब को, जिस पत्र का हमने आपको हवाला दिया है उस पत्र के माध्यम से जो नया आर0टी0आई0 एक्ट है। उसका जो मानक है कि प्राईमरी में 30 छात्रों पर एक अध्यापक, जूनियर में 35 पर एक अध्यापक । सितम्बर 2014 को अभी तक क्या स्थिति है हमारे पूरे प्रदेश में अध्यापकों के, छात्रों के नामांकन के बाद, इस सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है, वह मैं

आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं वह यह है कि हम यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि विद्यालयवार छात्रों की संख्या का निर्धारण करके जो सितम्बर, 2014 में नामांकन हुये हैं, उनके आधार पर हम अध्यापकों का पद सृजन करने जा रहे हैं, यह स्थिति है पूरे प्रदेश में, कि किसी विद्यालय में ज्यादा अध्यापक हैं, किसी विद्यालय में कम अध्यापक हैं। अध्यापकों की नियुक्ति को संतुलित रखने के लिये हम सितम्बर, 2014 को इस प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में जितने छात्र थे, उन छात्रों के अनुसार अध्यापकों के पद सृजन करने जा रहे हैं, मैनें इसकी सूचना संकलित करने की आपसे बात की थी ।

मैं आपकी जानकारी में यह भी लाना चाहता हूँ कि इस समय हमारे पास प्रदेश में एक लाख तेरह हजार परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं, 46,133 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालयों में 2 लाख 32 हजार 859 शिक्षक हैं । एक लाख 6 हजार 403 शिक्षा मित्र हैं और इसी तरह से जो अभी आपने कहा कि अध्यापकों की क्या कमी है, उसके संबंध में बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के जाने के बाद इस प्रदेश में जब हम लोगों को कुव्यवस्था विरासत में मिली, उस समय पौने तीन लाख अध्यापकों की हमारे पास कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर यह सरकार संकल्पबद्व है और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमने 72,825 विशिष्ट बी0टी0सी0 की भर्ती प्रारम्भ कर दी है, तीसरी काउन्सिलिंग हो गयी है और चौथी काउन्सिलिंग होने जा रही है। इसी के साथ, 10 हजार शिक्षकों की भर्ती हम कर रहे हैं। पन्द्रह हजार अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती हम कर रहे हैं और 10 हजार बी0टी0सी0 की भर्ती गतिमान है और साथ ही साथ जो सवाल आपने शिक्षामित्रों के बारे में किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी ने घोषणा-पत्र में जो वायदा किया था, मुख्य मंत्री जी ने उसका शतप्रतिशत पालन किया है और एक लाख 70 हजार शिक्षामित्र हमारे पास कार्यरत थे और प्रथम चरण में हमने 58,903 शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण पूर्ण करा करके उनको अध्यापक का दर्जा दे दिया है और उसी के साथ द्वितीय चरण में 92,000 शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण चल रहा है जो दिसम्बर, 2014 में पूर्ण हो जायेगा और पूर्ण होते ही उनके समायोजन की कार्यवाही की जायेगी । इसी के साथ तृतीय चरण में लगभग 14,400 शिक्षामित्र बचते हैं, उनका प्रशिक्षण भी चल रहा है और 2015-2016 में उनके भी समायोजन की कार्यवाही हो जायेगी। इस प्रकार 2015-2016 आते-आते कोई भी शिक्षामित्र, शिक्षामित्र के रूप में नहीं, अध्यापक के रूप में समायोजित हो जायेगा ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जो मुख्य प्रश्न था कि कितने पद रिक्त हैं, उसका जवाब नहीं आया। दूसरा सवाल यह है कि प्रदेश में ऐसे कितने विद्यालय हैं जो शिक्षकों के अभाव में बंद हैं, सबसे अहम सवाल यह है मान्यवर। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कुल कितने अध्यापकों की आवश्यकता है और शिक्षकों के इंतजार में कितने विद्यालय बन्द हैं ?

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

मान्यवर, प्रदेश में एक भी विद्यालय शिक्षकों के अभाव में बंद नहीं है और जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कितने पद रिक्त हैं तो अभी जब पद सृजन नहीं हुआ है तो रिक्ति का प्रश्न नहीं उठता है। दूसरी बात, जो हमने समयसारिणी दी है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी में भी लाना चाहता हूं कि 17-11-2014 से लेकर 12-12-2014 के बाद हमारा पद सृजन पूरा हो जायेगा

और पद सृजन पूरा होने के बाद हम प्रत्येक विद्यालय में आर0टी0आई0 ऐक्ट के अनुसार जितनी अध्यापकों की संख्या होगी, उसके अनुरूप अध्यापकों की भर्ती करेंगे। एक चीज इसमें और जोड़ना चाहता हूं कि 15 हजार बी0टी0सी0 अध्यापकों की नियुक्ति की हमें माननीय मुख्य मंत्री जी के स्तर से सैद्धान्तिक सहमति मिल चुकी है और अतिशीघ्र ही हम 15 हजार अध्यापकों की और भर्ती करने जा रहे हैं ।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

ऐसा कोई विद्यालय हो तो नाम बता दें ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

एक विद्यालय गढीगाड़ीपुरा में है जो शिक्षक के अभाव में बंद पड़ा है स्पष्ट रूप से मैं आपको नाम देकर बता रहा हूं उसको दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष जी-

आप लिख करके दे दीजिए, हम भिजवा देंगे।

*06-श्री मनीष असीजा-

[8वें शुक्रवार के तारां0प्र0सं0-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*07-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

व्यवसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास तथा नई सोच और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र की तर्ज पर राज्य में सेवा आयोग का गठन किया जाना

*08-श्री धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि व्यवसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास के साथ नयी सोच और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र की तर्ज पर प्रदेश सरकार द्वारा सेवा आयोग का गठन किया जायेगा ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

व्यवसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास के साथ नई सोच और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र सरकार की तर्ज पर सेवा आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में नहीं है। राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 कौशल विकास मिशन का गठन जुलाई, 2013 में कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मान्यवर, इन्होंने प्रदेश सरकार के कौशल विकास के गठन को 2013 में कर दिया है ऐसा उत्तर दिया है मान्यवर, हमारा प्रश्न है क्या सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र में वर्ष 2014 में युवाओं को कितनी नौकरियां दी गईं प्रश्न नम्बर एक, प्रश्न नम्बर दो उत्तर प्रदेश

बीमारी राज्यों की सूची में सबसे नीचे है क्या सरकार कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न एक स्पेसिफिक इश्यू पर है और यह क्योंकि उसकी परिधि में नहीं आता इसलिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपसे पहले से देख रहा था यह प्रश्न स्वीकार नहीं है यदि कोई दूसरा प्रश्न हो तो कीजिए।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, ये प्रदेश के युवाओं से जुड़ा विषय है हम आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहते हैं कौशल विकास के लिए जो व्यक्ति कक्षा आठ पास नहीं कर पाया या कक्षा आठ पास करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र का है, वो बैठ गया, नौकरी की तलाश में भटक रहा है तो मान्यवर आपके माध्यम से हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार कोई कौशल विकास करके क्या ऐसे लोगों को कोई प्रशिक्षण देकर रोजी-रोजगार से जोड़ने का प्रयास करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय मंत्री का सुझाव है, अच्छा सुझाव है।

श्री धर्मपाल सिंह-

आप उस विषय को समझेंगे पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सिर्फ यह कहकर इसको गंभीर कर दिया कि माननीय सदस्य का सुझाव है सवाल सुझाव पर कार्य करती है तो यह सरकार इस सुझाव पर कार्य क्या करेगी ? माननीय अध्यक्ष जी हम आपका संरक्षण भी चाहते हैं सरकार से हम यह जानना भी चाहते हैं कि सुझाव पर सरकार क्या कुछ कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष जी-

इन्होंने आपके सुझाव को सुन लिया अब कार्यवाही करना उनका काम है ?

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये पशुओं के चारे की समुचित उपलब्धता हेतु खाद्य संस्था की तर्ज पर चारा कानून बनाये जाने विषयक प्रकरण

*09-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये पशुओं के चारे की समुचित उपलब्धता हेतु खाद्य संस्था की तर्ज पर चारा कानून बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

खाद्य सुरक्षा की तर्ज पर पशुओं के लिये चारे की समुचित उपलब्धता हेतु सरकार में कानून बनाने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु हरा चारा उत्पादन की योजनायें संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि प्रदेश में सूखा चारा लगभग पर्याप्त है। हरे चारे की कमी को दूर करने के लिये केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार द्वारा चारा विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

श्री संजय प्रताप जयसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी का जवाब सुनने के बाद जो समस्या गंभीर है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के जो भी कार्यक्रम चला रही है उससे दुग्ध उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। इस पर मेरा सवाल यह है कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की जो समस्या है क्या उस पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी क्योंकि जो भी सरकार की अभी तक योजनाएं चल रही हैं पशुधन विभाग द्वारा उसमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए मिनीकिट का वितरण होता था लेकिन अब यह वितरण बन्द है क्या सरकार इस वितरण को फिर से चालू करेगी मेरे यह दो सवाल हैं।

श्री राज किशोर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव है कि मा0 जायसवाल जी पहले एक डेयरीफार्म खोल लें।

श्री अध्यक्ष-

वह तेल तो बेच ही नहीं पा रहे हैं तो डेयरी कहां से चलायेंगे।

श्री राज किशोर सिंह-

दूसरी चीज अभी इन्होंने कहा कि दो साल से यह सरकार बनी है और दूध में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अभी उस दिन सदन में मैंने बयान दिया था कि 31 हजार लीटर की वृद्धि दूध में हुई है और पशुओं की संख्या बढ़ी है। दूसरे इन्होंने कहा कि मिनीकिट बन्द हो गये हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के सहयोग से उन्नतिशील प्रजातियों के चाराबीज मिनीकिट पशुओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं वह आज भी कराये जा रहे हैं माननीय सदस्य को यह भी जानकारी नहीं है इसीलिए मैंने कहा कि एक डेयरीफार्म खोल लें तो सारी जानकारी हो जायेगी।

श्री संजय प्रताप जयसवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी चूंकि बस्ती जनपद के ही हैं और बहुत प्रभावशाली हैं और पड़ोसी भी हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इनका जो सुझाव है दुग्ध डेयरी खोलने के लिए तो मैं चाहूंगा कि इनकी तरफ से हम लोगों को प्रस्ताव मिल जाए तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हर विधान सभा में डेयरी खुल जाए ताकि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ जाए।

श्री अध्यक्ष-

कोई कायदे का सवाल पूछिये ना, आप नये सदस्य हैं आप इसमें पढ़कर देखो कि कौन सा सवाल बन रहा है। आपने सीधे पूछा है कि पशुओं के चारे की समुचित उपलब्धता हेतु खाद्य संस्था की तर्ज पर चारा कानून बनाने पर क्या सरकार विचार करेगी तो आप इससे सम्बन्धित प्रश्न पूछिये ना कि क्या कोई कानून इस प्रकार का बनाया जायेगा।

श्री संजय प्रताप जयसवाल-

मान्यवर, ऑलरेडी इन्होंने कह दिया कि हम कोई नीति नहीं बना रहे हैं तो हम क्या पूछें।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न समाप्त हो गये।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-09 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-चमरउवा में ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही भीषण पेयजल समस्या को देखते हुए इण्डिया मार्का हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने सम्बन्धित

1-श्री अली यूसूफ अली-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-चमरउवा के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही भीषण पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुये क्या सरकार उक्त क्षेत्र में 500 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप)-

जनपद-रामपुर के विकास खण्ड चमरउवा के ग्रामीण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनसंख्या-222623 है तथा वर्ष 2013 की जनसंख्या लगभग 23617 है। उक्त विकास खण्ड में मानकानुसार आवश्यक 1544 नग हैण्डपम्पों के सापेक्ष दिनांक 31-03-2014 तक 2345 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। अतः उक्त विकास खण्ड हैण्डपम्पों से संतृप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसीलों में रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प शुल्क के साथ-साथ 02 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में लिये गये राजस्व की 5 वर्षों की स्थिति तथा उस धन के व्यय की जानकारी

2-श्री अली यूसूफ अली-

क्या स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसीलों में रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प शुल्क के साथ-साथ 02 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में लिया जाता है यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में कितना राजस्व प्राप्त हुआ तथा उससे किन-किन क्षेत्रों के विकास में व्यय किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां। विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों से सम्बन्धित अन्तरण विलेखों से 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी वसूली जाती है। पिछले 5 वर्षों में रु0 22,66,51,456.00 (रुपये बाईस करोड़, छियासठ लाख इक्यावन हजार चार सौ छप्पन मात्र) का राजस्व प्राप्त हुआ तथा इसका व्यय जनपद के नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना विकास के कार्यों यथा सड़कों, गलियों एवं नालियों आदि के निर्माण में किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

गुलरिहा गाजीपुर सम्पर्क मार्ग से भूपानी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण हेतु धन अवमुक्त करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

3-श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुलरिहा गाजीपुर सम्पर्क मार्ग से भूपानी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण हेतु धन अवमुक्त करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र जो मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या पीजी-10224971 पत्रांक संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10224971/

2013, दिनांक 27-02-2013 प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नगत कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लेने हेतु पत्रावली लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र के गुलरिहा गाजीपुर सम्पर्क मार्ग से भूपानी (लक्ष्मण घाट) तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण हेतु धन अवमुक्त करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

4-श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र के गुलरिहा गाजीपुर सम्पर्क मार्ग से भूपानी (लक्ष्मण घाट) तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण हेतु धन अवमुक्त करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र जो मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या पीजी-10239951, पत्रांक संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10239951/2013, दिनांक 21-03-2013 प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रस्तावित निर्माण कार्य पर यथोचित निर्णय लेने हेतु पत्रावली लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के क्षेत्र कैसरगंज में गुलरिहा घाट से भूपानी घाट तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

5-श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज, जनपद बहराइच में गुलरिहा घाट से भूपानी घाट तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र जो मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या पीजी-10349725 पत्रांक संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10349725/2013, दिनांक 25-09-2013 प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर यथोचित निर्णय लेने हेतु पत्रावली लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत आवंटित धन का विवरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, की गई कार्यवाही की जानकारी

6-डा0 अरूण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत आवंटित धन का विवरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5 नं0 270525, दिनांक 30-09-2014 जिला अधिकारी, जनपद बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, संस्कृति (राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अरूण कुमारी कोरी)-

जी हां।

राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना-सबला जनपद बरेली में संचालित नहीं है। जिला कार्यक्रम अधिकारी बरेली ने अपने पत्र संख्या-936-37/जि0का0अ0/बा0वि0परि0/2014-15, दिनांक 29-10-2014 द्वारा मा0 विधायक महोदय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की सदर तहसील में वित्तीय वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 हेतु प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण कार्य विशयक प्रश्नकर्ता का पत्र, की गई कार्यवाही की जानकरी

7-डा0 अरूण कुमार-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की सदर तहसील में वित्तीय वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 हेतु प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण कार्य विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5-नं0-270584 दिनांक 30-09-2014 मुख्य विकास अधिकारी, जनपद-बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30-09-2014 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, जनपद बरेली से जनपद बरेली की सदर तहसील में वित्तीय वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 हेतु प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित व स्वीकृत मार्गों का विवरण, उन पर किया गया कार्य तथा व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी।

प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, प्र0प0, लोक निर्माण विभाग, बरेली द्वारा अपने पत्र संख्या-2099/6एमजी, दिनांक 11-11-2014 के माध्यम से प्रश्नकर्ता को वांछित सूचना पोषित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्रामझील जाटव, विकास खण्ड बरौली अहीर के प्राथमिक विद्यालय में बाउन्ड्रीवाल का बनाया जाना

8-श्री काली चरन सुमन-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम झील जाटव, विकास खण्ड बरौली अहीर का प्राथमिक विद्यालय जिसकी बाउन्ड्रीवाल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राथमिक विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

जी हां।

बाउण्ड्रीवाल हेतु सर्वशिक्षा अभियान की वर्ष 2014-15 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में प्रस्ताव किया गया था। भारत सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में बाउण्ड्रीवाल की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण बाउण्ड्रीवाल का निर्माण नहीं कराया जा सका है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पथौली, विकास खण्ड विचपुरी में पेयजल की टी0टी0एस0पी0 टंकी को ठीक कराया जाना

9-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पथौली, विकास खण्ड बिचपुरी में पेयजल की पूर्ति हेतु टी0टी0एस0पी0 टंकी लगी हुई है, वह काफी समय से बंद है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बन्द पड़ी टी0टी0एस0पी0 टंकी को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

संदर्भित टी0टी0एस0पी0 ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित है, जिसकी मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम वरपुरा रोहता, विकास खण्ड बरौली अहीर में लगी पेयजल पानी की टंकी का मरम्मत कराया जाना

10-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम वरपुरा रोहता विकास खण्ड बरौली अहीर में पानी की बड़ी टंकी लगी हुई है जो काफी समय से बन्द है जिससे गांव के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बन्द पानी की टंकी को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

संदर्भित टी0टी0एस0पी0 ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित है, जिसकी मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नगला विधि (नैनाना जाट) मुस्लिम बस्ती में टी0टी0एस0पी0 टंकी को चालू किया जाना

11-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नगला विधि (नैनाना जाट) मुस्लिम बस्ती में टी0टी0एस0पी0 टंकी लगी हुई है, वह काफी समय से बंद है ? जिससे गावं के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बन्द टी0टी0एस0पी0 टंकी को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

संदर्भित टी0टी0एस0पी0 ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित है, जिसकी मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम अम्बेडकरनगर (नैनाना जाट) में श्री रोशन लाल के मकान के पास टी0टी0एस0पी0 टंकी को चालू कराया जाना

12-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम अम्बेडकर नगर (नैनाना जाट) में श्री रोशन लाल के मकान के पास टी0टी0एस0पी0 टंकी लगी हुई है, जो वह काफी समय से बंद है ? जिससे लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बन्द टी0टी0एस0पी0 टंकी को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

जी हां।

दिसम्बर, 2014 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के बाढ़ग्रस्त पीड़ित लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र, की गई कार्यवाही की जानकारी

13-श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैसरगंज जनपद बहराइच के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिये आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या पीजी-10032316, पत्रांक संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0 10032316/2012, दिनांक 11-05-2012 आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा के संदर्भगत पत्र दिनांक 11-05-2012 में कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र बहराइच के घाघरा एवं सरयू नदी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित कर नदी के बांध के पास कालोनी निर्माण कर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कालोनी का निर्माण नहीं किया जाता है, अपितु इन्दिरा आवास एवं लोहिया ग्रामीण आवास हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के आलोक में लाभार्थियों का चयन कर उन्हें इन्दिरा आवास एवं लोहिया आवास उपलब्ध कराया जाता है। जनपद बहराइच के बाढ़ ग्रस्त विकास खण्ड कैसरगंज में 288 लाभार्थियों, विकास खण्ड फखरपुर में 548 लाभार्थियों एवं विकास खण्ड जरवल में 74 लाभार्थियों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराया गया है।

जनपद संत कबीर नगर के बिन्दुराय बालिका इण्टर कालेज बसवारी गांव सिकरीगंज के भवन निर्माण एवं बाउन्ड्रीवाल हेतु आर्थिक सहयोग देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

14-श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिन्दू राय बालिका इण्टर कालेज बसवारी गांव, सिकरीगंज, जनपद संतकबीर नगर के भवन निर्माण एवं बाउन्ड्रीवाल हेतु आर्थिक सहयोग देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या पीजी 10128676, पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0-10128676/2012, दिनांक 18-09-2012 प्रमुख सचिव/ सचिव माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री महबूब अली)-

जी हां।

प्रश्नगत विद्यालय को भवन एवं बाउण्ड्रीवाल के निर्माण विषयक कोई योजना माध्यमिक शिक्षा विभाग में संचालित नहीं है जिसके फलस्वरूप विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्तर से अनुदान दिया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है।

प्रश्नगत विद्यालय को बी0आर0जी0एफ0 योजना से अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 18-9-2012 के क्रम में पंचायती राज विभाग द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार बी0आर0जी0एफ0 योजना में जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं एवं नागर निकायों के माध्यम से तैयार की गई योजनाओं को जिला स्तर पर जिला योजना समिति के अनुमोदन के पश्चात् भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में सीधे शासन स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। तद्नुसार परियोजना निदेशक, बी0आर0जी0एफ0 के पत्र दिनांक 11-1-2013 द्वारा वस्तुस्थिति से आवेदक को अवगत कराये जाने हेतु अपर मुख्य अधिकारी/नोडल अधिकारी, जिला पंचायत, संत कबीर नगर को नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के सदर तहसील में वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों के विवरण विषयक प्रश्नकर्त्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

15-डा0 अरूण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बरेली के सदर तहसील में वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु डा0 राम मनोहर लोयिा समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों के विवरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5 नं0-270535 व 270536 दिनांक 30-09-2014 मुख्य विकास अधिकारी, जनपद-बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद बरेली की सदर तहसील के विकास खण्ड भोजीपुरा के राजस्व ग्राम बिलवा, ईशापुर, खजुआ जागीर, नौगवां घाटमपुर एवं क्यारा विकास खण्ड के अन्तर्गत राजस्व ग्राम खजुहाई मुस्तकिल चयनित किये गये हैं। यह ग्राम सम्पर्क मार्ग निर्माण आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना/भवन निर्माण, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना/भवन निर्माण मद में पूर्व से ही संतृप्त हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण आन्तरिक गलियों का निर्माण स्वच्छ पेयजल योजना वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित कार्य धनाभाव के कारण अभी नहीं कराये जा सके हैं। लाभार्थीपरक योजनाओं यथा-एन0आर0एल0एम0, निःशुल्क बोरिंग, विकलांग पेंशन, मृदा परीक्षण कार्यक्रम, पट्टा आवंटन, किसान क्रेडिट कार्ड वितरण, पशुओं का टीकाकरण, बीज प्रतिस्थापन कार्यक्रम (खरीफ) के अन्तर्गत शतप्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है। अन्य लाभार्थीपरक योजनाओं में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराये जा रहे हैं। उक्त सम्बन्ध में पूर्ण विवरण जिला विकास अधिकारी, बरेली के पत्र दिनांक 11-11-2014 द्वारा मा0 सदस्य को भेजा जा चुका है।

उक्त के अतिरिक्त तहसील सदर के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 मे विकास खण्ड क्यारा के ग्राम खजुहाई मुस्तकिल में 05 एवं विकास खण्ड भोजीपुरा के ग्राम ईशापुर में 01, नौगवां घाटमपुर में 06, खजुआ जागीर में 03 एवं बिलवा में 01 लोहिया आवास चयनित हैं। इन ग्रामों के उक्त 16 लाभार्थियों को प्रथम किस्त की धनराशि के रूप में रु0 19.60 लाख की धनराशि भेजी जा चुकी है। उक्त के सम्बन्ध में वांछित विवरण परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बरेली के पत्र दिनांक 11-11-2014 द्वारा मा0 सदस्य को उपलब्ध कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

16-श्री रोशन लाल वर्मा-

[2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0-182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ब्लाक सल्टौआ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय जगतापुर के कक्षा-6 से कक्षा-8 तक के छात्रों को विगत दो-तीन वर्षों से वजीफा की धनराशि के भुगतान का प्रकरण

17-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ब्लाक सल्टौआ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जगतापुर के कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को विगत दो तीन वर्षों से वजीफा की धनराशि नहीं प्राप्त हो रही है ? क्या सरकार को जानकारी है कि जगतापुर विद्यालय की छात्रवृत्ति धनराशि पूर्व मा0 विद्यालय अगया को भेज दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पू0मा0 विद्यालय जगतापुर के छात्रों को छात्रवृत्ति का समय से भुगतान किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

छात्रवृत्ति की धनराशि पूर्व माध्यमिक विद्यालय जगतापुर के खाते में ही सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रति वर्ष प्रेषित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली अन्तर्गत जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय बासखोर में पीने के पानी तथा शौचालय का निर्माण कराया जाना

18-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रूधौली, जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली अन्तर्गत जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय बासखोर में छात्र-छात्राओं के पानी पीने की तथा शौचालय की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में छात्र-छात्राओं

को पीने के लिये पानी तथा शौच के लिये शौचालय का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

जी नहीं। जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय बासखोर बस्ती में एक इण्डिया मार्का-2 व एक सामान्य हैण्डपम्प तथा दो शौचालय की व्यवस्था है जिनका प्रयोग किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग वर्तमान में निर्माणाधीन है। भारत सरकार से पूर्व में प्रदेश के उच्चीकरण से सम्बन्धित समस्त कार्यों का पुनः क्रस्ट वेरीफिकेशन कराने के निर्देशों के कारण व्यतीत हुए समय तथा तत्पश्चात् अपेक्षित धनराशि प्राप्त न हो सकने के कारण उक्त मार्ग का निर्माण निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं हो सका है। उक्त मार्ग हेतु अभी तक कुल रु0 115 लाख प्राप्त हुए हैं जिसका उपयोग किया जा चुका है।

मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि भारत सरकार से अपेक्षित धनराशि प्राप्त होने पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत दुबौली से कसामल होकर अहरौला तक निर्माणाधीन मार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण कराया जाना

19-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत दुबौली से कसामल होकर अर्हरौला तक निर्माणाधीन लगभग 11 कि0मी0 मार्ग की निर्धारित लागत 3 करोड़ 74 लाख 13 हजार रुपये तथा सड़क के पूर्ण हो जाने की अवधि 31 अगस्त, 2014 निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त सड़क अभी अर्धनिर्मित है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

स्टेट हाई-वे 26 से अहिरौला तक निर्माणाधीन मार्ग (उक्त मार्ग का उल्लेख प्रश्न में दुबौली से कसामल होते हुए अहरौला तक सम्पर्क मार्ग के नाम से किया गया है) जिसकी कुल लम्बाई 10.55 कि0मी0 तथा अनुबन्धित लागत रु0 374.13 लाख है, के अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण होने की तिथि 31-08-2014 निर्धारित है।

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग वर्तमान में निर्माणाधीन है। भारत सरकार से पूर्व में प्रदेश के उच्चीकरण से सम्बन्धित समस्त कार्यों का पुनः क्रस्ट वेरीफिकेशन कराने के निर्देशों के कारण व्यतीत हुए समय तथा तत्पश्चात् अपेक्षित धनराशि प्राप्त न हो सकने के कारण उक्त मार्ग का निर्माण निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं हो सका है। उक्त मार्ग हेतु अभी तक कुल रु0 115 लाख प्राप्त हुए हैं जिसका उपयोग किया जा चुका है।

मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि भारत सरकार से अपेक्षित धनराशि प्राप्त होने पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में वित्तीय वर्ष 2013-2014 में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के विवरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

20-डा0 अरूण कुमार-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में वित्तीय वर्ष 2013-14 में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के विवरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5-नं0-270516, दिनांक 19-09-2014 अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग बरेली को प्रेषित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19-9-2014 द्वारा जनपद बरेली में वित्तीय वर्ष 2013-14 में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत कहां-कहां कितनी लम्बी सड़कों का निर्माण हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में उक्त योजनान्तर्गत किन-किन सड़कों के निर्माण हेतु कितना धन आवंटित हुआ है, के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बरेली द्वारा अपने पत्र संख्या-4228/8कॉम (प्र0प0)/14, दिनांक 11-11-2014 के माध्यम से प्रश्नकर्ता को वांछित सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड करछना के अन्तर्गत ग्राम हथसरा (लोहिया समग्र गांव) में आवास आवंटन में की जा रही धांधली विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

21-श्री दीपक पटेल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड करछना के अन्तर्गत ग्राम हथसरा (लोहिया समस्त गांव) में आवास आवंटन में की जा रही अनियमितता की जांच के संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी इलाहाबाद को भेजे गये पत्र दिनांक 08-09-2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

मा0 सदस्य विधान सभा का सन्दर्भगत पत्र दिनांक 08-09-2014 जिलाधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नगला तल्फी (सिकन्दरपुर) विकास खण्ड बरौली अहीर में टी0टी0एस0पी0 पानी की टंकी चालू कराया जाना

22-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नगला तल्फी (सिकन्दरपुर) विकास खण्ड बरौली अहीर में टी0टी0एस0पी0 पानी की टंकी लगी हुई है जो काफी समय से बंद है जिससे गांव के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध न होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बंद टी0टी0एस0पी0 टंकी को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

जी हां।

दिसम्बर, 2014 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम ग्रामरी (पंचायत घर अम्बेडकर पार्क) विकास खण्ड अकोला में बन्द पड़ी टी0टी0एस0पी0 पानी की टंकी को ठीक कराया जाना

23-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम ग्रामरी (पंचायत घर अम्बेडकर पार्क) विकास खण्ड अकोला में टी0टी0एस0पी0 पानी की टंकी लगी हुई है जो काफी समय से बंद है जिससे लोगों को पीने का पानी उपलब्ध न होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बंद टी0टी0एस0पी0 टंकी को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

संदर्भित टी0टी0एस0पी0 ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित है, जिसकी मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम गोला (इकथरा) प्राथमिक स्कूल के पास विकास खण्ड बरौली अहीर में हैण्डपम्प का अधिष्ठापन कराकर चालू किया जाना

24-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम गोला (इकथरा) प्राथमिक स्कूल के पास विकास खण्ड बरौली अहीर में हैण्डपम्प रिबोर के लिए बोरिंग हो चुका है किन्तु हैण्डपम्प का अधिष्ठापन अभी तक नहीं हुआ, जिससे स्कूल के छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हैण्डपम्प का अधिष्ठापन कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

जी हां।

दिसम्बर, 2014 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम करभना कोठार (करभना) विकास खण्ड बरौली अहीर के प्राथमिक विद्यालय में लगे हैण्डपम्प को ठीक कराया जाना

25-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम करभना कोठार (करभना), विकास खण्ड बरौली अहीर के प्राथमिक विद्यालय में लगे हैण्डपम्प खराब हैं, जिससे स्कूल के छात्रों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब हैण्डपम्प को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

जी हां।

दिनांक 30-11-2014 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षों का निर्माण कार्य एवं चहार दीवारी का कार्य कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

26-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जनपद चन्दौली के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षों का निर्माण कार्य एवं चाहर दीवारी का कार्य कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-5 नं0-321882, दि0 16-8-14 जिलाधिकारी, चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

जी हां।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चन्दौली की आख्यानुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत जनपद चन्दौली के प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों एवं चहारदीवारी के निर्माण हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। अतः जनपद चन्दौली के किसी भी प्राथमिक विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत कक्षा-कक्ष एवं चहारदीवारी का निर्माण नहीं कराया गया है।

उक्तवत्।

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक-ईसानगर में स्थित पशु सेवा केन्द्र का जर्जर भवन की मरम्मत कर दवा आदि की व्यवस्था कराये जाने विषयक

27-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के ब्लाक-ईसानगर में स्थित पशु सेवा केन्द्र का भवन जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पशु सेवा केन्द्र भवन का नवनिर्माण/ मरम्मत कराकर दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह-

जी हां। ब्लाक ईसानगर में दो पशु सेवा केन्द्र स्थापित है। पशु सेवा केन्द्र हसनपुर कटौली का भवन निर्मित नहीं है तथा पशु सेवा केन्द्र लाखुन का भवन जर्जर है, जो निष्प्रयोज्य घोषित हो चुका है। उक्त संस्थायें किराये के भवन में संचालित है।

पशु सेवा केन्द्र हसनपुर कटौली/लाखुन के भवन निर्माण का प्रस्ताव जिला योजना समिति में स्वीकृत किया गया है। योजना में बजट उपलब्ध होने पर नव निर्माण कराया जा सकेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष मद में कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के मानिकपुर के अन्तर्गत उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु स्वीकृत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मार्गों के निर्माण में भारी अनियमितताओं विषयक प्रश्नकर्त्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

28-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चित्रकूट के मानिकपुर के अन्तर्गत उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु स्वीकृत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मार्गों के निर्माण में भारी अनियमितताओं विषयक लोक निर्माण मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक 446 दिनांक 23-7-2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

प्रश्नकर्त्ता द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से जनपद चित्रकूट में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण हेतु प्रयोग की जा रही सामग्री की उचित गुणवत्ता होने के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुये निर्मित कराये जा रहे निम्नलिखित 03 मार्गों की जांच अधिकार प्राप्त टीम से कराने का आग्रह किया गया था-

1-राजापुर सरैया मार्ग से कोबारा मार्ग (कि0मी0 4.000 से 8.500)।

2-हटवा से हनुमानगंज मार्ग।

3-राजापुर सरैया मार्ग (कि0मी0 5.000 से 9.000) कारण जांच नहीं की गयी।

4-हटवा हनुमानगंज मार्ग एवं राजापुर सरैया मार्ग चैनेज 5.000 कि0मी0 से 9.000 कि0मी0 की जांच एन0आर0आर0डी0ए0 द्वारा भेजे गये नेशनल क्वालिटी मानीटर श्री एस0एल0 राव जाधव द्वारा दिनांक 24-05-2014 को की गयी, जिसमें कोई कमियां इंगित नहीं की गयीं।

5-इं0 पी0सी0 पाण्डेय, स्टेट क्वालिटी मॉनीटर द्वारा दिनांक 27-09-2014 को राजापुर सरैया मार्ग चैनेज 5.000 से 9.000 कि0मी0 पर जी-3 एवं पी0सी0 की जांच की गयी, जो मानक के अनुसार पायी गयी।

6-हटवा हनुमानगंज मार्ग एवं राजापुर सरैया मार्ग की जी-2 एवं स्क्रीनिंग मटैरियल की जांच इं0 ए0पी0 शुक्ला, स्टेट क्वालिटी मानीटर द्वारा क्रमशः दिनांक 14-01-2014 एवं 15-01-2014 को की गयी, जो मानक के अनुरूप पायी गयी।

7-हटवा हनुमानगंज मार्ग एवं राजापुर सरैया मार्ग पर ड्रेनेज लेयर (मोटा बालू) जी0एस0बी0 ग्रेड-3 की जांच इं0 दिनेश्वर दयाल, स्टेट क्वालिटी मॉनीटर द्वारा क्रमशः दिनांक 15-03-2014 एवं 14-03-2014 को की गयी, जो मानक के अनुरूप पायी गयी।

8-हटवा हनुमानगंज मार्ग एवं राजापुर सरैया मार्ग पर इं0 रामानन्दराम अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त लो0नि0वि0, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 28-08-2014 को जी-3 ड्रेनेज लेयर (मोटा बालू) जी0एस0बी0 ग्रेड-3 एवं पी0सी0 की जांच की गयी, जो मानक के अनुरूप पायी गयी।

उक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत तीनों मार्गों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है और इसकी सूचना प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन को भी मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई क्षेत्र, लो0नि0वि0, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 12-11-2014 के माध्यम से प्रेषित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्त्ता के पत्र में जिन बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है, उन समस्त बिन्दुओं पर जांच करा दी गयी है। केन नदी की बालू की अनुपलब्धता के कारण इलाहाबाद वृत्त द्वारा अनुमोदित महेवा घाट क्वैरी की बालू प्रयुक्त की गयी, जिसकी ग्रेडिंग उपरोक्त जांच में मानक के अनुरूप पायी गयी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिये त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार लागू है, जिसमें प्रथम स्तर पर विभागीय पर्यवेक्षकीय अधिकारयों द्वारा द्वितीय स्तर पर राज्य स्तर पर नामित स्टेट क्वालिटी मॉनीटर्स द्वारा तथा तृतीय स्तर

पर भारत सरकार द्वारा नामित नेशनल क्वालिटी मॉनीटर द्वारा मार्गों की गुणवत्ता की जांच कराये जाने का प्राविधान है। यह भी उल्लेखनीय है कि मार्गों की गुणवत्ता संतोषजनक प्रमाणित होने के पश्चात् ही किसी कार्य का अन्तिमीकरण किया जाता है। प्रश्नकर्त्ता के उक्त पत्र दिनांक 23-07-2014 की तिथि को उक्त मार्गों की भौतिक स्थिति निम्नानुसार थी-

1-राजापुर सरैया से कोबरा मार्ग-इस मार्ग पर कोई कार्य नहीं हुआ था।

2-हटवा से हनुमानगंज मार्ग-इस मार्ग पर 2.000 कि0मी0 लेपन स्तर पर एवं 2.700 कि0मी0 जी-2 तक कार्य पूर्ण था।

3-राजापुर सरैया मार्ग-इस मार्ग पर लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण था।

प्रश्नगत सन्दर्भ में भी प्रश्नकर्ता द्वारा संस्तुत किये गये तीनों मार्गो की जांच निम्न विवरण के अनुसार समय-समय पर करायी गयी है-

1-राजापुर सरैया मार्ग से कोबरा मार्ग पर कोई कार्य न होने के।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम चमरौली विकास खण्ड बरौली अहीर में टी0टी0एस0पी0 की तीन खराब टंकियों का चालू कराया जाना

29-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम चमरौली विकास खण्ड बरौली अहीर में टी0टी0एस0पी0 की तीन टंकियां काफी समय से खराब हैं जिससे नागरिकों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बंद टी0टी0एस0पी0 टंकियों को जलापूर्ति हेतु चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी नहीं।

वर्तमान मे संदर्भित टी0टी0एस0पी0 चालू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में पाइप वाटर पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

30-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में पाइप वाटर पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वच्छ पेयजल आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/ 13-14/क-5नं0-102288/4051, दिनांक 20-04-2013 अधिशासी अभियन्ता जल निगम, जनपद बहराइच तथा प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

मा0 सदस्य के उक्त संदर्भित पत्र में कुल 25 ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजना की स्थापना हेतु सूची प्राप्त हुई है। उक्त सूची में उल्लिखित 09 ग्रामों के पाइप पेयजल योजना के प्राक्कलन की स्वीकृति प्राप्त है, जिनमें से 04 ग्रामों हेतु पाइप पेयजल योजना हेतु धनावंटन हो चुका है एवं कार्य प्रारम्भ करने हेतु निविदा आमंत्रित है। शेष 16 ग्रामों हेतु पेयजल योजना के प्राक्कलन का विचन निर्धारित प्राथमिकता के अन्तर्गत न आने के कारण किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षक, शौचालय, पेयजल, छात्रावासों आदि विषयक प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

31-डा0 अरुण कुमार-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बरेली में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षक, शौचालय, पेयजल, छात्रावासों आदि विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5नं0-270531, दिनांक 30-09-2014 जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद-बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली द्वारा संदर्भित पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली को मूल रूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रकरण बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है।

जनपद बरेली के ग्राम प्रधान धनिया व रइया नगला विकास खण्ड मीरगंज में नरेगा व अन्य मदों में किये गये गबन के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता के पत्र हुई कार्यवाही की जानकारी

32-श्री सुल्तान बेग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान धन्तिया व रइया नगला, विकास खण्ड मीरगंज, जनपद बरेली द्वारा नरेगा व अन्य मदों से किये गये गबन के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर पर दर्ज संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0पी0जी0 10521019/14 एवं 10520536, दिनांक 23-09-2014 जिलाधिकारी, बरेली को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

कराये गये कार्यों में हुई अनियमितता के दृष्टिगत ग्राम प्रधान धन्तिया, रईया नगला से क्रमशः रु0 34,206/- एवं रु0 36,093/- धनराशि की वसूली हेतु आर0सी0 दिनांक 13-10-2014 को जिलाधिकारी, बरेली को प्रेषित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2013-2014 तथा 2014-2015 में लोहिया समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0 सड़क व नाली के निर्माण कार्य को पूरा किया जाना

33-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ में वर्ष 2013-14, 2014-15 में लोहिया समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी नहीं। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2013-14 में चयनित 29 ग्रामों में से 13 ग्रामों में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष 16 ग्रामों में निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा दिया जायेगा। वर्ष 2014-15 में योजनान्तर्गत चयनित 29 ग्रामों में से 05 ग्रामों में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण का कार्य भी इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा दिया जायेगा। अवशेष 24 ग्रामों में निर्माण कार्य धनराशि की उपलब्धता पर पूर्ण कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में पराग डेरी/बीज विधायन ईकाई रामघाट रोड अलीगढ़ के तत्कालीन प्रभारी श्री एन0सी0 त्यागी पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच में दोषी पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना

34-श्री भगवती प्रसाद-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ में पराग डेरी/बीज विधायन इकाई रामघाट रोड अलीगढ़ के तत्कालीन प्रभारी श्री एस0सी0 त्यागी पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच दिनांक 20 एवं 21-7-2011 को लखनऊ मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा की गयी जिसमें उक्त अधिकारी एस0सी0 त्यागी दोषी पाये गये ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के खिलाफ अब तक क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति वर्मा-

श्री एस0सी0 त्यागी, प्रबन्धक ग्रेड-3 (एफओ) के प्रभारी, बीज विधायन इकाई, अलीगढ़ के कार्यकाल के दौरान प्रकाश में आयी कतिपय अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गयी है।

अध्यक्ष (प्रशासनिक समिति) पी0सी0डी0एफ0 द्वारा अनुमोदित आरोप-पत्र जांच अधिकारी के माध्यम से अपचारी अधिकारी को हस्तगत कराया जा चुका है। वर्तमान में अपचारी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के सदर तहसील में वित्तीय वर्ष 2014-2015 हेतु इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्त्ता का पत्र हुई कार्यवाही की जानकारी

35-डा0 अरुण कुमार-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के सदर तहसील में वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-5-नं0-270527, दिनांक 30-09-2014 मुख्य विकास अधिकारी, जनपद-बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

मा0 सदस्य विधान सभा के संदर्भित पत्र के क्रम में परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बरेली के पत्र संख्या 2209/इ0आ0यो0/सूचना/2014-15, दिनांक 11-11-2014 द्वारा जनपद बरेली के तहसील सदर के विकास खण्डों में वित्तीय वर्ष 2014-15 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये आवासों एवं प्रस्तावित आवासों का विवरण मा0 सदस्य विधान सभा को उपलब्ध करा दिया गया है।

जनपद बुलन्दशहर में श्री रामदास अग्रवाल, उ0 मा0 विद्यालय सराय छवीला, ब्लाक लखावटी में कार्यरत श्री सुखवीर की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रित पुत्र की नियुक्ति विषयक आवेदनकर्त्ता का पत्र हुई कार्यवाही की जानकारी

36-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामदास अग्रवाल उ0मा0 विद्यालय सराय छबीला, ब्लाक लखावटी, जनपद बुलन्दशहर में कार्यरत श्री सुखवीर की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रित पुत्र की नियुक्ति विषयक आवेदनकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र संख्या सीएम/जी-0484272, टीजी/ई, दिनांक 24-07-2014 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

रहमनियां जू0 हाई स्कूल शाहजहांपुर के सहायक अध्यापक अब्दुलासमद की मृत्यु के दो वर्ष बाद अभी तक मृतक आश्रित पुत्र की सेवायोजित न करने की जानकारी तथा सेवायोजित करने की मांग

37-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रहमनियां जू0 हाई स्कूल शाहजहांपुर के सहायक अध्यापक अब्दुलासमद की मृत्यु के दो साल बाद उनके आश्रित बेटे को अभी तक मृतक आश्रित के रूप में आवेदन के बाद भी सेवायोजित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक सेवायोजित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) बरेली की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति दिनांक 10-10-2014 के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर के पत्र दिनांक 18-10-2014 द्वारा प्रबन्धक, शिशु निकेतन जू0 हा0 स्कूल तिलहर जनपद शाहजहांपुर को नियुक्ति पत्र जारी कर कार्यभार ग्रहण कराने हेतु निर्देश दिये गये। तद्नुक्रम में प्रबन्धक, शिशु निकेतन जू0हा0 स्कूल तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के पत्र दिनांक 21-11-2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री दानिश खान पुत्र स्व0 अब्दुल समद की नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर उक्त विद्यालय में कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्पूर्ण आगरा जनपद में पेयजल समस्या के निदान हेतु त्वरित आर्थिक योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्प लगाया जाना

38-श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल समस्या के निदान हेतु सम्पूर्ण आगरा जनपद हेतु त्वरित आर्थिक योजना के अन्तर्गत 450 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाने हेतु धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त योजना में शहरी क्षेत्र की पेयजल समस्या निदान हेतु हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने की भी योजना आगरा जल निगम द्वारा बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां। त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-55 (1)/35-4-2014 दिनांक 08 जनवरी, 2014 द्वारा आगरा जनपद हेतु 450 हैण्डपम्प लागत रु0 289.800 लाख पर स्वीकृत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु0 144.900 लाख की धनराशि जिलाधिकारी आगरा को अवमुक्त की गई है। आगरा नगर की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उचित गुणवत्ता का कच्चा जल उपलब्ध नहीं है। इस समस्या के दीर्घकालिक निदान हेतु अपर गंगा कैनाल के पलरा-हेडवर्क्स (बुलन्दशहर) से गंगा जल को आगरा नगर तक लाये जाने हेतु वाह्यसहायतित आगरा पेयजलापूर्ति योजना बनायी गई है। इसके साथ ही जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत एक पेयजल परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र के विकास खण्ड नियामताबाद विकास खण्ड चन्दौली में 2013-14 में जल निगम द्वारा रि-बोर कराये गये हैण्डपम्पों की सूची उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

39-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड नियामताबाद, विकास खण्ड चन्दौली में 2013-14 में जल निगम द्वारा रि-बोर

कराये गये हैण्ड पम्पों की सूची उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ग-5नं0-140193, दिनांक 19-07-2014 अधिशासी अभियन्ता, जल निगम जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

वर्ष 2013-14 में जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत विकास खण्ड-नियामताबाद में 61 हैण्डपम्प एवं विकास खण्ड-चन्दौली में 14 कुल 75 हैण्डपम्प रि-बोर कराये गये। विकास खण्ड-नियामताबाद एवं चन्दौली में रि-बोर कराये गये हैण्डपम्पों की सूची मा0 सदस्य को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम, मुगलसराय-चन्दौली के पत्र संख्या-2097/विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय/07, दिनांक 23-7-2014 द्वारा प्रेषित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में पशु अन्ना प्रथा उन्मूलन हेतु योजना बनाया जाना

40-श्री सन्तराम कुशवाहा-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में पशु अन्ना प्रथा आज भी चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि अन्ना पशुओं के कारण गरीब किसान दोहरी फसल नहीं कर पाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान में अन्ना पशु प्रथा को रोकने के लिए कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जी हां।

जी नहीं। किसान दोहरी फसल कर रहे हैं।

अन्ना प्रथा उन्मूलन के लिये बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत सात जनपदों के किसानों के लिये जनजागरूकता अभियान चलाया गया है जिसमें कुल 1,23,961 अन्ना सांड़ों का बधियाकरण किया गया है। वर्तमान में उ0 प्र0 पशुधन विकास परिषद् द्वारा बुन्देलखण्ड में अन्ना प्रथा उन्मूलन हेतु योजना जनपद झांसी एवं चित्रकूट में चलायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में कौशल विकास योजना लागू किया जाना

41-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में कौशल विकास योजना लागू की गयी है ? यदि हां, तो उक्त योजना की रूपरेखा क्या है और प्रदेश के कितने बेरोजगारों को प्रति वर्ष उक्त योजना के अन्तर्गत रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त योजनान्तर्गत कितने बेरोजगारों को माह अक्टूबर, 2014 तक रोजगार

दिया जा चुका है तथा शेष बेरोजगारों को कब तक रोजगार उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

प्रदेश के युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति लागू की गयी है, जिसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 14 से 35 आयु वर्ग के युवाओं (जिनमें महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से अक्षम गरीब और कम पढ़े लिखे लोग सम्मिलित हैं) को प्रशिक्षित करते हुए उन्हें रोजगार प्रदान कराने में हर सम्भव सहायता प्रदान की जायेगी। इस नीति के अन्तर्गत केन्द्र सहायतित योजनाओं तथा राज्य सरकार की एक योजना को समेकित रूप से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के वृहद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे 04 प्रकार के प्रशिक्षण प्रदाताओं को आबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है :-1-बड़े निजी प्रशिक्षण प्रदाता, 2-लघु निजी प्रशिक्षण प्रदाता, 3-फ्लैक्सी एम0ओ0यू0 प्रशिक्षण प्रदाता, 4-राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता। मिशन द्वारा कुल 38 सेक्टर्स (यथा-मैनुफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स, ब्यूटीशियन, आटोमोबाइल और सिक्योरिटी आदि) में 254 कोर्सेज को चयनित किया गया है। ये कोर्सेज 120 घण्टे से 1300 घण्टे की अवधि के हैं। इस योजना में प्रशिक्षित और उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों में से कम से कम 60 प्रतिशत प्रशिक्षार्थियों को सेवायोजित करने का लक्ष्य प्रशिक्षण प्रदाताओं को दिया गया है। प्रशिक्षार्थियों को सेवायोजित कराने की सीधी जिम्मेदारी प्रशिक्षण प्रदाताओं की है। तथापि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन इस कार्य में हर सम्भव सहायता कर रहा है। प्रशिक्षण प्रदाता ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षार्थियों को सेवायोजित करें, इसके लिये उन्हें प्रोत्साहित करने की नीति बनायी गयी है। अभी तक लगभग 73000 लाभार्थियों को प्रवेशित कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें से प्रथम चरण में प्रवेशित लगभग 17000 प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है और उनका मूल्यांकन भी समाप्त होने वाला है। प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षार्थियों को मूल्यांकन के 03 माह के अन्दर सेवायोजित कराया जाना है। अभी तक सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों में से लगभग 200 प्रशिक्षार्थियों को रोजगार मिलने की सूचना प्राप्त हुई है।

जनपद बहराइच के क्षेत्र पयागपुर के ग्राम सचौली के मजरा कांधीकुंइया में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र, की गई कार्यवाही की जानकारी

42-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम सचौली के मजरा कांधीकुंइया में इन्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को रि-बोर कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मा0 मुख्य मंत्री के सचिवालय के पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम/पी0जी0-10476575/2014 पर दर्ज प्रमुख सचिव कृषि विपणन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

संदर्भित पत्र ग्राम्य विकास विभाग में प्राप्त हुआ है।

मा0 सदस्य द्वारा उक्त पत्र में उल्लिखित ग्राम सचौली के मजरा कांधीकुंइया में हैण्डपम्पों का रि-बोर कार्य करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

[12.05] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 ले रहा हूं।

आज दिनांक 25-11-2014 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनाएं स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की है (मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

दूसरी सूचना श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय 'गामा' की है (मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

तीसरी सूचना श्री सिनोद कुमार शाक्य की है (मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

चौथी सूचना श्री दिलनवाज खान की जनपद बुलन्दशहर के जिला पूर्ति कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट के संयुक्त चिकित्सालय में सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्तियां किये जाने एवं खराब उपकरणों को बदले जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री गोरख पासवान की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में जल निगम की पेयजल योजना अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के निर्माण कार्य में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की उ0 प्र0 के विभिन्न जनपदों में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री विजय कुमार दुबे की जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा अन्तर्गत छितौनी बांध के रैम्प का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की जनपद सीतापुर अन्तर्गत फल पट्टी क्षेत्र में संचालित ईंट-भट्ठों को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की वाराणसी नगर निगम की कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता और मानकों की घोर अनदेखी किये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जिला जौनपुर के विकास खण्ड मुफ्तीगंज में पीड़ित किसान परिवार को नियमानुसार कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदस्य श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय के सदन में उपस्थित होने पर)

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय--

मान्यवर, मैं उपस्थित था, बाथरूम गया था।

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं लिया जायेगा, आप हमेशा देकर चले जाते हैं, यह आपकी हमेशा की आदत है आप लिख करके दे देते हैं और बाद में इधर-उधर घूमते हैं यह अच्छी बात नहीं है, अब इसे नहीं स्वीकार किया जायेगा। 12वीं सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत जी की है, श्री राजपूत जी उपस्थित नहीं हैं।

13वीं सूचना श्री अलगू प्रसाद चौहान की जनपद बस्ती के जिला सहकारी बैंक के वर्ग-4 के कर्मचारी के अर्जित अवकाश को सेवा पुस्तिका में दर्ज कराकर नकदीकरण का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है।

14वीं सूचना श्री त्रिलोकी राम जी की प्रदेश के गृह, पुलिस विभाग (वायरलेस) की सेवा नियमावली को प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में है।

15वीं सूचना श्री तसलीम अहमद जी की है, श्री तसलीम अहमद उपस्थित नहीं हैं।

(विपक्ष के कई सदस्य द्वारा अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी सूचनायें स्वीकार करने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग शांत रहिये। पांच माननीय सदस्य नहीं है, तो उनके स्थान पर जो क्रम बनता है उसमें से ले लेता हूं। पहला श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू की है, वह उपस्थित नहीं है तो अब जो क्रम बनेगा उसमें एक श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की सूचना ले लेते हैं, दूसरी सूचना श्री धर्मपाल सिंह जी की है, इनकी भी सूचना ले लेते हैं, तीसरी डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी की है, इसे भी ले लेते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, आपने श्री सिनोद कुमार शाक्य जी का नाम पुकारा था, यह यहीं पर बैठे थे। सुन नहीं पाये, इसलिये अनुरोध है कि मान्यवर, इनकी सूचना लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप यहीं बैठे थे, तो आपको बोलना चाहिए था। आप यहां नहीं थे।

श्री सिनोद कुमार शाक्य-

मान्यवर, मैं पीछे बैठा था।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, मैंने आपका तीन बार नाम पुकारा था, आप यहां नहीं थे। श्री मौर्या जी, यहां पर श्री सिनोद जी उपस्थित नहीं थे। इनकी सूचना नहीं ली जायेगी। अगर इनकी सूचना ली जायेगी तो फिर श्री गामा जी की सूचना भी लेनी होगी। आप उपस्थित नहीं थे, इसलिये आपकी सूचना नहीं ली जायेगी।

चौथी सूचना श्री सतीश महाना जी की और पांचवीं सूचना श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'' की सूचना स्वीकार की जाती है। इस प्रकार ऊपर के क्रम से श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री धर्मपाल सिंह, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री सतीश महाना तथा श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'' की सूचनायें स्वीकार की गईं।

सदस्य श्री दिलनवाज खान, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री गोरख पासवान, श्रीमती आराधना मिश्रा ''मोना'', श्री विजय कुमार दुबे, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री रोशन लाल वर्मा, श्री अलगू प्रसाद चौहान, श्री त्रिलोकी राम, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री धर्मपाल सिंह, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री सतीश महाना, श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी' की सूचनायें स्वीकृत की गईं।

श्री शेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भइया, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री राजिव गुम्बर, श्री रवीन्द्र भड़ाना, श्री प्रदीप माथुर, श्री उमाशंकर, श्री काली चरन सुमन, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री अनीसुर्रहमान, श्री राकेश बाबू, श्री अमरपाल शर्मा, श्री अजय कुमार लल्लू, डा0 अरुण कुमार, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द एवं श्री राम चन्द्र यादव की सूचनायें अस्वीकार की गईं।

(कई सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, कृपया आप लोग बैठ जायें, अब हो गया, सबकी सूचनायें आ गई हैं।

[सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं]

परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ में कार्यरत वरिष्ठ सहायक, लिपिक संवर्ग की पदोन्नति कार्यालय अधीक्षक अथवा प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद पर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया-

[महोदय,

मैं सदन का ध्यान परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ में वरिष्ठ सहायक, लिपिक संवर्ग के पद पर कार्यरत श्री सतीश कुमार जो कि वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर होने के बाद भी विभागीय हीला-हीवाली के चलते कार्यालय अधीक्षक अथवा प्रशासनिक अधिकारी के पद रिक्त होने के बाद भी उन्हें पदोन्नति नहीं प्रदान की जा रही है। जबकि उनसे कनिष्ठ कई कर्मचारियों को पहले ही पदोन्नति प्रदान कर दी गई है।

विभाग में फैली इस अनियमितताओं को दूर किये जाने एवं श्री सतीश कुमार को पदोन्नति के लिये सम्बन्धित को आदेशित किये जाने हेतु सदन में वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :-श्री अध्यक्ष की सहमति से शेष अस्वीकृत सभी सूचनाएं स्वीकार की गईं।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय ग्रामों में व्यपगत विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र 135, शाहजहांपुर में ग्राम उदियापुर, जपनापुर, सुतनेरा, भावलखेड़ा, पिपरिया, रहीमपुर, हथौड़िया, बिलरिया, तिउउलक, कुरसण्डा, ददिउरा, टिकरा, जमालपुर, अठसलियां, मऊबासक, मऊगौटियां, निजामपुर गौटियां, टिकरी, मधुआमई, रेभा, सिमरिया लक्ष्मीपुर, खिरिया, घुसगवां, शहवाजनगर, दौलतपुर, सतवां रोशन नगर गांव की आबादी बढ़ गयी है जिसमें विद्युत कनेक्शन भी बढ़ गये हैं। परन्तु ट्रांसफार्मर की क्षमता न बढ़ने से पुरानी क्षमता के ट्रांसफार्मर लगे रहने से ओवरलोडिंग के कारण ट्रांसफार्मर फुंक जाते हैं। यदि इन गांवों में 25 के0वी0ए0 के स्थान पर 63 के0वी0ए0 तथा 63 के0वी0ए0 के स्थान पर 100 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर लग जायें तो पावर कारपोरेशन का नुकसान भी नहीं होगा और जनता को भी राहत मिलेगी। जनहित में विद्युत कनेक्शन बढ़ाने के साथ ही बढ़ी क्षमता के ट्रांसफार्मरों को स्थापित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला में गौ-वंशीय पशुओं को काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह-

[महोदय,

आंवला विधान सभा क्षेत्र जनपद बरेली में गौ-वंशीय पशुओं को कटवाने का काम तेजी से हो रहा है। इन पशुओं की तस्करी भी की जा रही है।

दिन सोमवार और शुक्रवार को थाना सिरौली की सीमा से पशुओं को निकलवाया जाता है। इस पर पुलिस वालों का सहयोग रहता है।

दिनांक 24-11-2014 दिन सोमवार को ग्राम पिपरिया उपराला के गांव के अन्तर होती हुई सड़क से थाना सिरौली के दो दरोगाओं द्वारा 30 जोड़ी बैल निकलवाये और रोकने पर गांव वालों को झूठे मुकदमें में फंसाने का भय दिखाकर शान्त करा दिया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से गौ-वंशीय कटान रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वद्यिालय द्वारा छात्र-छात्राओं से करोड़ों रुपये अवैध वसूले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[महोदय,

प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में पिछले 7 वर्षों से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुये हैं। लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ के चुनाव के नाम पर विश्वविद्यालय के 20 हजार छात्रों से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जबरन वसूली की जा रही है। चुनाव शुल्क के नाम पर प्रति छात्र 35 रुपये (जो चुनाव के खर्चे के तथा यूनियन शुल्क के नाम पर प्रति छात्र 50 रुपये) यह छात्र संघ बनने के बाद छात्र संघ की वसूली जबरन बदस्तूर जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले 7 वर्षों में तकरीबन 2½ करोड़ की अवैध वसूली कर चुका है।

पूछे जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन अजीबोगरीब तर्क दे रहा है कि छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगाई गयी है। फीस पर रोक का कोई शासनादेश नहीं है।

इसके अतिरिक्त पिछले 7 सालों से विश्वविद्यालय की पत्रिका प्रकाशित न होने के बावजूद छात्र-छात्राओं से प्रतिवर्ष 50/- पत्रिका शुल्क की वसूली की जा रही है और जो छात्र प्रयोगात्मक विषय नहीं लेते हैं उनसे भी प्रयोगात्मक शुल्क लिये जा रहे हैं।

अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि जब दो इनके शुल्कों की अवैध वसूली की जा रही है तबसे इसकी गहन उच्च स्तरीय जांच कराकर छात्र-छात्राओं को 15% ब्याज के साथ इन शुल्कों की वापसी की जाये तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाये।

अतः लोकमहत्व के इस लिखित एवं अविलम्बनीय विषय पर नियम-301 के तहत शासन की पटल पर जवाब देने हेतु निर्देशित किया जाय।]

कानपुर महानगर के यशोदा नगर एवं गोपाल नगर में पेयजल संकट के निवारण हेतु ओवरहेड टैंक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना-

[महोदय,

कानपुर महानगर में पेयजल का गम्भीर संकट व्याप्त है। दिनांक 26-06-2014 को विधान सभा में बजट भाषण के दौरान कानपुर महानगर में मेरे द्वारा विभिन्न अवसरों पर शहरी क्षेत्र में हैण्डपम्प मांगने का संज्ञान लेते हुए मुख्य मंत्री जी द्वारा ओवरहेड टैंक देने की अपने भाषण में स्वीकृति विधान सभा में प्रदान की गयी थी। कानपुर महानगर के गोपाल नगर एवं यशोदा नगर में ओवरहेड टैंकों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित था। परन्तु आज तक उक्त कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। ओवरहेड टैंकों का निर्माण न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को पेयजल की समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा है। जिस कारण स्थानीय निवासियों में आक्रोश व्याप्त है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को दिनांक 26-06-2014 का पत्र भी लिखा गया था।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कानपुर महानगर के यशोदा नगर एवं गोपाल नगर में ओवरहेड टैंक बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

लखनऊ शहर के व्यस्ततम बाजारों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

[महोदय,

लखनऊ शहर में अनेकों बाजार तथा व्यावसायिक केन्द्र विगत कुछ वर्षों में तेजी से विकसित हुए हैं जहां प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों का आवागमन रहता है किन्तु उन बाजारों में जन-सुविधाएं नहीं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हैं। फैजाबाद रोड पालिटेक्निक चौराहा, भूतनाथ मार्केट, निशातगंज, डण्डैया बाजार, शंकरपुरवा, गोल मार्केट, गोमती नगर आदि अनेक व्यस्ततम बाजारों में सामुदायिक शौचालय अविलम्ब बनवाये जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुगों और महिलाओं को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जन हित में उक्त बाजारों में उपर्युक्त स्थानों पर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त सभी स्थानों पर सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर से निकलने वाले गन्दे नाले की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[महोदय,

मेरी विधान सभा क्षेत्र के सिकन्द्राबाद नगर से माट ब्रान्च खण्ड गंग नहर खुर्जा का एक नाला निकलता है। जो शेखपुर, लालपुर व बिलसूरी आदि गांवों से होकर करों नदी में मिलता है। जहां से नाला निकलता है उसके आस-पास किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन है। नाले के नियमित रूप से खुदाई, सफाई तथा प्रारम्भिक हिस्से पक्का न होने के कारण कुछ ही दिन में नाला भर जाता है। वर्षा के दिनों में स्थिति अत्यन्त भयावह हो जाती है तथा नाले के आस-पास किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाती है। जमीन के जलमग्न होने के कारण किसानों की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। जिसके कारण उस क्षेत्र के सैकड़ों किसान परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं तथा मजबूरी में अपनी जमीन को बिल्डरों तथा भू-माफियाओं आदि को सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ भू-माफिया वहां मिट्टी से भराव कराके नाले के अस्तित्व को ही समाप्त करना चाहते हैं। किसानों को बर्बादी से बचाने हेतु इस नाले की खुदाई, सफाई तथा उसके प्रारम्भिक 1 कि0मी0 के भाग को पक्का करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करती हूं।]

जनपद आगरा में मोतीकुन्ज लोहा मण्डी की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[महोदय,

मैं आपका ध्यान आगरा में मोतीकुंज लोहामण्डी की जर्जर सड़कों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

आगरा के मोतीकुंज लोहा मण्डी की सड़कें विगत 8 वर्षों से जर्जर व गड्ढायुक्त है। क्षेत्र की जनता का पैदल, स्कूटर व कार पर निकलना दूभर हो गया है। क्षेत्र की जनता हाउस टैक्स, वाटर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

टैक्स, सीवर टैक्स समय से देती है। उसके बावजूद भी सड़कें न बनने के कारण उनमें बहुत रोष व्याप्त है। जनहित में यहां की सड़कों का बनना अति आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

यू0पी0 बार्डर फोर लेन मार्ग के निर्माणाधीन कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजिव-

[महोदय,

उ0 प्र0 सरकार द्वारा उ0 प्र0 स्टेट हाई-वे एथार्टी द्वारा यू0पी0 बार्डर से नई दिल्ली तक फोर लेन हाई-वे का निर्माण लगभग 3 वर्षों से किया जा रहा है। यह लगभग 217 कि0मी0 फोर लेन का हाई-वे है जो लोनी यू0पी0 उत्तराखण्ड हाई-वे मार्ग कहलाता है। यह फोर लेन हाई-वे मार्ग वाया बागपत-बड़ौत-शामली-सहारनपुर को जोड़ता है। इस मार्ग का निर्माण इतनी धीमी गति से होने के कारण इस मार्ग के किनारे पड़ने वाले क्षेत्र निवासियों का धूल मिट्टी से जीना दुश्वार हो गया है साथ ही आवागमन की भी समस्या है। इस फोर लेन हाई-वे का अनवरत कार्य त्वरित गति से न होने के कारण हो रही परेशानियों से क्षेत्र के नागरिकों में आक्रोश है। जनहित में इस फोर लेन मार्ग का निर्माण शीघ्र कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त फोर लेन हाई-वे के शीघ्र निर्माण हेतु सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा मोदीपुरम् तिराहे के पास निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के ठेके के आवंटन में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र भड़ाना-

[महोदय,

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में शहर मोदीपुरम् तिराहे के पास निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को निर्माण करने का ठेका जिस फर्म को दिया गया है वह मानकों के विपरीत दिया गया है। ठेका देते समय उक्त फर्म के अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच भी नहीं करायी गयी। जिस संस्था से प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे कई अन्य एस0टी0पी0 की ड्राइंग एवं डिजाइन अनुमोदित है अथवा नही ंयह जांच का विषय है उस संस्था से मोदीपुरम् तिराहे के पास निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की ड्राइंग एवं डिजाइन अनुमोदित न कराकर संस्था बदल दिया गया। यह किसकी अनुमति से बदला गया यह जांच का विषय है। यह भी जांच का विषय है कि ठेकेदार द्वारा दी गई ड्राइंग पूर्ण है एवं प्राप्त कराई गई ड्राइंग किस संस्था से अनुमोदित कराई गयी है। ठेकेदार द्वारा इसमें फर्जीवाड़ा करके कार्य पूर्ण न कराकर भुगतान प्राप्त किया जा रहा है। जनहित में इस संस्थान द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे सभी एस0टी0पी0 से उद्यान विभाग को मानक के अनुसार कितने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मीट्रिक टन खाद का उपयोग किया गया है इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उच्च स्तरीय जांच कराकर कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद में विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय-

[महोदय,

जनपद इलाहाबाद में विद्युत विभाग के अधिकारी शासनादेश का उल्लंघन कर रहे हैं और जले हुये ट्रासफार्मर को बदलने हेतु 72 घण्टे की समय-सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं और जले हुये ट्रासफार्मर को उतारने, ले जाने और ले आने के स्थान पर जनता में भय दिखाकर जले हुये ट्रासफार्मर ले आने और ले जाने का कार्य जनता से कराया जा रहा है और सरकारी खजाने से इसका स्वयं बिल बनाकर भुगतान प्राप्त कर ले रहे हैं। जिससे सरकारी खजाने का दुरुपयोग हो रहा है।

क्या माननीय विद्युत मंत्री जी अपने शासनादेश का पालन करायेंगे ? यदि करायेंगे तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?]

जनपद बदायूं की नगर पंचायत आलापुर के अध्यक्ष द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सिनोद कुमार शाक्य-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद बदायूं की नगर पंचायत आलापुर के अध्यक्ष द्वारा किये जा रहे अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

उल्लेखनीय है कि उनके कार्यकाल में किये गये समस्त कार्य मानकों के विपरीत हैं। उदाहरणतः नाले एवं नालियों के निर्माण में पक्के ईंटों के स्थान पर कच्चे ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है।

अतः स्थानीय निवासियों की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए इनके द्वारा किये गये समस्त कार्यों की निष्पक्ष जांच कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।]

मथुरा शहर के मुर्गा फाटक (डेम्पियर नगर) पर फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[महोदय,

मथुरा शहर के डेम्पियर नगर के पास मथुरा रेलवे जं0 तथा कैण्ट रेलवे स्टेशन को जाने वाले रास्ते पर रेल पटरी और उसका फाटक पड़ता है जो कि शहर को दो हिस्से में बांट देता है। यह

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मुख्य मार्ग जहां एक ओर मथुरा के कैण्ट इलाके को जोड़ता है, वहीं दूसरी तरफ कचहरी, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय तथा अन्य प्रशासनिक कार्यालय अवस्थित है। प्रतिदिन लाखों लोग जैसे कि स्कूली बच्चे, डाक्टर, वकील तथा सरकारी कर्मचारी आदि इस रेलवे फाटक से गुजरते है किन्तु रेल मंत्रालय के हिसाब से इस पर वाहनों की संख्या कम है। आये दिन इस फाटक पर घण्टों जाम लगा रहता है तथा लोगों को काफी परेशानी होती है। इसलिये जनहित में शासन द्वारा मुर्गा फाटक (डम्पियर नगर) पर फ्लाई ओवर का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। जिससे शहरवासियों को जाम से निजात मिल सके। प्रकरण जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के जिलापूर्ति कार्यालय व्यपगत अनियमितताओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिलनवाज खान-

[महोदय,

जनपद बुलन्दशहर में वर्तमान में जिला पूर्ति कार्यालय में घोर अनियमितता व्याप्त है। पूरे जनपद में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के कोटेदारों द्वारा मिट्टी के तेल एवं खाद्यान्न की कालाबाजारी की जा रही है। जनपद के निवासी सरकारी सस्ते गल्ले एवं मिट्टी के तेल का समुचित सरकारी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसी प्रकार से जनपदीय अधिकारियों के शह पर गैस एवं पेट्रोल पम्पों पर तौल में अनियमितता एवं मिलावट जारी है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार द्वारा गरीब जनता को उपलब्ध कराये गये सस्ते राशन, चीनी एवं मिट्टी का तेल उसे नहीं मिल पा रहा है। जनपद स्तर पर बैठे अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। उनके द्वारा जनपद के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों एवं अन्य गैस एजेन्सियों इत्यादि का नियमित परीक्षण नहीं किया जा रहा है। नियमित परीक्षण एवं आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही न किये जाने के कारण दुकानदारों का मनोबल बढ़ा हुआ है। वह लगातार खाद्यान्न एवं मिट्टी के तेल की कालाबाजारी कर रहे हैं जिससे जनपद के गरीब जनता का हक मारा जा रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है तथा प्रकरण की उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराते हुए आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही भी अनिवार्य है। प्रकरण जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश में मा0 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष एवं विधायक निधि से मिलने वाली धनराशि की औपचारिकताएं पूर्ण करने में विलम्ब होने पर चिकित्सालयों द्वारा अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर-

[मान्यवर,

मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि गरीब रोगियों को गम्भीर एवं जटिल बीमारियों में मा0 मुख्य मंत्री सहायता कोष एवं विधायक से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि की औपचारिकतायें पूर्ण करने में शासन व प्रशासन स्तर पर काफी समय लग जाता है जिस कारण गम्भीर रोगों से ग्रसित रोगी या तो दम तोड़ देता है या कर्ज आदि लेकर इलाज कराकर किसी तरह अपने प्राणों की रक्षा करता है।

उपर्युक्त विलम्ब के कारण मा0 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष एवं विधायक निधि द्वारा जारी पैसा जब इलाज हेतु चिकित्सालय पहुंचता है तो वह पैसा वापस शासन में चला जाता है तथा जिस गरीब रोगी ने कर्ज आदि लेकर अपना इलाज कराया होता है। वह बीमारी के पश्चात् इलाज हेतु लिये गये कर्ज के भंवर में डूब जाता है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर गम्भीर रोगों से ग्रसित रोगियों के इलाज हेतु उन्हें तत्काल मुख्य मंत्री सहायता कोष से धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं विलम्ब की दशा में कर्ज आदि लेकर अपना इलाज करा लेने वाले रोगियों को शासन द्वारा प्रदत्त धनराशि रिफण्ड करने हेतु शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद चित्रकूट के संयुक्त चिकित्सालय में सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्ति किये जाने एवं खराब उपकरणों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल-

[महोदय,

कृपया आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला चित्रकूट के जिला संयुक्त चिकित्सालय, चित्रकूट में पैथालॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेत्रसंल्यक, गायकोलॉजिस्ट पदस्थ न होने तथा चिकित्सालय की एक्स-रे मशीन, आक्सीजन उपकरण एवं आटो इनलाइजर (रक्त परीक्षण मशीन) न होने के कारण जहां एक ओर चिकित्सालय में आये मरीजों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा चिकित्सालय में नर्सिंग सिस्टर/नर्सिंग वार्ड मास्टर के 08 पद सृजित की सापेक्ष कार्यरत संख्या शून्य है, स्टाफ नर्स/उपचारिका के 18 पद सृजित के सापेक्ष कार्यरत शून्य है तथा मैटर्न का 01 पद सृजित है जिसके सापेक्ष कार्यरत शून्य है तथा एक्स-रे टेक्नीशियन/लैब टेक्नीशियन का मात्र एक पद सृजित है, जिससे उनके अवकाश पर चले जाने के कारण पैथालॉजिस्ट/रेडियोलॉजिस्ट विभाग पूर्ण रूप से बन्द पड़ा है। बाल रोग विशेषज्ञ के चिकित्सालय में 03 पद सृजित हैं जिनके सापेक्ष मात्र 01 बाल रोग विशेषज्ञ कार्यरत है, जिससे बाल रोगियों को पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जिला संयुक्त चिकित्सालय चित्रकूट में एक्स-रे मशीन एक साल पूर्व से एवं आक्सीजन उपकरण एवं आटो इनलाइजर (रक्त परीक्षण मशीन) अर्से समय से खराब पड़ी है। चिकित्सालय में आये मरीजों का उक्त कर्मियों के कारण पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने से भर्ती मरीजों एवं पीड़ित परिवारों का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जिला चिकित्सालय चित्रकूट में सृजित पदों के सापेक्ष एवं चिकित्सालय में खराब पड़े उपकरणों के स्थान पर नये उपकरण लगवाये जाने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

आगरा ग्रामीण विधान सभा के क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरन सुमन-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत 1-प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला आनन्दी (टपरा) वि0ख विचपुरी। 2-प्राथमिक उच्च

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राथमिक विद्यालय विजामई वि0 ख0 बरौली अहीर। 3-प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय सिकन्दरपुर वि0ख0 विचपुरी। 4-प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय बिल्हैनी वि0ख0 बरौली अहीर। 5-प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय गुतिला वि0 ख0 बरौली अहीर। 6-प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजगई वि0 ख0 बरौली अहीर। 7-प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय ककरारी वि0 ख0 बरौली अहीर। 8-प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय देवरी वि0 ख0 बरौली अहीर। 9-प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला शीशिया कबूलपुर वि0 ख0 बरौली अहीर। 10-प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय भाहई वि0 ख0 बरौली अहीर। 11-प्राथमिक विद्यालय झील जाटव वि0 ख0 बरौली अहीर। 12-प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर वि0ख0 बरोली अहीर। 13-प्राथमिक विद्यालय गोला (इकथरा) वि0 ख0 बरौली अहीर। 14-प्राथमिक विद्यालय ठार करवना (नगला पैमा) वि0 ख0 बरौली अहीर। 15-प्राथमिक विद्यालय बत्तीसा वि0 ख0 बरौली अहीर आदि। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों बाउन्ड्रीवाल एवं पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। जिसके कारण विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल निर्माण एवं पेयजल व्यवस्था कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत के कतिपय ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

[महोदय,

सम्पूर्ण उ0 प्र0 में एक मात्र जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत लगभग 125 प्राथमिक विद्यालय वर्षों-वर्षों से बन्द पड़े हैं तथा लगभग 100 ऐसे प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय हैं जिनमें मात्र एक शिक्षक अथवा शिक्षामित्र है। ऐसे विद्यालयों के सम्बन्धित शिक्षक अथवा शिक्षामित्र के जनपद मुख्यालय अथवा अन्यत्र शासकीय कार्य से जाना पड़ता है तो सामान्यतः कथित विद्यालयों में ताला पड़ा रहना स्वाभाविक है। जनपद के अन्तर्गत 40 प्रतिशत ऐसी गांव पंचायतें हैं जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं शिक्षा की इतनी रूग्ण व्यवस्था होना दुर्भाग्यपूर्ण ही है जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 100 शिक्षक फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्ति पा गये हैं अथवा दूसरों के नाम से शिक्षण कार्य कर रहे हैं यह भी चर्चा है कि एक ही नाम के दो-दो शिक्षक एक ही शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्त हैं प्राथमिकी भी पंजीकृत है परन्तु निष्काशन एवं वेतन आहरण की क्षतिपूर्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत बीसलपुर में गांव मितेपुर, कस्बा पट्टी, खमरिया नवदिया, रिछुलिया, दीवाली (जसोली दीवाली), पतिपुरा (गोवल पतिपुरा), गंगानगर (भागोपुर) एवं भुड़िया (लुहिचा), क्षेत्र पंचायत बरखेड़ कलां के अन्तर्गत गांव सुधिया, मनपुरा, गौटिया (सोंधा) एवं गांव रहमानगंज (दियोराजपुर) तथा क्षेत्र पंचायत बिलसण्डा के अन्तर्गत गांव पिपरिया संजरपुर, टेहरी, जगतपुर, आदिलाबाद मरौरी, कोहारा, मानपुर जलालपुर, सिंधीपुर, नीवाडांडी (नांद), खेड़ा (ईंटगांव), नर्मल गौटिया (ईंटगांव), नौगवां (चौपरौआ कुईयां), गोपीपुरा (गौहनियां), विक्रमपुर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(बकैनिया ता0 रामपुर), सिकलापुर (मीरपुर हेमूपूर), शाहजादपुर (हर्रई), कर्राही गौटिया (नांद), हिल्गी (चठिया हिल्गी) एवं नवदिया (रामपुर अमृत) आदि गांव अब भी प्राथमिक शिक्षा विहीन हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाये तथा सम्बन्धित विषय पर कार्यवाही भी करने की कृपा की जाये।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड से जल निगम पेयजल योजना अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के निर्माण कार्य में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोरख पासवान-

[मान्यवर,

आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-357 बेल्थरा रोड, जनपद बलिया के अन्तर्गत जल निगम पेयजल योजना के तहत दो योजनाएं नगरा एवं अवराईकला विगत कई वर्षों पूर्व से संचालित है। पाइप लाइन बिछाने का मानक एक मीटर गहराई निर्धारित है, उक्त कार्य मानक के विपरीत 6-7 इंच खोद कर पाइप लाइनें बिछाई गयी हैं, भारी वाहनों के गुजरने से जगह-जगह से पाइप लाइनें क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे पेयजल जनता तक नहीं पहुंचा पा रहा है जिससे स्पष्ट है कि सरकारी धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की तकनीकी जांच कराकर दोषी ठेकेदारों एवं विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही कराने एवं पेयजल योजना को सुचारु रूप से संचालित कराये जाने की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 के विभिन्न जनपदों में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्र 'मोना'-

[महोदय,

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में हजारों की संख्या में तदर्थ शिक्षक गण विगत कई वर्षों से अद्यतन कार्यरत हैं और अध्यापन कार्य सम्पादित कर रहे हैं। इन सभी शिक्षकों की नियुक्तियां मौलिक रिक्तियों के सापेक्ष है, शिक्षकगण आवश्यक अर्हताधारी है और राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इनकी नियुक्तियां प्रबन्धकीय चयन समिति द्वारा मण्डलीय चयन समितियों द्वारा तथा अद्यतन विद्यालयों में शासन द्वारा नियत समय पर शिक्षकों की व्यवस्था न कर पाने के फलस्वरूप प्रबन्धतंत्रों द्वारा नियमानुसार की गयी है और ये सभी शिक्षकगण पूरी मेहनत एवं निष्ठा के साथ अध्यापन कार्य कर रहे हैं। लम्बी अवधि से प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को विनियमित न किये जाने के कारण इनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। अतः यदि इनको सेवा से पृथक कर दिया गया तो इनके परिवार के समक्ष गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी इन्हीं पर निर्भर है। इसके साथ ही साथ लम्बी अवधि तक शिक्षण कार्य पूरी लगन के साथ करने वाले ये शिक्षकगण बेरोजगार हो जायेंगे। क्योंकि ये

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अपनी किसी भी विभाग में सेवा करने की अधिकतम आयुसीमा पार कर चुके हैं। पूर्व में भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम की धारा-33क, 33ख, 33ग, 33घ तथा 33च के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ नियुक्तियों को विनियमित किया जाता रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम की धारा-35 के अनुसार ''राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।'' लम्बे समय से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ नियुक्तियों वाले शिक्षकों का अभी तक विनियमित न करने से जहां उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है वही उनमें चिन्ता एवं क्षोभ भी व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही करने की मांग करती हूं।]

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा अन्तर्गत दितौनी बांध के रैम्प का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार दूबे-

[महोदय,

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा अन्तर्गत छितौनी बांध का उच्चीकरण कार्य वर्षों पहले किया गया, परन्तु बन्धे से लगे किसी भी रैम्प का उच्चीकरण न होने से ग्राम सभा लक्ष्मीपुर पडरहवा, भैंसहा के किसानों को बन्धे के पार से हजारों एकड़ खेतों से गन्ना लाकर मिल पर देने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार-बार विभागीय अधिकारियों के शिकायत के बावजूद उक्त प्रमुख तीन रैम्प का उच्चीकरण कार्य न होने के कारण क्षेत्र के किसान भी शुरू हो रहे गन्ने के सीजन के प्रति चिन्तित एवं आन्दोलित हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाना जनहित के दृष्टिगत अति आवश्यक है।]

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में स्वीकृत राजकीय इण्टर कालेजों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनीसुर्ररहमान-

[महोदय,

मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के ग्राम मानपुर-मुजफ्फरनगर ब्लाक छजलैट एवं ग्राम सिहाली खद्दर ब्लाक डिलारी में एम0एस0डी0पी0 योजना में दो राजकीय इण्टर कालेज वर्ष 2013-14 में स्वीकृत हुये थे। परन्तु इतना समय व्यतीत होने के बाद भी अभी तक मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। दोनों उपरोक्त ग्रामो में राजकीय इण्टर कालेजों के भवन निर्माण हेतु भूमि भी उपलब्ध है। दोनों ग्राम अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्राम है तथा दूर-दूर तक शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। वर्ष 2013-14 में स्वीकृत होकर अभी तक भवन निर्माण का प्रारम्भ न होना घोर लापरवाही है। दोनों इण्टर कालेज के भवन निर्माण प्रारम्भ न होने के कारण ग्रामीण जनता में भारी रोष है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं उपरोक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर उपरोक्त ग्राम मानपुर मुजफ्फरनगर ब्लाक छजलैट तथा ग्राम सिहाली खद्दर ब्लाक डिलारी में वर्ष 2013-14 में एम0एस0डी0पी0 योजना में स्वीकृत राजकीय इण्टर कालेजों के भवन निर्माण कराने हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर अन्तर्गत फल पट्टी क्षेत्र में संचालित ईंट भट्ठों को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सीतापुर जनपद सीतापुर अन्तर्गत फल पट्टी घोषित क्षेत्रों में अवैध रूप से ईंट-भट्ठे का संचालन हो रहा है। ब्लाक खैराबाद अन्तर्गत मेसर्स हिन्दुस्तान ब्रिक फील्ड टेड़वा चिलौला, मेसर्स टेकचन्द्र लाल चन्द्र ब्रिक फील्ड नैपालापुर, भारत ब्रिक फील्ड नैपालापुर व ब्लाक परसेण्डी अन्तर्गत राजा ब्रिक फील्ड अमरापुर जो फल पट्टी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित हैं। इन्हें संचालन करने वाले लोग काफी प्रभावशाली हैं। फल पट्टी क्षेत्र में यह चारों ब्रिक फील्ड चल रहे हैं। इन्हें तत्काल बन्द किया जाना चाहिए। इनसे स्थानीय लोगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तमाम शिकायतें हुईं परन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सारा प्रकरण सरकार के संज्ञान में है जिला प्रशासन आंख मूंदे बैठा है।

अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवैध रूप से संचालित इन ईंट भट्ठों को बन्द करने का निर्देश देने की मांग करता हूं।]

वाराणसी नगर निगम द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता और मानकों की घोर अनदेखी किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[महोदय,

वाराणसी नगर निगम द्वारा सभी कार्य पी0डब्लू0डी0 द्वारा निर्धारित रेट पर किया जाता है। लेकिन विकास कार्यों में प्रयुक्त सामान निम्न स्तर का होता है जिसमें निर्धारित मानक की घोर अनदेखी की जाती है और निहित स्वार्थ के वशीभूत होकर सब कुछ ठेकेदारों की मनमर्जी पर छोड़ दिया जाता है। सिर्फ शिलान्यास के अवसर पर ही अवर अभियन्ता तथा कभी-कभार उनसे ऊपर के अधिकारी उपस्थित रहते हैं जिससे स्वतः कार्य के गुणवत्ता के प्रति उनकी संवेदनशीलता तथा रुचि प्रदर्शित होती है। कार्य के गुणवत्ता और मानक को नियंत्रित करने हेतु अपवाद स्वरूप ही अधिकारी कार्य चलते रहने के दरम्यान स्थलीय निरीक्षण पर उपस्थित होते हैं। जब मैं स्वयं साइट पर पहुंचता हूं तो यह धारणा बनती है कि अधिकारी और ठेकेदारों की मिलभगत से सार्वजनिक धन की लूट की जा रही है। परिणाम स्वरूप कराये गये विकास कार्य बहुत थोड़े समय के अन्तराल पर ही पुनः बिगड़ी हुई हालत में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिखाई देने से आम जनता भी अपने को ठगा हुआ महसूस करती है। मुझे दुःख है कि इस विषय में पूर्व में भी शासन तथा नगर निगम का ध्यान आकर्षित चुका हूं लेकिन अपेक्षित परिणाम और कार्य प्रणाली में कोई अन्तर नहीं पड़ रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय सुनिश्चित विषय पर ध्यानाकर्षण की सूचना के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुफ्तीनगर में पीड़ित किसान परिवार को नियमानुसार कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[महोदय,

कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला जौनपुर के वि0ख0-मुफ्तीनगर के ग्राम-एकौनी अन्तर्गत सरकार द्वारा पूर्व में कृषक दुर्घटना बीमा के रूप में पीड़ित परिवार को रु0 1,50,000.00 (डेढ़ लाख रुपये) की आर्थिक सहायता दी जाती रही है। वर्तमान सरकार द्वारा कृषक दुर्घटना बीमा की धनराशि रु0 1,50,000.00 (डेढ़ लाख रुपये) बढ़ाकर रु0 5,00,000.00 (पांच लाख रुपये) की घोषणा की गयी। परन्तु अभी तक जिला-जौनपुर के मृतक किसान स्व0 श्रीमती फिरता देवी पत्नी स्व0 श्री सुखराम उर्फ सुक्खू की मृत्यु दिनांक अगस्त, 2013, परन्तु अभी तक किसान के पीड़ित परिवार को कृषक दुर्घटना बीमा के रूप में रु0 5,00,000.00 (पांच लाख रुपये) की आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है। जिसकी शिकायत पीड़ित किसान परिवार एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा जिला प्रशासन एवं शासन से भी की गयी परन्तु अभी तक जिला जौनपुर के पीड़ित किसान परिवार को कृषक दुर्घटना बीमा के रूप में रु0 5,00,000.00 (पांच लाख रुपये) की आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है जिसके कारण पीड़ित परिवार एवं क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम द्वारा सरकार से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग के साथ-साथ पीड़ित किसान परिवार को सरकार द्वारा घोषित धनराशि कृषक दुर्घटना बीमा के रूप में आर्थिक सहायता भी दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना की नहर पटरियों पर सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[महोदय,

अवगत कराना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र-222 बबीना (झांसी) में नहर पटरियों पर ईसागढ़ से रनगुवां, बल्लमपुर से रक्सा रोड सीपरी बाजार तक, सुकुवां-ढुकवां बांध से गनेशपुर हाई-वे तक, डायमण्ड फैक्ट्री रोड से भूपनगर, दोंन-दुनारा होते हुए बड़ागांव थाने के पास तक, पारीछा रेलवे क्रासिंग से रमैयापुरा नहर पुलिया से रमैयापुरा होते हुए बझेरा-पचार तक सम्पर्क मार्ग बनवाये गये थे जो वर्तमान में कागजों पर उपयोगी बताये गये हैं जबकि वास्तविकता में यह सम्पर्क मार्ग मरम्मत के अभाव में अत्यन्त जर्जर हो गये हैं एवं इन पर गिट्टी का नामोनिशान तक नहीं है और रोड मिट्टी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के गड्ढों में तब्दील हो चुकी है जिससे आम जनता को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें ठीक न होने की इस समस्या को लेकर क्षेत्रीय जनता में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार से वक्तव्य के साथ ही साथ इन नहर पटरियों पर सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने एवं मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जिला सहकारी बैंक के वर्ग-4 के कर्मचारी के अर्जित अवकाश को सेवा पुस्तिका में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अलगू प्रसाद चौहान-

[महोदय,

श्री प्रहलाद गौड़, कर्मचारी वर्ग-4 जिला सहकारी बैंक बस्ती के दिनांक 8-1-2011 से 2-6-2012 तक की अर्जित अवकाश की सेवा पुस्तिका में दर्ज कराकर अर्जित अवकाश के बदले वेतन भुगतान के सम्बन्ध में निरन्तर अनेकों प्रार्थना-पत्र इनके द्वारा दिये जाने एवं डा0 पूर्णमासी देहाती स0वि0स0 द्वारा जुलाई-अगस्त, 2104 में पत्र लिखे जाने के बाद भी अभी तक उक्त भुगतान नहीं किया गया है। श्री प्रहलाद एक अत्यन्त अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं इनका परिवार भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है।

अतः इस अति अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से उक्त भुगतान कराने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट कराकर कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के गृह, (पुलिस) अनुभाग की सेवा नियमावली की विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम-

[महोदय,

गृह (पुलिस) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1311/6-पु0-1-11-1300 (23)/2000, दिनांक 02-12-11 द्वारा उ0 प्र0 पुलिस रेडियो विभाग में राजपत्रित/अराजपत्रित संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए वर्तमान पदों का सम्विलियन, सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु अर्हता का निर्धारण तथा वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन संशोधित करते हुए विभाग के राजपत्रित पदों हेतु प्रचलित रेडियो नियमावली, 1979 व अराजपत्रित पदों हेतु प्रचलित रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982 में तद्नुसार संशोधन हेतु निर्णय लिया गया था। उपरोक्तानुसार रेडियो विभाग के कर्मी संशोधित वेतन/ग्रेड वेतन का लाभ तद्दिनांक से प्राप्त कर रहे हैं।

2-उक्त नियमावलियों में वर्तमान में संशोधन किये जाने की कार्यवाही की स्थिति तथा अभी तक संशोधित न हो पाने का कारण तथा आधार एवं संशोधन से असमान विलम्ब हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नाम व पद। क्या उनके विरुद्ध शासन कार्यवाही करने पर विचार करेगी।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-उक्त कैबिनेट निर्णय तथा दिनांक 02-12-2011 के शासनादेश के बावजूद पुरानी नियमावलियों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विभाग में किन स्थितियों में पदोन्नति/भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।

4-पुलिस रेडियो विभाग में सहायक रेडियो अधिकारी, ज्येष्ठ वेतनमान, आर0एम0ओ0/आर0एस0ओ0 पदों को समाप्त कर आर0एस0आई0 नामक नया पद के सृजन के बावजूद पुराने/समाप्त पदों पर पदोन्नति किये जाने का कारण।

5-उक्त नई नियमावलियों का प्राख्यापन की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी।

सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद फिरोजाबाद के कतिपय क्षेत्रों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश बाबू-

[महोदय,

जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत टूण्डला व नारखी ब्लाकों में निम्न ग्रामों को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में :-

1-बादशाहगणी ग्राम सभा कोटवी (ब्लाक टूण्डला)

2-छिकाऊ कीदार ग्राम सभा दिनांव (ब्लाक टूण्डला)

3-डेरा बंजारा नगला ढाम ग्राम सभा सलेमपुर (ब्लाक टूण्डला)

4-मिलिक ग्राम सभा भीलनपुर मेघपुर (ब्लाक नारखी)

5-राजपुर डोरसा ग्राम सभा राजपुर डोरसा (ब्लाक नारखी)

6-राजपुर ग्राम सभा राजपुर कोठला (ब्लाक नारखी)

7-कार्तिकी ग्राम सभा कार्तिकी (ब्लाक नारखी)

8-सिंहपुर डेरा बंजारा ग्राम सभा कार्तिकी (ब्लाक नारखी)

9-रामपुर कटेलिया (ब्लाक नारखी)

10-अजीत नगर हटवा ग्राम सभा धीरपुरा (ब्लाक टूण्डला)

11-ढार ठैका ग्राम सभा भीकनपुर वधैरा (ब्लाक टूण्डला)

12-रामपुर ग्राम सभा शेखूपूर राजमल (ब्लाक टूण्डला)

13-ढकई ग्राम सभा शेखूपुर राजमल (ब्लाक टूण्डला)

14-नगला करन सिंह ग्राम सभा शेखूपुर राजपुर (ब्लाक टूण्डला)

15-नगरिया ग्राम सभा मैसा बृजपुर (ब्लाक टूण्डला)

16-टापाखुर्द की निम्न बस्तियों में (ब्लाक नारखी)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महोदय, मैं उपरोक्त ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य राजीव गांधी योजना में सम्मिलित कर कराया जाने की जनहित में मांग करता हूं तथा सरकार से सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद के इन्दिरापुरम् में रामलीला मैदान हेतु भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरपाल शर्मा-

[महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में इन्दिरापुरम् की आबादी लगभग 30 लाख के ऊपर है। यहां पर मनोरंजन की दृष्टि से जनता की मांग को देखते हुए रामलीला मैदान की आवश्यकता है।

अतः सदन के माध्यम से गाजियाबाद के इन्दिरापुरम् में रामलीला मैदान हेतु भूमि आवंटित कराने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में प्रस्तावित 11 परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार लल्लू-

[महोदय,

सदन के संज्ञान में लाना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, तमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर में प्रस्तावित सड़क निर्माण से सम्बन्धित 11 परियोजनाओं जिनका निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है, का आगणन वर्ष 2013-14 में आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के पत्रांक-16017/551/पू0वि0नि0 (राज्यांश)/13-14, दिनांक 20-12-2013 द्वारा प्रेषित किया गया था। उक्त परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएं क्रमशः 1-सलेमगढ़ संजय गेट से मियां टोला होते हुए हफुआ सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य, लम्बाई 2.50 कि0मी0 लागत 126.13 लाख तथा 2-पिपरा अगरवा से भुलिया अगरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 1.00 लागत 50.28 लाख है। इसी प्रकार से 5 परियोजनाओं का आगणन वर्ष 2013-14 में आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के पत्रांक-667/551/पू0वि0नि0 (राज्यांश)/12-13, दिनांक 30-01-2014 द्वारा प्रेषित, परियोजनाएं क्रमशः 1-उल्टहवा से कान्हीटोला होते हुए गोबरहवा से बरवापट्टी थाना पिचमार्ग तक का मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 4.60 कि0मी0 लागत रु0 246.39 लाख, 2-जमुआन से बैरा ओला होते हुए बासगांव खास तक मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 2.20 कि0मी0 लागत रु0 133.72 लाख, 3-बासगांव चौरिया से माधोपुर मदरसा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 1.80 कि0मी0 लागत रु0 133.72 लाख, 4-जमुआन से बैरिया होते हुए खैरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 2.60 कि0मी0 लागत रु0 137.06 लाख एवं 5-तिलगवा पट्टी से बैरिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 1.80 कि0मी0, लागत 92.20 लाख तथा 4 अन्य परियोजनाओं का आगणन वर्ष 2013-14 में आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के पत्रांक-901/551/पू0वि0नि0 (राज्यांश)/13-14, दिनांक 06-02-2014 द्वारा प्रेषित परियोजनाओं का विवरण क्रमशः 1-पिपराघाट पानी टंकी से जयपुर गांव में जाने वाली सड़क का उच्चीकरण व सी0सी0

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रोड का निर्माण कार्य लम्बाई 0.80 कि0मी0 लागत 95.31 लाख, 2-पिपराघाट पानी टंकी से गोलाघाट तक जाने वाली सड़क का उच्चीकरण व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य लम्बाई 1.80 कि0मी0 लागत 78.49 लाख, 3-सेवरही के चनरी चौहान चौराहा से समुही सन्त पट्टी टावर के पास पिच मार्ग तक, सम्पर्क मार्ग का निर्माण 1.40 कि0मी0 लागत 74.07 लाख तथा 4-मिश्रौली देवतानन्द के घर के पास से टिकुलिया पिच मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 2.50 कि0मी0 लागत 145.29 लाख आगणित किया गया है किन्तु धनाभाव के काण स्वीकृति नहीं हो पायी थी। पुनः उपरोक्त परियोजनाओं का आगणन आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के क्रमशः निम्न पत्रांक संख्या-(1)-8398/पू0वि0नि0 (राज्यांश)/14-15, दिनांक 13-10-2014, (2) 8470/557/पू0वि0नि0 (राज्यांश)/14-15, दिनांक 13-10-2014, (3) 8400/पू0वि0नि0 (राज्यांश)/14-15 दिनांक 13-10-2014 से पुरानी दरों पर ही कार्य को पूर्ण करने के प्रमाण-पत्र के साथ स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के भी संस्तुति के आधार पर उपरोक्त परियोजनाओं को पू0वि0नि0 (राज्यांश) अनुदान सं0-56 वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु लम्बित है। इस बावत उक्त प्रकरण में शीघ्र धन अवमुक्त करते हुए कार्य कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सिद्धार्थनगर परतापुर में जर्जर सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरूण कुमार-

[महोदय,

जनपद बरेली के 123-शहर विधान सभा क्षेत्र में सिद्धार्थनगर (परतापुर) में सड़क एवं नाली की स्थिति बहुत ही खराब है। सड़कों पर पानी भरा रहता है जिससे मच्छरों का भी प्रकोप बना रहता है। सड़क खराब रहने से दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विरोहिया पिकअप वीयर एवं जलाशय के बांध का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 रमेश चन्द्र बिन्द-

[महोदय,

कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत आने वाला ग्राम मगरमूड़ में विरोहिया पिकअप वीयर एवं जलाशय के बांध को वर्ष 1942 में निर्मित किया गया था जो कि वर्तमान समय में पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस वीयर से निकलने वाली भरपुरा राजबहा, जिसकी ल0 लगभग 19 कि0मी0 है। जिससे 2600 एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी। लेकिन बांध पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण किसानों की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों की फसलें पानी के अभाव में सूख जा रही हैं, जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय किसानों द्वारा उक्त बंधे के पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है परन्तु अभी तक शासन द्वारा निर्माण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विरोहिया पिकअप वीयर एवं जलाशय के बांध का निर्माण किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली की विभिन्न तहसीलों में शादी व बीमारी अनुदान योजना के हजारों लम्बित प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[महोदय,

जनपद फैजाबाद की विधान सभा क्षेत्र रूदौली मिल्कीपुर, बीकापुर, सदर, सोहावल सहित सभी तहसीलों में शादी व बीमारी अनुदान योजना के हजारों प्रार्थना-पत्र (सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक) लाभार्थियों के लम्बित पड़े हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 के छः माह बीत चुके हैं अभी तक न तो जिला स्तरीय बैठक बुलाई गयी और न ही आवेदन-पत्रों पर कोई विचार किया गया जिसके कारण लाभार्थी जिला एवं तहसील कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं।

पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान के लगभग 700 आवेदन-पत्र वित्तीय वर्ष 2013-14 के भी लम्बित हैं जिनका जिला स्तरीय बैठक में अनुमोदन भी हो चुका है। अभी तक शादी योजना में अनुदान नहीं दिया गया है जिसके कारण जनपद के निर्धन, असहाय तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जाति के व सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को गम्भीर कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कतिपय मार्गों पर मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत निम्नलिखित मार्गों की दशा अत्यन्त खराब है, जिससे आवागमन हेतु क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है :-

1-एन0एच0-34 से दहीरपुर रायपुर मार्ग लगभग-3.30 कि0मी0।

2-नांगल भागूवाला मार्ग से सबलगढ़ मार्ग लगभग 2.25 कि0मी0।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-जालपुर सम्पर्क मार्ग लगभग 1.75 कि0मी0।

4-भागूवाला से काशीरामपुर जालपुर मार्ग लगभग 5.20 कि0मी0।

5-रफीपुर मोहर से श्यामीवाला मार्ग लगभग 2.35 कि0मी0।

6-तिसोतरा सम्पर्क मार्ग लगभग 1.60 कि0मी0।

7-एन0एच0 34 से नहर की पटरी हेतु हुए सबलगढ़ से रामबासवली मार्ग लगभग 1.40 कि0मी0।

8-चन्दन शाखा नहर की पटरी मार्ग लगभग-11.93 कि0मी0।

9-पूरनपुर बिजैरी जट्टीवाला मार्ग के कि0मी0 7 से मेदवाला मार्ग लगभग 7 कि0मी0।

10-पूरनपुर बिजरी मार्ग के कि0मी0 8 से नयागांव मार्ग लगभग 4.00 कि0मी0।

11-रहमापुर प्रेमपुर गुलालवाली मार्ग लगभग 5.30 कि0मी0।

12-नांगल भागूवाला मार्ग के कि0मी0 6 में कोट सराय मार्ग लगभग 1.00 कि0मी0।

13-गुनियापुर से दूधली के कि0मी0 1 व 4 में मरम्मत का कार्य लगभग 2.00 कि0मी0।

14-चिड़ियापुर रामीपुर के कि0मी0 28 से बौरेकी मार्ग लगभग 1.00 कि0मी0।

15-एन0एच0 74 के कि0मी0 59 से गजरौला तक।।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त सड़कों के निर्माण/मरम्मत कार्य की कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

[12.10] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

(कई माननीय सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, कृपया आप लोग बैठ जायें, अब हो गया, सबकी सूचनायें आ गई हैं।

कानपुर नगर में 12वीं पंचवर्षीय योजना की बैठक सत्र के समय बुलाये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात सुने लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

भदौरिया जी, आप बैठिये। आपकी सूचना नहीं है। आज नियम-300 के अन्तर्गत 09 सूचनायें आई थी, जिसमें केवल एक माननीय डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी सुनने लायक हैं, लेकिन वह उपस्थित नहीं हैं।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया वेल में आ गये)

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे क्षेत्र का मामला है। यह कानपुर के अल्पसंख्यकों का मामला है। माननीय अध्यक्ष जी सुन लें। कृपया आप हमारी बात अवश्य सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, यह नियमों में नहीं आता है। जब नियमों के अन्तर्गत आता ही नहीं है, तो क्या सुन लिया जाये।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया आप मेरी पूरी बात सुन लें।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी का औचित्य का प्रश्न सुनने के लायक है, लेकिन वह हैं नहीं। अब मैं मद संख्या-3 ले रहा हूं।

(माननीय मंत्री श्री कैलाश द्वारा मद संख्या-3 प्रस्तुत करने हेतु खड़े होने पर)

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया (वेल से)-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने आसन पर चलिये। यह नियमों में नहीं आता, कृपया आप अपनी सीट पर जाइये। जब नियमों में ही नहीं बनता है, तो बोलने से क्या फायदा। आपको दूसरे नियमों में देना चाहिए, यह नियम-300 में बनता नहीं है। अगर नियम-56 में दिया है, तो उसका समय आने पर बोलियेगा। नाटक मत करिये, कहीं जाकर रामलीला कम्पनी बनाइये, अब बैठिये।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया वापस अपने आसन पर चले गये)

(डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल के खड़े होने पर)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पंचायती राज मंत्री जी, कृपया आप थोड़ा रुक जाइये। अगर नियम-56 में दिया है तो उसका समय आने पर बोलियेगा। नाटक मत करिये, कहीं जाकर रामलीला कम्पनी बनाइये, अब बैठिये।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया वापस अपने आसन पर चले गये)

[12.14] नियम-301 का उत्तर समय से न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल के खड़े होने पर)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पंचायती राज मंत्री जी, कृपया आप रुक जाइये।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न को सदन में लाने का मुझे अवसर दिया। यह प्रश्न नियम-301 और उसके अनुपालन के संबंध में है। अगर आप अपने ही द्वारा जारी निर्देशों की पुस्तिका देखेंगे तो उसके पांचवें पृष्ठ में आर्टिकल 14(1), जो भी प्रश्न हम लोग नियम-301 के उठाते हैं, उस नियम-301 के प्रश्नों को मा0 विधान सभा सचिवालय और शासन के विभिन्न अंग कैसे डील करेंगे, आपने इसके स्पष्ट निर्देश दिये हुए हैं। 14(1) में लिखा है कि इस अध्याय के अधीन सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं का अन्तिम उत्तर मंत्री के हस्ताक्षर से एक माह के भीतर सम्बन्धित सदस्य को भेजा जायेगा। आपने सुनिश्चित किया है कि एक माह के भीतर। 14(2) मंत्री द्वारा सम्बन्धित सदस्य को दिये गये ऐसे प्रत्येक उत्तर की एक प्रति विधान सभा सचिवालय को भी भेजी जायेगी। 14(3) में प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक सूची सदन के पटल पर रखी जायेगी जिसमें पिछले सत्र में सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण होगा और 14(4) में आपका निर्देश है कि निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी सूचनाओं का उत्तर प्राप्त न होने की दशा में विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सम्बन्धित मंत्री द्वारा यथोचित कार्यवाही की जायेगी और उसकी सूचना सदन में यथासम्भव उसी सत्र में विलम्बतम् निदेश संख्या-14(3) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखी गयी सूचना के साथ जो कार्रवाई की गयी है उस कार्रवाई के बारे में सदन को सूचित किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह प्राविधान आपके द्वारा बनाये गये हैं और हम यहां आपके अधिकारों के संरक्षण के लिए खड़े हुए हैं। बहुत बार सदन में चर्चा आयी, चूंकि हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इसको हल्के में ले ले रहे हैं इसलिए स्थितियां बिगड़ती चली जा रही है। मान्यवर, 19 तारीख को सदन के पटल पर इसी नियम के तहत इन सूचनाओं की प्रति रखी गयी। तो 19-06-2014 से 07 जुलाई, 2014 तक 225 सूचनायें नियम-301 के तहत प्रश्न पूछे गये। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप व्यस्त हैं, बहुत से काम हैं आपके पास और इन आंकड़ों को आप शायद न पलट पायें। इन 225 में से अध्यक्ष जी, 36 सूचनाओं का जवाब एक माह के भीतर दिया गया है, मा0 सदस्यों को प्राप्त हुआ है। 189 सूचनायें ऐसी थीं जिनका जवाब एक माह के बाद प्राप्त हुआ और अध्यक्ष महोदय इन 189 सूचनाओं में सिर्फ 02 ऐसे प्रकरण हैं जिसमें आपके द्वारा बनाये गये नियम-14(4) के इन निर्देशों का पालन हुआ है। 189 में सिर्फ 02 और उसमें भी एक में पूरा, एक में अधूरा। एक प्रकरण में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी, दूसरे प्रकरण में महानिदेशालय को लिख दिया गया है कि उचित कार्रवाई की जाए। अब बच गये 187। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 187 में से 167 में जवाब के सामने लिखा हुआ है कि प्रक्रियात्मक विलम्ब। मैं उस शब्द को समझ नहीं पाया और मैं विधान सभा के पटल कार्यालय में गया। पटल कार्यालय के सारे अधिकारियों के साथ में मेरी बैठक हुई। मैंने कहा कि यह प्रक्रियात्मक विलम्ब क्या होता है ? क्या इसको हमारी विधान सभा ने कभी परिभाषित किया है क्योंकि एक रास्ता निकाला गया है कि 189 केसेज में से 167 केसेज में प्रक्रियात्मक विलम्ब के नाम पर किसी भी दोषी कर्मचारी को चिन्हित नहीं किया गया, उन्हें स्वतः क्षमा कर दिया गया। मैंने पूछा कि यह प्रक्रियात्मक विलम्ब क्या होता है। पटल कार्यालय ने सारे कागज पलटने के बावजूद कोई एक भी शब्द नहीं बता पाया कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा के निदेशों में कभी यह शब्द डिफाइन हुआ या नहीं हुआ ? जब यह शब्द डिफाइन नहीं हुआ तो मैंने कहा कि आपने लिख करके कैसे दे दिया ? उन्होंने कहा कि विभाग से आया था हमने लिख करके दे दिया। मेरी आपत्ति है अध्यक्ष महोदय, विभाग कुछ भी लिखा करे, हम सदन हैं और सदन विभागों को संचालित करता है अगर प्रक्रियात्मक विलम्ब कोई शब्द है तो उसे आप परिभाषित कर दें। अगर नहीं है तो 167 दोषी कर्मचारियों, अधिकारियों को, जिन्हें सरकार प्रक्रियात्मक विलम्ब के नाम पर बचाने का काम कर रही है, सदन चल रहा है, सरकार को इसे गम्भीरता के साथ लेना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों को, क्योंकि यह सत्ता का सवाल नहीं है अधिकारियों का सवाल है एक साथ दोनों को सामूहिक निर्णय लेना चाहिए कि प्रक्रियात्मक विलम्ब के बारे में क्या कार्यवाही की जाए। अध्यक्ष महोदय, बाकी जो प्रकरण बचे वह और भी महान हैं, बाकी जो नौ प्रकरण हैं, सदन चल रहा है, सदन में रिपोर्ट दे दी गई और यह भी नहीं बताया गया है इन नौ प्रकरण के बारे में अगर हम जवाब नहीं दे पाए हैं तो क्या कोई दोषी है ? क्या प्रक्रियात्मक विलम्ब है ? क्या किसी को दंडित किया गया ? सदन की इससे बड़ी अध्यक्ष महोदय, न कोई अवहेलना हो सकती है और न कोई अवमानना हो सकती है। 24 जून को मैंने प्रश्न लगाया था मानबेला के किसानों की भूमि के अधिग्रहण के बारे में, और मुझे जवाब दिया गया है 13 नवम्बर को, जब विधान सभा आहूत कर ली गई है अर्थात चूंकि विधान सभा का सत्र बुला लिया गया है और मेरा उत्तर अप्राप्त होता इसलिए विधान सभा के पहले मुझे जवाब प्राप्त करा दिया गया। अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब नवम्बर में आए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह विषय इसलिए लेकर आया हूं कि यह सदन सर्वोपरि है आप हम सबका नेतृत्व करते हैं, हम आपकी मर्यादा में काम करते हैं, आपके निर्देशों का उल्लंघन इस प्रकार से अधिकारी करें, न तो इसके लिए सदन तैयार होगा और न सत्ता और विपक्ष में बैठे विधायक इसके लिए तैयार होंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं वह सीमा पार कर रहे हैं पानी सिर से ऊपर जा रहा है हम लोकतंत्र को इस प्रकार से डूबने और डुबाने की छूट इस प्रकार से अधिकारियों को दें यह उचित नहीं है। मैं इस पर आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि आप इस पर अपना निर्देश जारी करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, डा0 साहब लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परम्पराओं के लिए इतने गम्भीर हैं यह खुशी की बात है जो कमियां आपने बताई हैं इसके बारे में मैं स्वयं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में, और स्वयं सरकार और मा0 अध्यक्ष जी भी चिन्तित रहे हैं आपने बताया कार्यवाही भी हुई है कार्यवाही कम हुई है यह आपकी शिकायत जायज हो सकती है। पूरे प्रकरण को देखा जाएगा और जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जाएगी।

[12.21] कानपुर नगर में 12वीं पंचवर्षीय योजना की बैठक सत्र के समय बुलाये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

भदौरिया जी, आपको क्या व्यवस्था पर बोलना है।

*श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है उस क्षेत्र में 60 से 65 प्रतिशत लोग अल्पसंख्यक हैं। वहां 27-11-2014 को कानपुर नगर में 12वीं पंचवर्षीय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजना के अन्तर्गत एम0एस0डी0पी0 योजना की बैठक आहूत की गई है। इस बारे में मुझे मा0 सदस्य सतीश महाना जी द्वारा जानकारी हुई कि उन्हें बैठक की सूचना मिली मुझे इस बैठक की सूचना नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष-

आप कहना क्या चाहते हैं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

श्रीमन् जनपद कानपुर नगर में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में एम0एस0डी0पी0 योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर सहमति हेतु दिनांक 27-11-14 को कलेक्ट्रेट सभागार में सायं 4 बजे बैठक आहूत किए जाने की सूचना एम0के0 चन्दानी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा जारी की गई है। इस बैठक की सूचना मुझे नहीं दी गई। जबकि मेरा क्षेत्र अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष-

हम आपकी बात समझ गए हैं आपका कहना है कि 27-11-14 को विधान सभा का सत्र चल रहा होगा और मीटिंग 27 तारीख को रखी गई है। जबकि नियम यह है कि मा0 सदस्य विधान सभा के सत्र के समय किसी बैठक में न बुलाए जाएं। वह बैठक न की जाए।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मेरी बात सुन ली जाए। जो एम0के0 चन्दानी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर हैं उसने मुझे सूचना तक नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष-

जब आपको सूचना नहीं है तब क्यों उठा रहे हैं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

इसीलिए तो उठा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं इसलिए मुझे सूचना नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष-

आपको बोलने की आदत है।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

एक मिनट सुन लें हमारी विधान सभा में आधे वार्ड 20-25 प्रतिशत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है। कुछ वार्ड में 50 से 70 प्रतिशत संख्या अल्पसंख्यकों की है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मुझे सूचना तक नहीं दी है। जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं जब मैं ही नहीं होऊंगा तो मैं उन अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे कर पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें।

आप बैठ जायं। देखिये आपने ध्यान आकृष्ट किया। यह एक परम्परा रही है कि विधान सभा की कि जब विधान सभा चल रही हो तो उस समय उनके सदस्यों को जिस भी कमेटी के वह मेम्बर

हों, उन कमेटियों की बैठक न की जाय। उन्होंने अगर बैठक कर ली है 27 नवम्बर को विधान सभा चलते तो उन्हें निर्देशित किया जायेगा वह मीटिंग न करें। बात खत्म हो गई है। अब आप बैठें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, बात कहां खत्म हो गई। बात जो है वह मैंने समझी, इनकी भाषा मैंने समझी। अल्पसंख्यकों की बात है। कान मरोड़ा जायेगा और वह आपसे आकर क्षमा मांगेंगे। वह आपसे क्षमा मांगेगा और आपके यहां आयेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बात हो गई।

श्री योगेश नारायण-

मान्यवर, एक है।

श्री अध्यक्ष-

क्या सूचना है ? बताइये।

श्री योगेश नारायण-

मान्यवर, अभी तत्काल में माननीय..

श्री अध्यक्ष-

वह जो सूचना है लिख कर दे दीजिये, इसमें सूचना देने का औचित्य नहीं है। बैठिये।

श्री योगेश नारायण-

मान्यवर, जिस विद्यालय का नाम आपने लिया था वह है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

वह बाद में बता दीजियेगा। खन्ना साहब आपसे मिल लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, विद्यालय है कैसे नहीं। गाड़ीपुरा, मेरे क्षेत्र का है।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये। आप दोनों लोग बाद में देख लीजियेगा।

[12.26] पंचायती राज संस्थाओं पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन 31 मार्च, 2010 एवं 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार†

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन 31 मार्च, 2010 एवं 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवां

† छापा नहीं गया।

संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-176 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

सहकारी समितियों एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन 2010-2011†

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा)(छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-176 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के 31वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2010-2011††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के 31वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1574/ग्यारह-9 (214)/13-उ0 प्र0 अधि0-5-2008- आदेश-2014††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1574/ग्यारह-9 (214)/13-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(121)-2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2014-2015 का अनुपूरक) विधेयक, 2014

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2014-2015 का अनुपूरक) विधेयक, 2014, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 19 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 19 नवम्बर, 2014 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को वापस प्राप्त हो गया।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि-

(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014, जो इस सदन द्वारा दिनांक 25 जून, 2014 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 26 जून, 2014 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 25 जून, 2014 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा उसी रूप, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को पुनः पारित किया गया था, पारित होने के उपरान्त दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014, जो इस सदन द्वारा दिनांक 25 जून, 2014 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 26 जून, 2014 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को उसी रूप में जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 25 जून, 2014 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को पुनः पारित किया गया था, पारित होने के उपरान्त दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को वापस प्राप्त हो गया ।

[12.31] उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 जो इस सदन द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2014 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 02 जुलाई, 2014 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2014 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा उसी रूप, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को पुनः पारित किया गया, पारित होने के उपरान्त दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2014

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2014, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2014

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2014, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को वापस प्राप्त हो गया ।

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2014†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2014, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग विधेयक, 2014

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग विधेयक, 2014, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुछ नहीं है।

फिरोजाबाद के मोहल्ला द्वारिकापुरी, कोटला रोड की कच्ची गलियों एवं नालियों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक सुश्री बबली आदि निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं फिरोजाबाद के मोहल्ला द्वारिकापुरी, कोटला रोड की कच्ची गलियों एवं नालियों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक सुश्री बबली व सुश्री पंकी निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

† छापी नहीं गई।

फिरोजाबाद के मोहल्ला सविता नगर, कोटला रोड की कच्ची गलियों एवं नालियों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री अशोक वर्मा आदि निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं फिरोजाबाद के मोहल्ला सविता नगर, कोटला रोड की कच्ची गलियों एवं नालियों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री अशोक वर्मा व श्री राम कुमार तिवारी, निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

फिरोजाबाद के ग्राम रहना वार्ड नं0-3 (नई आबादी) रहना की कच्ची गलियों एवं नालियों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री पंकज सविता आदि निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं फिरोजाबाद के ग्राम रहना वार्ड नं0-3(नई आबादी) रहना की कच्ची गलियों एवं नालियों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री पंकज सविता व श्री हरी प्रकाश शर्मा निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

फिरोजाबाद के रघुवीरपुरम् (नई आबादी), रहना की कच्ची गलियों एवं नालियों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं फिरोजाबाद के रघुवीरपुरम् (नई आबादी), रहना की कच्ची गलियों एवं नालियों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र सिंह व श्री सुरेश कश्यप, निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

फिरोजाबाद के परशुराम कालोनी, रहना की कच्ची गलियों एवं नालियों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री राधेश्याम मिश्रा आदि निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं फिरोजाबाद के परशुराम कालोनी, रहना की कच्ची गलियों एवं नालियों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री राधेश्याम मिश्रा व श्री अतर सिंह, निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

फिरोजाबाद के मोहल्ला ठारपूठा महादेव नगर की कच्ची गलियों एवं नालियों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक पं0 वीरेश शर्मा आदि निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं फिरोजाबाद के मोहल्ला ठारपूठा, महादेव नगर की कच्ची गलियों एवं नालियों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक पं0 वीरेश शर्मा व श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान, निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

विशेषाधिकार हनन के प्रकरण की वर्षों से लम्बित रिपोर्ट को दिखवाये जाने की मांग

श्री सलिल विश्नोई-

माननीय अध्यक्ष जी मेरा विशेषाधिकार का एक प्रश्न 10 साल से पेंडिंग है। आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। यह 10 साल से पेंडिंग है। इसमें विशेषाधिकार समिति की सर्वसम्मति की रिपोर्ट है इसमें क्यों विलम्ब हो रहा है। यह मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ विषय है एक सदस्य से सम्बन्धित विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न है इसमें जांच पूरी कर निर्णय कर लिया गया है आपके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत होना है।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री सलिल विश्नोई-

मान्यवर, 2004 का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

एक बार पिछले विधान सभा सत्र में भी यह मामला आया था। इसमें नहीं दूसरे वाले में। उसमें जिनको यह प्रस्तुत करना था वह थे नहीं। अभी हम इसको दिखवा लेते हैं। हम जानते हैं इसके बारे में, आपका पेंडिंग है। इसको दिखवा लेते हैं।

[12.34] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

आज दिनांक 25-11-2014 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम तीन सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है :-

क्र0सं0	नाम	विषय
1	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मो0 इकबाल, श्री रोमी साहनी, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री सुल्तान बेग, श्री रमेश चन्द्र बिन्द, श्री अली यूसुफ अली, डा0 धर्मसिंह सैनी, श्री कालीचरन सुमन, श्री गेंदा लाल चौधरी, श्री वहाब चौधरी, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री ओम कुमार, श्री रामहेत भारती, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री विजय कुमार दुबे तथा श्री अजय कुमार लल्लू	दिनांक 21-11-2014 को कुशीनगर के पडरौना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जटहा थाने पर किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज एवं गोलीबारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
2	डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल	गोरखपुर जनपद की बिगड़ती कानून व्यवस्था, रंगदारी वसूली एवं पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

क्र0सं0	नाम	विषय
3	श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सतीश महाना, श्री धर्मपाल सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', डा0 अरुण कुमार, श्री पंकज गुप्ता, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी तथा श्री अगयश राम सरन वर्मा।	प्रदेश में विधान सभा के माध्यम से आवंटित बजट का समयबद्ध सदुपयोग न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
ध्यानाकर्षण हेतु चयनित की गईं		
4	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया	कानपुर महानगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 23-11-2014 को नगर निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा बिना किसी पूर्व चेतावनी के गरीब परिवारों के घरों को गिरा दिये जाने के सम्बन्ध में है।
5	श्री प्रदीप चौधरी	प्रदेश में अस्पताल, स्कूलों, बिजलीघर व स्टेडियम आदि हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
6	श्री संजय प्रताप जयसवाल	जनपद बस्ती के तहसील भानपुर स्थित ग्राम भानपुर के समुचित जल निकासी हेतु नाले के निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
7	श्री कालीचरन सुमन	जनपद आगरा में थाना मलपुरा के ग्राम लामऊ में श्री नत्थीलाल पुत्र बुद्धा को गोली मारकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
8	श्री रोशन लाल वर्मा	शाहजहांपुर में दिनांक 9-10-2012 को अशोक भोजवाल की पुत्री पूजा के अपहरण के सम्बन्ध में हुई एफ0आई0आर0 में पुलिस द्वारा समझौते का प्रयास कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा

क्र0सं0	नाम	विषय
9	श्री राकेश बाबू	जनपद फिरोजाबाद की तहसील सदर के ग्राम नगरिया पदम में इतवारी खां पुत्र श्री शेर खां की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है।
निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गईं		
1	कुंवर कौशल सिंह	जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां स्थित कथित श्रीमती पद्मिनी चौधरी जूनियर हाई स्कूल हेतु दी गई धनराशि से निर्माण कार्य न होने एवं धनराशि की वसूली न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
2	श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'	जनपद लखनऊ में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
3	श्री जगन प्रसाद गर्ग	प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2014-15 में अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों हेतु कतिपय योजनायें न चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
4	श्री उमाशंकर	जनपद बलिया स्थित द किसान सहकारी चीनी मिल माधोपुर के मिल कर्मचारियों के बकायों का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
5	श्री बब्बन सिंह चौहान	जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत दिनांक 18-9-2014 को कोतवाल अनुरुद्ध सिंह द्वारा व्यापारियों एवं पत्रकारों पर हुए लाठीचार्ज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
6	श्री राजबली जैसल	रायबरेली स्थित कृष्णा नर्सिंग होम में दिनांक 6-11-2014 को श्रीमती वत्सला सिंह पत्नी श्री सुधीर सिंह के साथ नर्सिंग होम द्वारा लापरवाही बरतने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
7	डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	प्रदेश के कतिपय एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा के उपायों व सहायता हेतु प्रभावी सुविधायें उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

क्र0सं0	नाम	विषय
8	श्री प्रदीप माथुर, श्री दिलनवाज खां	प्रदेश में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के अधीन लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों की धीमी प्रगति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
9	श्री नदीम जावेद	जौनपुर-शाहगंज मार्ग की मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
10	श्री अवस्थी बाला प्रसाद	लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा की ग्राम पंचायत जुगनुपुर में अनुसूचित जाति के लोगों को वर्ष 2009 में आवंटित भूमि के पट्टों पर बोई फसल पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है।
11	श्री सुरेश राणा	जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में विभिन्न मार्गों की मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
12	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द	जनपद मिर्जापुर के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा संविदा नियुक्तियों पर की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में तथा
13	श्री दलवीर सिंह, श्री पूरन प्रकाश, श्री सुदेश शर्मा, श्री वीरपाल राठी, श्री त्रिलोकी राम तथा श्री भगवती प्रसाद।	दिनांक 18-9-2014 को मुरादनगर के ग्राम आबूपुर के थाना निवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन के किसानों एवं विधायकों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से वर्तमान में पुलिसिया अत्याचार, जुल्म, ज्यादती बढ़ रहा है और पुलिस उत्पीड़न अपनी पराकाष्ठा पर है। उससे प्रदेश की जनता भयभीत है और मान्यवर, पुलिस की अराजकता से जहां एक ओर जनता त्रस्त है वहीं दूसरी ओर पुलिस से आम जनता का विश्वास भी उठता जा रहा है। जिसका नतीजा है कि आये दिन पुलिस बल पर जनता के द्वारा हमला किया जाना आम बात होती जा रही है। इसी तरीके से कुशीनगर जनपद स्थित मेरी विधान सभा पडरौना के अन्तर्गत जटहा थाने पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्थानीय जनता स्थानीय मांगों को लेकर विशेष रूप से अवैध शराब की भट्ठियां रुकवाने के लिए अवैध बालू खनन की मनाही के लिए और साथ ही साथ पडरौना चीनी मिल चलवाने के लिए, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराने की मांग को लेकर जिला प्रशासन से अनुमति के उपरान्त वहां पर धरना देने का काम कर रहे थे।

मान्यवर, अधिकारियों की उदासीनता का आलम यह था कि मौके पर कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा और जिसके नाते वहां की स्थानीय पुलिस बेलगाम हो गयी और पुलिस ने किसानों की आवाज को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर वहां पर गोलीबारी की, लाठीचार्ज किया और जिसमें उस अफरातफरी में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुये। मान्यवर, दर्जनों की संख्या में आन्दोलनकारी गोरखपुर मेडिकल कालेज में भर्ती हैं और जानकारी मिली है कि एस0ओ0 सहित एक पुलिसकर्मी भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। मान्यवर, किसानों की मांग को दबाया गया, किसानों की बात को अनसुना किया गया। किसानों पर गोलियों से बौछार की गयी। लाठी डण्डे चलाये गये। बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए। यही नहीं पुलिस कर्मियों पर हमले के आरोप में 250 अज्ञात क्षेत्रीय जनता के खिलाफ अनेक धाराओं में मुकदमें दर्ज करके उनको अलग से प्रताड़ित किये जाने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, वहां ऐसे भयानक हालात बन गये हैं कि आम जनता का रास्ते पर चलना दूभर हो गया है। कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। उस सड़क से कोई मुख्यालय भी नहीं आ सकता है, जिस तरीके से पुलिसिया बर्बरता, अत्याचार का खेल और नंगा नाच जटहा थाने के पुलिस कर्मी और जिला प्रशासन उनका पक्ष लेकर कर रहा है, इससे क्षेत्रीय जनता में बड़े पैमाने पर आक्रोश है। मान्यवर, इस पुलिसिया बर्बरता के चलते वहां ध्रुव यादव, राम प्रताप यादव, मोहन कुशवाहा जिनको बुरी तरह से गोली लगी है, गम्भीर हालत में हैं। बचेंगे या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही साथ वहां पर अन्य लोग जो घायल हुए हैं उनमें तालकेश्वर तिवारी, सुखदेव यादव, स्वामी नाथ यादव, रामानन्द यादव, धीरेन्द्र यादव, मोती लाल मुसहर, तबस्सुम निशा, आदि बुरी तरह घायल हैं और गोरखपुर मेडिकल कालेज में अपना इलाज करा रहे हैं। मान्यवर, उनके इलाज के लिए कोई सरकारी लाभ भी नहीं है, उलटा पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज करके प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए मान्यवर, मैं इस गम्भीर मामले को जिससे वहां की जनता परेशान है, वहां की सारी की सारी व्यवस्था चरमराई हुई है, लोगों का चलना दूभर हो गया है लोगों की बात दबाई जा रही है। इसलिए मान्यवर लोगों में भीषण जनाक्रोश है। यह जनाक्रोश आन्दोलन का रूप भी ले रहा है क्योंकि मान्यवर, वहां पर 21 तारीख से लगातार धरना चल रहा है, अभी भी चल रहा है लेकिन मान्यवर, कोई भी कारगर कदम प्रशासन द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। वहां पर भयावह स्थिति बन सकती है, इसलिए मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें, जिससे समस्याओं का निदान कराया जा सके।

*श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, जनपद कुशीनगर के जटहा बाजार में जो 21.11.2014 को किसानों द्वारा जनहित के मुददे पर आन्दोलन किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने पूरी भावनाओं से आपको अवगत कराया। मान्यवर, जनहित में कोई भी दल या किसी भी संगठन को लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए आन्दोलन करने का अधिकार है। उस दिन भी क्षेत्रीय लोग किसी मुद्दे को लेकर आन्दोलन कर रहे थे, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने बताया। जब संगठन के लोग आन्दोलन करने के लिए गये तो वहां के स्थानीय एस0ओ0 द्वारा उनके पूरे आन्दोलन के टेन्ट को उखाड़ कर फेंक दिया गया। वहां से आन्दोलनकारी वापस लौटे, वापस लौटने के बाद फिर एक संख्या में आये और संख्या में आने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बाद जब वह धरने पर बैठने ही वाले थे, वहां के स्थानीय एस0ओ0 द्वारा अफरा-तफरी का माहौल खुद बनाकर थाने से 200 मीटर दूर आन्दोलनकारी थे, खुद कमान संभालते हुए लगातार वहां के स्थानीय किसानों पर गोली चलाई गयी। जिसमें मोहन कुशवाहा मरने के कगार पर पहुंच गया और 6 लोगों को गोली लगी और 8 लोग गम्भीर रूप से लाठी-दण्डे के शिकार हुए। मान्यवर, सवाल इस बात का है, लोकतंत्र में सबको आन्दोलन करने का अधिकार है और जनहित के मुद्दे पर आन्दोलन करते हुए अगर लोगों के साथ इस तरह पुलिसिया बर्बरता की जायेगी और किसी भी अधिकारी को अगर इतनी छूट दे दी जायेगी। अगर इस तरह की घटना सरे आम अपने पिस्टल से आन्दोलनकारियों पर गोली चलाना इस बात को साबित करता है कि कहीं न कहीं एस0ओ0 अपनी पूरी मन की स्थिति को स्पष्ट करने का काम किया है। अध्यक्ष जी यह घटना पहली बार नहीं हुई है। इसके पहले भी अभी तीन महीने पहले वह एस0ओ0, एक स्थानीय किसान जो पुआल लादकर जा रहा था और पुआल लादकर जब आगे की तरफ बढ़ा तो उस एस0ओ0 के द्वारा गाड़ी से जाया जा रहा था, वह बेचारा चूंकि बैलगाड़ी थी थोड़ी साइड में उसको निकलने में दिक्कत हुई, एस0ओ0 फिल्मी अंदाज में उस किसान को बैलगाड़ी से उतार कर के इतनी बुरी तरह मारा-पीटा कि पूरे क्षेत्र में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो गई और पूरा क्षेत्र उस दिन भी आन्दोलनरत था। सवाल इस बात का है मा0 अध्यक्ष जी कि इस तरह किसी भी अधिकारी या किसी भी एस0ओ0 का मनोबल बढ़ेगा तो निश्चित ही वह इस तरह की कार्यवाही करेगा। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि पीड़ित परिवार और जो घायल परिवार हैं उनको मुआवजा दिये जाने की सरकार घोषणा करे और जो एस0ओ0 ने इस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की है, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग करना चाहता हूं और जो पीड़ित और घायल अभी तक अस्पताल में पड़े हुए हैं, उनके पूरे इलाज की व्यवस्था सरकार की तरफ से कराई जाय। मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं, धन्यवाद।

* श्री विजय कुमार दुबे-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र से मात्र 50 मीटर की दूरी पर यह घटना स्थल है और अधिकांश आन्दोलनकारी और घायल सब मेरी विधान सभा क्षेत्र कठियाई भरपुरवा के रहने वाले हैं । सबसे पहले थानाध्यक्ष जी की यह कमी कि एक छोटा सा भी आन्दोलन अगर थाने के आस-पास कहीं भी हो रहा हो तो जिले के अधिकारियों को सूचना दी जाती है, लेकिन उस थानाध्यक्ष के द्वारा कोई सूचना न दिये जाने के कारण वहां पर कोई अधिकारी और फोर्स नहीं लगा बल्कि वह स्वयं अपने इलाके के सैकड़ों चौकीदारों को इकट्ठा करके लाठी-डण्डा लेकर के पहले से मुठभेड़ करने की तैयारी किये थे और जब ज्यादा बात बिगड़ी तो अपनी पिस्टल से गोली चलाते हुए लोगों को घायल किये हैं। अभी मा0 नेता प्रतिपक्ष जी ने सदन को बताया है, हम लोगों की मांग है कि सीधे-सीधे थानाध्यक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालने की कार्यवाही की जानी चाहिए और जो घायल हैं उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि वह लोकतांत्रिक ढंग से अल्टीमेटम देकर के धरना प्रदर्शन करने वाले आन्दोलनकारी थे और मा0 अध्यक्ष जी हम लोगों की एक सबसे नितान्त मांग है,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो आन्दोलनकारी थे, उल्टे उनके ऊपर जो गम्भीर फर्जी मुकदमें लगाये गये हैं, उनको वापस लिये जाने की मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने और मा0 सदस्यों ने जो मामला उठाया है, यह सरकार के संज्ञान में है और गम्भीर मामला है। पहले की भी शिकायतें हैं, यह भी सही है, लोकतंत्र में मांग उठाने वालों के साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल असहनीय है और सरकार इस पर अवश्य ही कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़ी सदाशयतापूर्ण इसमें आश्वासन, कार्यवाही करने के लिए दिया है, मैं केवल यह निवेदन करना चाहूंगा, आपकी ओर से प्रशासन को निर्देश चला जाय जो लोग गोरखपुर मेडिकल कालेज में इलाज करा रहे हैं गम्भीर हैं, उनका सरकारी खर्च पर इलाज हो जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें जो बेगुनाह हैं, उनके मुकदमें वापस हों और जो अस्पताल में दाखिल हैं, उन घायलों का अच्छा इलाज हो, सरकार इसको करायेगी।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ एक बात आज आपके माध्यम से इस सदन में जरूर दोहराना चाहूंगा, कदाचित ये एक असाधारण अवसर है, जब मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने सरकार की ओर से इतने, जिस तरीके का आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि पूरी कार्यवाही की बात सदन में स्वीकार की है, दूसरे लोग भी रहे हैं और बहुत से जघन्य से जघन्य कृत्य होते रहे हैं और असंवेदनशील तरीके से लोगों ने लिया है लेकिन मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने आज जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उससे हम सभी सदस्य यहां पर गौरवान्वित हैं इसलिये कि कम से कम लोकतंत्र के जो मूल तत्व हैं, उनकी ठीक से बहाली के लिए जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने किया मैं समझता हूं कि इस पूरे सदन को इसके लिए आभार मानना चाहिए।

(मेजों की थपथपाहट)

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गोरखपुर और गोरखपुर के आस-पास बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के सन्दर्भ में कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष-

आप इस व्यवस्था को कितनी बार उठायेंगे ? कानून व्यवस्था पर तो बहस हो चुकी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं गोरखपुर और सिर्फ गोरखपुर की बात करूंगा। अध्यक्ष जी, आप स्वयं भी उसी के आस-पास के क्षेत्र के हैं और आप जानते ही हैं कि एक जमाने में गोरखपुर को शिकागो कहा जाता था और आज से 15, 20 साल पहले गोरखपुर में अपराधियों का जमावड़ा होता था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपने यह कहकर सबको बचा लिया।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अभी मैं आपके सामने हूं और गोरखपुर का विधायक हूं। किसी भी वेश में आप मुझे उस तरीके से न देखें। लेकिन इधर कुछ दिनों से स्थितियां फिर बिगड़ना शुरू हुई हैं इसीलिए मैं आपके पास इस सदन में आया हूं। मैं दो प्रकरणों की चर्चा करूंगा। एक सबसे बड़ा प्रकरण रंगदारी का हो रहा है। जेल में बैठे हुए लोग मैं नाम नहीं ले सकता हूं। जेल में बैठे हुए लोग चाहे गोरखपुर में हों या कहीं हों। गोरखपुर शहर का कोई डॉक्टर हों, कोई नर्सिंगहोम हों, कोई बड़ा दुकानदार हो, कोई कोचिंग सेण्टर हों, कोई विद्यालय हो या कोई व्यापारी, उद्यमी हो, उनके पास खुलेआम फोन जा रहे हैं, खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं और खुलेआम पैसे वसूले जा रहे हैं। यह एक आम बात हो गई है, एक आम घटना हो गई है। कुछ लोग वहीं के हैं, कुछ लोग बिहार से आते हैं और मा0 अध्यक्ष जी, आप भी बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जान रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, एक डॉक्टर, डा0 मौर्या ने हिम्मत की। 12 अक्टूबर को उनको धमकी दी जा रही थी और आज हम 24 अक्टूबर में हैं। 12 अक्टूबर को उनको धमकी दी जा रही थी उन्होंने हिम्मत कर ली और पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने कहा कि फोन-वोन तो आते रहते हैं, अन्जान नम्बर के फोन मत उठाया करो। यह पुलिस की ताकीद थी एक व्यक्ति को जिसने रंगदारी मांगने पर पुलिस को जाकर के शिकायत की थी। 7-8 फोन आते रहे, वह टालता रहा। दो दिनों पूर्व ए0डी0जी0 महोदय गोरखपुर गए थे, एक ओर सड़कों पर वे घूम रहे थे और दूसरी ओर सड़कों पर अपराधी घूम रहे थे। ए0डी0जी0 की शहर में उपस्थिति के बीच ही उन अपराधियों ने डॉक्टर साहब के क्लीनिक पर गोलियां चला दीं। एक डॉक्टर जो अपनी शिकायत लेकर महीनों से पुलिस के पास जाता है और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। जिस दिन प्रदेश की कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा आला अधिकारी वहां बैठता है, गोरखपुर का अपराधी इतना मजबूत हो गया, इतना ताकतवर हो गया, इतनी हिम्मत उसकी बढ़ गई कि ठीक उसी दिन पूरे प्रशासन को चुनौती देने के लिए डॉक्टर मौर्या के क्लीनिक पर गोली चलाई जाती है। नाम मैं एक का ले रहा हूं क्योंकि एक सामने आया है। अध्यक्ष जी, जैसे बर्फ होती है न, बर्फ जितनी ऊपर दिखती है उससे कहीं ज्यादा पूरी बर्फ नीचे होती है। सच्चाई यह है कि आज सैकड़ों की संख्या में गोरखपुर के व्यापारी, गोरखपुर के डॉक्टर, कोचिंग सेण्टर के संचालक, विद्यालय चलाने वाले लोग दहशतजदा हैं कि जाएं तो जाएं कहां, किसके पास जाएं, कौन उन्हें संरक्षण देगा? मा0 अध्यक्ष जी, दूसरी घटना, मैं लाना नहीं चाहता था। यह 7 तारीख की घटना थी। उसके घर वाले बार-बार मुझसे कहते थे कि डॉक्टर साहब, आप विधान सभा में इस सवाल को उठा दीजिए क्योंकि गोरखपुर में अधिकारी दोषियों के विरुद्ध और हमारे समर्थन में कार्यवाही नहीं करेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, 4 साल की बच्ची है, 4 साल की एक अल्पसंख्यक बच्ची है। 4 साल की वह बच्ची जूनियर के0जी0 स्कूल में

पढ़ती थी। स्कूल के अन्दर उसके साथ दुराचार किया गया। मैं एफिडेविट लेकर आया हूं, इस एफिडेविट को सदन की कार्यवाही बनाने के लिए लाया हूं। आप विधान सभा के इतिहास में पहली बार देख रहे होंगे कि एक 4 साल की बच्ची के माता-पिता ने शपथ-पत्र लिखकर के गुजारिश की है कि 4 साल की बच्ची के साथ दुराचार हो गया। पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है और कार्यवाही कराई जाए। अध्यक्ष जी, यह 7 तारीख की घटना है, दो दिन तक पुलिस ने जांच की, दो दिन बाद पता नहीं किसका दबाव था कि एक मजिस्ट्रेट की जांच बैठा दी गई। मा0 अध्यक्ष जी, 7 तारीख की घटना, पुलिस का काम विवेचना करना और दो दिन के अन्दर 9 तारीख को मजिस्ट्रेट की जांच बैठा दी गई। और पुलिस ने अपने को किनारे कर दिया, मजिस्ट्रेट की जांच चल रही है, जब रिपोर्ट आएगी तब बताएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस शपथ पत्र में मैं इसे पढ़ना नहीं चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ने की जरूरत नहीं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

नहीं, नहीं अध्यक्ष जी, मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूं। मुझसे उम्मीद भी मत करिये इस बात की, मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा लेकिन चूंकि मैंने कहा कि मैं इसे सदन की कार्यवाही बना रहा हूं, मैं इसे आपके पास भेजूंगा आप इसके अन्तिम पन्ने को पढ़ियेगा और सोचिएगा कि क्या कोई माई-बाप अपने बच्चे के स्त्री अंग के बारे में इस प्रकार की भाषा लिख सकता है। पीड़ित है वह परिवार, दुःखी है वह परिवार आज भी इंतजार कर रहा है, इस बात का कि कम-से-कम उसे यह बता दिया जाए कि उसके साथ जिस अपराध का उसे विश्वास है 7 तारीख से लेकर 24 तारीख 17 दिन हो गए मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं अगर चाहता तो पहले दिन से इस सदन को डिस्टर्ब कर सकता था, लेकिन आप मेरे तौर-तरीकों को जानते हैं। मैं लगातार इस बात को शांति से ले रहा हूं, मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में यह प्रकरण मैंने 5 दिन पहले दिया था। कल ही वह मेरे पास आये हैं कल की डेट का एफीडेविड है, कल 24 तारीख का, कल वह आकर के मुझे शपथ-पत्र दे गये हैं और मुझे आदेशित कर गये हैं मा0 अध्यक्ष महोदय, कि मैं इसे विधान सभा में उठाऊ। प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय कि अगर चार साल की बच्ची के साथ कोई अन्याय हो और हम तब भी संवेदनशील न हो, तब भी हमें न लगे कि हमारी कुछ सीमायें है। क्या कर रहे हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी महोदय, आरोप है डॉक्टरों के ऊपर लिखित रूप से, लिखित रूप से डॉक्टरों के ऊपर आरोप है कि किस प्रकार से डॉक्टरों ने उसकी जांच करने में लापरवाही की, अखबार के पन्ने भरे हुए हैं। डिस्ट्रिक अस्पताल में जाकर के डॉक्टरों ने उस चार साल की बच्ची की जांच टालने की कोशिश की, मजिस्ट्रेट की जांच बैठा दी गई, चूंकि अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मेरी पत्नी चिकित्सक है, मेरी बेटी चिकित्सक है और इस नाते हम लोग उसके घर गए थे। हमने देखा है, मैं यहां वर्णन नहीं कर सकता हूं लेकिन गारण्टी लेता हूं इस बात की कि जो आरोप शपथ-पत्र में दिया है, वह आरोप पूरी तरह सही है। मेरा प्रश्न इस सदन से मा0 अध्यक्ष महोदय की अगर हम इतने महत्वपूर्ण विषय पर न्याय न दिलवा सकें तो आखिर हम हैं किस बात के लिए, मैं यह विषय नहीं उठाऊंगा कि भलूटिया मार्केट में दुकानदार से 3 लाख रुपये लूट लिये गए। मैं आपको घटना बताऊ गुलरिया थाना आप जानते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो प्रश्न लगाया, वह तो रंगदारी से सम्बन्धित है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, खत्म कर रहा हूं। रंगदारी यह भी है और वह भी रंगदारी ही है जो उस बच्ची के साथ हुई थी। उससे बड़ी रंगदारी है। मा0 अध्यक्ष महोदय, आप इन्हीं दो प्रकरणों को रख लें, बाकी प्रकरण में अलग से लिखित रूप से दे दूंगा, लेकिन इन दोनों प्रकरणों पर कोई कार्यवाही होनी चाहिए। गोरखपुर के लोग, आप जानते हैं कि मैं निःशस्त्र चलता हूं, बिना सुरक्षा के चलता हूं, फिर भी मैं यह विषय सदन में ला रहा हूं, इन अपराधियों की जगह जहां होनी चाहिए, ये अपराधी वहां भेजे जाने चाहिए और उस बच्ची के साथ अध्यक्ष जी, न्याय होना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, दोनों प्रकरण ऐसे हैं, जिसमें पूरी जानकारी मेरे पास भी रहनी चाहिए। इसलिए कि आपने बताया कि सभी के साथ यह हो रहा है, जेल से फिरौती की मांग हो रही है और एक ने हिम्मत की है, तो मान्यवर, यह देखना होगा कि उनकी हिम्मत के पीछे तथ्य क्या हैं ? जाहिर है यह जांच का बिन्दु है, मालूम करेगी सरकार और दूसरा यह चार साल की बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना। मैं नहीं जानता इसमें मेडिकल हुआ बच्ची का या नहीं हुआ। क्या डॉक्टर साहब इस बारे में बता पाएंगे कि मेडिकल हुआ कि नहीं हुआ ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

हुआ है, दो-दो बार हुआ है, रिपोर्ट अभी तक नहीं मालूम, आखिर क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं, मान्यवर, अगर बच्ची का मेडिकल हुआ है और मेडिकल में बलात्कार की पुष्टि हुई है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज न करे और कार्यवाही न हो, इसे सुनिश्चित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। मैं यह कह रहा हूं कि रिपोर्ट दर्ज हुई। मेरा यह आरोप नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं, नहीं मान्यवर, ये दो बातें बिल्कुल अलग हैं। किसी का शपथ-पत्र दे देना किसी अपराध को साबित नहीं करता और जो घटना बच्ची के साथ बताई जा रही है, उसकी बुनियादी शर्त यह है कि मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए और जो जुर्म बताया गया है वह सिद्ध होना चाहिए। अगर मेडिकल रिपोर्ट है और उससे वह जुर्म सिद्ध है, तो अवश्य कार्यवाही होनी चाहिए और होगी और अगर वैसा नहीं है तो इस शपथ-पत्र का कोई मतलब नहीं बल्कि यह भी देखा जायेगा कि इस प्रकार का शपथ-पत्र क्यों दिया गया है और उसके पीछे के भी तथ्य क्या हैं ?

(एक आवाज आई, यहां दिया जा सकता है क्या)

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं, बात यह नहीं है। इस प्रकार का शपथ-पत्र दिया जाना अगर मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार नहीं आया है, कोई घटना हुई है और यह नहीं आया है, तो यह बड़ी संगीन बात है, ये शपथ-पत्र देने वाले की मंशा, उसके पीछे और कौन-कौन लोग हैं, क्या वजह है, यह सब भी देखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सतीश महाना, श्री धर्मपाल सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी', डा0 अरूण कुमार, श्री पंकज गुप्ता, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी एवं श्री अगयश राम सरन वर्मा की प्रदेश में विधान सभा के माध्यम से आवंटित बजट का समयबद्ध सदुपयोग न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम-56 पर दी गयी एक सूचना पर बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूं । मान्यवर, आप सहमत होंगे कि इस विधान सभा के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के विकास के लिए जो बजट स्वीकृत करते हैं उसको समय से उसको खर्च किया जाय उसका सदुपयोग हो तो जिस उ्देश्य से बजट दिया जाता है उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और अगर मान्यवर, देरी होती है तो निश्चित रूप से उस परियोजना पर खर्च भी बढ़ता है और जिस उद्देश्य से वह बजट दिया जाता है जनता को उसको लाभ भी नहीं मिल पाता है । मान्यवर, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊँगा जो अनुपूरक के समय यहां पर आ चुकी है । सामान्य बजट हमने जुलाई में पास किया था, लेखानुदान भी इसी वर्ष हमने अभी पास किया था और अभी भी बहुत से विभागों में किसी में 15 परसेन्ट, किसी में 20 परसेन्ट, किसी में 25 परसेन्ट, किसी में 15 परसेन्ट खर्च हुआ है जबकि पैसा ज्यादा खर्च होना चाहिए था अगर समय से खर्च होता। मान्यवर, अगर समय से नहीं खर्च होता है तो जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता है और पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाता है और कास्ट भी बढ़ जाती है। मान्यवर, आज मैं खास तौर से इस बात को इंगित करना चाहता हूं कि दिनांक 23 तारीख को जब लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास हो रहा था उसके आयोजन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं इसके ऊपर बहुत गहरा असंतोष व्यक्त किया है। अगर उनके शब्दों को देखें तो उन्होंने इस बात को जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि [x x x]। उन्होंने खास तौर से इस बात को इंगित किया कि समय से योजनाएं पूरी नहीं होती, उन्होंने यह भी कहा इस सरकार की क्षमता पर प्रश्नचिह्न लगाया है कि सरकार पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रही है। यह सरकार की लापरवाही है, सरकार की उदासीनता है, यह सरकार पूरी तरह से अपने अधिकारियों पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अंकुश नहीं लगा पाती और समय से उस योजना का उद्घाटन नहीं होता हैं और वह जनता को समर्पित नहीं होती है। उन्होंने आगे यह भी कहा, मंत्रियों के लिए खास तौर से इंगित करके यह भी कहा कि यह क्या सम्भालेंगे, एक गांव तो अपना सम्भाल नहीं सकते यह पूरा प्रदेश क्या सम्भालेंगे। उन्होंने इसी कार्यक्रम में इस बात को भी इंगित किया कि [x x x] यह विकास क्या करेंगे। मान्यवर, समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस प्रकार से [x x x] मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस भाषा में अपना असंतोष जाहिर किया उससे सम्पूर्ण सरकार की कार्य प्रणाली पर एक प्रश्न चिह्न लगता है, सरकार की क्षमता पर प्रश्न चिह्न लगता है उन्होंने सरकार की क्षमता पर प्रश्न चिह्न लगाया है और दूसरा बिन्दु मान्यवर, भ्रष्टाचार के कारण हम योजनाओं को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं उन्होंने इस बात को भी इंगित किया है। मान्यवर, यह एक दिन की बात नहीं है एक वर्ष की बात नहीं है सरकार को ढाई वर्ष से अधिक हो गया है सत्ता में आये हुए किसी वर्ष भी बजट का पूरा सदुपयोग उस बजट के समय में पूरा नहीं हो पाया है जिन कारणों का मैं दे चुका हूं यह बहुत गम्भीर मामला है और पूरी सरकार को इस पर चिन्तन मनन करना चाहिए। पूरी सरकार को इस पर चिन्तन-मनन करना चाहिये कि जब समाजवादी पार्टी के मुखिया इस प्रकार का विचार रखते हैं और पूरे प्रदेश को उन्होंने सार्वजनिक रूप से आगाह किया है। सरकार को इस बात पर आत्मचिन्तन करना चाहिये, अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाना चाहिये और खासतौर से उन लागों पर मान्यवर कार्रवाई करनी चाहिये जिन लोगों के ऊपर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कमीशनखोरी से फुरसत नहीं है विकास का काम क्या करेंगे । एक काम संभाल नहीं पाते, पूरे प्रदेश का विकास क्या करेंगे। यह अपने आप में बहुत गम्भीर मामला है इस पर मैं चाहता हूं मान्यवर कि आप सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराएं। आपने मुझे नियम-56 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं।

(01 बजकर 02 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनूप सण्डा पीठासीन हुए।)

*श्री सतीश महाना-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक गम्भीर प्रकरण के ऊपर हमारे नेता आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। मान्यवर, हम विधान सभा में तो कह ही रहे हैं कि यह सरकार पूरी तरह से अक्षम है। विधान सभा में हम कह ही रहे हैं, सरकार को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि सरकार के मंत्री सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, जिस समय आज सरकार के कुछ [x x x] ऐसे बैठे होंगे, उनको शायद इतिहास के बारे में मालूम नहीं होगा कि जो सचिव होते हैं और जिस समय वह [x x x] करके गलत रास्ते पर आपको चलाने का प्रयास करते हैं तो आपका कहीं न कहीं नुकसान होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि राजधर्म में राज भी जायेगा, धर्म भी जायेगा, तन भी जायेगा। मान्यवर, मैं आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का जो इस प्रदेश के ही नहीं, देश के एक बहुत बड़े नेता हैं। मान्यवर, जो परसों उन्होंने बात कही, हमें बहुत दुःख हुआ। एक सच का आईना जो विपक्ष सामने ला रहा था उसको उन्होंने सामने लाने का प्रयास किया। उन्होंने

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह कहा कि उनकी जानकारी में है कि मंत्री लोग [x x x] कर रहे हैं, ये शब्द हैं। मान्यवर, कौन से मंत्री हैं जो [x x x] कर रहे हैं। उन मंत्रियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। इतने बड़े कद के नेता को यहॉ तक कहना पड़ रहा है कि मैं तो चुना हुआ समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूं मुझे आप नहीं हटा सकते, लेकिन मैं आपको हटा सकता हूं। यह बात जिस समय कही जाती है और वह जो बात कही गयी वह मेरी जानकारी में है। मेरे सम्पक्र में बहुत से ऐसे समाजवादी पार्टी के मित्र हैं जिन्होंने उसके ऊपर चिन्ता व्यक्त की और अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने केवल इतना नहीं कहा मान्यवर, इसके आगे कहा। उन्होंने कहा कि इन [x x x] हम तो यह कह ही रहे हैं। उन्होंने इस बात को कहा कि कोई काम नहीं हुआ। मान्यवर, अफसोस तो इस बात पर भी हुआ कि जिस परियोजना का शिलान्यास करने वह गए थे उस परियोजना के मंत्री या उससे संबंधित विभाग के मंत्री से उन्होंने नहीं पूछा, क्योंकि उनके ऊपर उनको विश्वास ही नहीं था। उन्होंने अधिकारियों को बुलाकरके कहा कि बताओ और मंच के ऊपर आ करके बताओ। मान्यवर, क्या ये उन लोगों के लिये चेतावनी नहीं थी जिनकी जिम्मेवारी थी उस काम को देखने के लिये। अब यह स्थिति आ गई है कि अधिकारियों के ऊपर विश्वास किया जाएगा उनको कहा जाएगा कि माइक पर बोलो। माइक के ऊपर मान्यवर उनसे पुछवाया गया कि कब काम पूरा करोगे और जब उन्होंने समय सीमा दी तो कहा गया कि इतने में नहीं इतने समय में पूरा करो, क्योंकि समय सीमा तय है इस सरकार के जाने की। उनको लगा कि शायद उस सरकार के जाने की समय सीमा के पहले ही वह काम हो जाए। इस बात को मान्यवर मैंने इस विधान सभा में कई बार कहा और बड़ी पीड़ा के साथ कहा। कानपुर के सन्दर्भ में भी मैनें कहा था कि बहुत सारे ऐसे काम जो [x x x] मान्यवर, ये कार्यवाही में है। जो बात मैं कह रहा हूं पिछले दिनों की कार्यवाही के अन्तर्गत यह अंकित है। चाहे वह बजट सत्र जनवरी-फरवरी में चला हो या उसके पिछले साल चला हो।

श्री अधिष्ठता-

महाना जी कृपया जल्दी समाप्त करें। खन्ना जी की पूरी बात पहले आ चुकी है, कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

बात नहीं आ चुकी। वही तो मैं बता रहा हूं, जो नहीं आया वही बता रहा हूं। मान्यवर, जिस समय मैंने कहा था उस समय उसका संज्ञान नहीं लिया आपने। अगर उसी समय उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती कि मुख्य मंत्री जी के द्वारा किया गया [x x x] उसकी चिन्ता नहीं की जाएगी। मैंने कहा कि यही तो मैंने कहा था कि वह पट जिस समय गिरता है तो पता नहीं सरकार को शर्म आती कि नहीं आती लेकिन मुझे तो आती है कि हमारे यहां काम भी नहीं होता और मुख्य मंत्री के नाम के शिलापट भी गिर जाते हैं। यह बड़ी गम्भीर बात है। हो सकता है कि इस पर पूरी की पूरी सरकार को सन्न होना चाहिये और मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि किसी ने भी उठकर आदरणीय मुलायम सिंह जी से यह नहीं कहा कि जरा हमारी भी सुन लीजिये कि कहीं आपको गलतफहमी हो सकती है। तो ऐसा न करके इन लोगों ने उसको स्वीकार किया है। मान्यवर, ऐसी

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

परिस्थितियों में, जिस समय सरकार के ऊपर, सरकार के मंत्रियों के ऊपर [x x x] का आरोप उस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लगायेंगे, जो उस पार्टी के मुखिया हैं तो उसके बाद मान्यवर, क्या बचता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से, जो सरकार यहां पर बैठी हुयी है, यह पूछना चाहता हूं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो बात कही थी, क्या उस बात का इन्होंने गंभीरता से संज्ञान लिया और अगर कल बात कही तो उसके पहले भी जरूर कही होगी। अगर पहले भी कही थी तो थोड़े दिन पहले एक समाचार-पत्र में माननीय मुलायम सिंह जी की तरफ से छपा था कि मैं तो लैपटाप देने का विरोध कर रहा था ...

श्री अधिष्ठाता-

आपकी पूरी बात आ गयी महाना जी। कृपया समाप्त करें ।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, असली मुद्दे पर अब आ रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं, आपकी बात आ चुकी है, अब आप संसदीय कार्य मंत्री जी को जवाब देने दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नेता भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रश्न रखा, उसका उत्तर सुनने के लिये वह सदन में नहीं हैं, यह खेद का विषय है।

श्री धर्मपाल सिंह-

वह कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में गये हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हम भी संसदीय कार्य मंत्री हैं और हमें भी उसमें जाना जरूरी है। लेकिन क्योंकि आपका प्रश्न बहुत जरूरी था इसलिये हम सदन में हैं और कार्य-मंत्रणा समिति के हम भी सदस्य हैं। कार्य-मंत्रणा समिति में हम जब तक नहीं जायेंगे, तब तक बैठक होती रहेगी और यदि वह भी नहीं जाते तब भी बैठक होती रहती। तो यह कोई [x x x] आदेश नहीं है। यह लोकतांत्रिक आदेश थे माननीय अध्यक्ष जी के, उस वक्त तक वह इंतजार करेंगे, जब तक सदस्य वहां नहीं पहुंच जाते। क्योंकि इस प्रश्न को आपने बहुत हल्के से रखा और महाना जी ने भी जिस तरह से इसे पेश किया है, उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि मान्यवर, तकनीकी तौर पर तो हम सब यह जानते हैं कि समाचार पत्रों का इस सदन में संज्ञान नहीं लिया जाता लेकिन हम समाजवादियों के लिये नेताजी का क्या स्थान है और किस सीमा तक हम उनके लिये और वह हमारे लिये जा सकते हैं, यह वह लोग नहीं जानेंगे, जिन्हें नेताओं में आस्था नहीं होती है। अगर समाचार पत्र पर ही बात है तो एक ओर मान्यवर, नेताजी के शब्दों का इस अंदाज में संज्ञान लिया जाना बिल्कुल तथ्यों से परे है। सरकार जैसी चल रही है, यह पूरे प्रदेश को मालूम है। सरकार के कामकाज को बिगाड़ने और सौहार्द को खराब करने में किसने क्या योगदान किया है, यह प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जानता है, किसको उससे क्या

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मिला, यह भी पूरा देश जानता है और मान्यवर, इससे ज्यादा पीड़ा समाज की क्या हो सकती है कि समाचार-पत्र में यह छपे कि प्रधानमंत्री की पत्नी स्कूटर पर बैठकर प्रेस वालों को यह बताये कि वह प्रधानमंत्री की पत्नी हैं।

(इस पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग बैठ जायें और जवाब आने दें। माननीय महाना जी जवाब आने दें। आप लोग धैर्य से सुनिये मंत्री जी को।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, केवल इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की पत्नी यह ख्वाहिश जाहिर करे कि वह अपने पति प्रधानमंत्री के साथ रहना चाहती हैं, वह सारी वह सहूलियतें लेना चाहती हैं जो एक महिला को, जो एक पत्नी को अपने शौहर से मिलना चाहिये । मान्यवर, यह समाज की पीड़ा है, यह महिलाओं की पीड़ा है, यह समाज का दर्द है और प्रधानमंत्री की पत्नी सूचना विभाग के माध्यम से, आर0टी0आई0 के माध्यम से अपने अधिकार जानना चाहे कि एक पत्नी का एक पति के प्रति क्या अधिकार है और एक ऐसा पति, जो देश का बादशाह हो, [x x x] देश का बादशाह अगर मलिका को न्याय नहीं दे सकता तो दिल्ली के गरीबों को क्या न्याय दे सकता है, कश्मीर के गरीबों को क्या न्याय दे सकता है। झारखण्ड के गरीबों को क्या न्याय दे सकता है।

(इस पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गए और नारे लगाने लगे)

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसलिए मान्यवर, इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, मतलब है उस प्रश्न का जो हमने रखा है क्योंकि करोड़ों महिलाएं देश के बादशाह की तरफ नजरें उठाएं हुए हैं और वो ये जानना चाहती हैं कि देश का बादशाह देश की मलिका के साथ क्या न्याय करता है। बादशाह अगर मलिका को न्याय नहीं दे सकता तो देश की किसी माँ, बहन, बेटी को न्याय नहीं दे सकता।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने माननीय सुरेश खन्ना जी को सुना, माननीय सतीश महाना जी को सुना, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना ये सूचना नियम-56 में नहीं आती अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

(आप लोग कृपया अपने स्थान पर जाएं)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा वेल से कुछ कहने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हम तो देश की मल्लिका के लिए न्याय चाहते हैं उनका कानूनी और धार्मिक अधिकार चाहते हैं, उनका सम्मान चाहते हैं, उनकी सुरक्षा चाहते हैं कि देश की मल्लिका के साथ देश

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

के बादशाह को क्या करना चाहिए या ये बताना चाहिए कि देश के बादशाह ने देश की मल्लिका का क्या स्थान तय किया है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल से नारेबाजी करते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री रघुनंदन सिंह भदौरिया की सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है यदि वे अपनी बात रखना चाहे तो रखें।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा वेल से नारेबाजी किए जाने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय महाना जी मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने स्थान पर चले और सदन की कार्यवाही चलने दें। कई माननीय सदस्यों की नियम-56 की सूचना को माननीय अध्यक्ष जी ने ध्यानाकर्षण में परिवर्तित किया है तो वो लोग भी अपने विचार रख लें। माननीय भदौरिया जी, आप अपनी बात रखें।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, माननीय भदौरिया जी बोलना चाह रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वेल से नारेबाजी करते रहे)

श्री अधिष्ठाता-

इस तरह से सदन की कार्यवाही को बाधित करने का कोई अर्थ नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल से नारेबाजी करते रहे)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने मा0 रघुननन्दन सिंह भदौरिया को बुलाया हुआ है यदि वह नहीं बोलना चाह रहे हैं तो मैं श्री प्रदीप चौधरी को बुला रहा हूं। पांचवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की प्रदेश में अस्पताल, स्कूलों, बिजलीघर व स्टेडियम आदि हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। मा0 चौधरी जी आप अपनी बात कहें।

*श्री प्रदीप चौधरी-

मान्यवर, अवगत कराना है कि प्रदेश के अन्तर्गत ग्राम-सभाओं व कस्बों के अन्तर्गत यदि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं तो ग्राम सभाओं में जमीन नहीं मिलती जिससे कि अस्पताल निर्माण, स्कूलों का निर्माण, बिजलीघरों का निर्माण व स्टेडियम आदि किसी भी सरकारी संस्थान का निर्माण कराने में काफी व्यवधान बना रहता है, क्योंकि गांवों व कस्बों में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती। क्योंकि अधिकतर ग्राम सभाओं या कस्बों में पूर्व में ही भूमि का आवंटन किया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है। भूमि की अनुपलब्धता के कारण विकास कार्यों में बड़ी बाधा आ रही है। इस बाधा को दूर करने के लिए सरकार जिन गांवों या कस्बों में किसी भी सरकारी संस्थान की स्वीकृति हो तो उसके लिए भूमि खरीद की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाय। अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की मैं मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। मा0 सदस्य आप सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग करें। आप लोग स्थान ग्रहण कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।

अगली सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की है जनपद बस्ती के तहसील भानपुर स्थित ग्राम भानपुर के समुचित जल निकासी हेतु नाले के निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। मा0 जायसवाल जी, आप अपनी बात कहें।

*श्री संजय प्रताप जयसवाल-

मान्यवर, जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत तहसील भानपुर के ग्राम भानपुर में पानी के समुचित विकास के लिए मेरे अनुरोध पर सरकार द्वारा नाला निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसका निर्माण सरजू ड्रेनेज खण्ड-2 बस्ती के द्वारा किया जाना है किन्तु सरजू ड्रेनेज खण्ड-2 के द्वारा बिना निविदा आमन्त्रित किये ही निर्माण कार्य कराये जाने की सूचना पर मेरे द्वारा उक्त नाले के निर्माण में की जा रही अनियमितता के सन्दर्भ में विभाग के अधिशासी अभियन्ता से जानकारी चाही तो मुझे बताया गया कि उक्त निर्माण के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस पर मैंने दिनॉक 21 जून, 2014 को पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी बस्ती से उक्त प्रकरण की जांच की मांग की। मेरी उक्त शिकायत को संज्ञान में लेकर जिलाधिकारी बस्ती के द्वारा नाले व पुल के अवैध निर्माण की जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी बस्ती को नामित किया। जांचोपरान्त शिकायत सही पाये जाने की रिपोर्ट जिलाधिकारी बस्ती को दी जिस पर जिलाधिकारी बस्ती के द्वारा उपरोक्त नाले पर कराये गये अवैध कार्य को श्रमदान घोषित कर अधिशासी अभियन्ता, सरजू ड्रेनेज खण्ड-2 के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने का आदेश पारित किया। लेकिन अभी तक उक्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं करायी गयी। उसके बाद विभाग द्वारा उक्त नाले के निर्माण के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। बिना निविदा के ही जो कार्य कराये गये थे वो अभी भी यथास्थित हैं, मौके पर नाले के निर्माण का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है जिससे स्थानीय जनता आक्रोशित व आन्दोलित हैं। उक्त प्रकरण को लेकर कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। प्रकरण अति लोकमहत्व का है। अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय एवं तात्कालिक विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मा0 अध्यक्ष जी, नियम-56 के अन्तर्गत मैं अपने क्षेत्र के गरीबों का मामला उठा रहा हूं। हमारे क्षेत्र में जो गरीब 30-40 साल से संजय नगर खलवा में रह रहे थे वह जमीन रेलवे की थी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तथा कैन्टोनमेंट बोर्ड द्वारा जो उनकी दुकानें आवंटित थी और वह उनका किराया दे रहे थे। इसके बावजूद जब नगर निगम ध्वस्तीकरण कर रहा था तो उन्होंने रेलवे की जगह में रहने वाले लोगों के मकानों को गिरा दिया और रेलवे की बनी हुई दीवार को भी तोड़कर हजारों-हजार ईंट उठा ले गये तथा जो कैन्टोनमेंट बोर्ड की दुकानें चला रहे थे उनका सामान जबर्दस्ती उठा ले गये जिसमें उनका लाखों रुपए का सामान परचून आदि का था। आज उन गरीबों के बच्चे सड़क पर सो रहे हैं खाने के लिए अनाज नहीं है कपड़े नहीं हैं अतः मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि जो क्षति नगर निगम द्वारा गरीबों को पहुंचाई गई है उसे गरीबों को वापस दिये जाने की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 नेता, भारतीय जनता पार्टी, आप कृपया अपने सदस्यों को अपने स्थान पर बुला लें तब आप अपनी बात कहें। आप सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब तक सदन व्यवस्थित न हो तब तक इस कार्यवाही का कोई मतलब नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने सदस्यों को अपने स्थान पर बुला लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब उधर से इस प्रकार की टिप्पणी होती है हमारे मा0 सदस्य तो अपनी बात रख रहे थे।

श्री अधिष्ठाता-

पहले आप अपने सदस्यों को सदन के वेल से बुला लें तब आप अपनी बात कहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस प्रकार की अप्रासंगिक बात करके जिसका सम्बन्ध इस हाउस से नहीं है उन बातों को अनर्गल रूप से यहां पर उठाया जाता है और मान्यवर, यह एक दिन की परम्परा नहीं है यह रोज की बात है और इन अनर्गल बातों की वजह से हाउस की कार्यवाही में व्यवधान पड़ता है, इसकी जिम्मेदारी सत्तापक्ष की है। सत्तापक्ष के लोगों के द्वारा इस प्रकार से उकसाने वाली बात कही गई है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वेल से नारे लगाते रहे, जिससे घोर व्यवधान जारी रहा)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता जी, हम सहयोग करेंगे, पहले आप हाऊस व्यवस्थित करवायें। इसको स्थगित करवा दें।

कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव)-

कार्य स्थगन के संबंध में मान्यवर आपने व्यवस्था दे दी है और व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही चले, यह सदन चलने देना नहीं चाहते हैं।

(वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अधिष्ठाता-

मैं माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया आप अपने माननीय सदस्यों को बुला लें। कुछ माननीय सदस्यों की नियम-56 की सूचनाओं को माननीय अध्यक्ष जी ने ध्यानाकर्षण हेतु परिवर्तित कर दिया है। इन सदस्यों की बात भी आ जाने दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नियम-56 की ग्राह्यता पर बची हुई बात सामने आ जाये।

(सत्तापक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा एक साथ कुछ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

खन्ना जी, वो हो चुका है, उसको मैं अस्वीकार कर चुका हूं, उस पर व्यवस्था दे दी गई है। उस नियम-56 की सूचना को मैं अग्राहय कर चुका हूं। उस पर बोलने का कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है।

श्री बलराम यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस पर व्यवस्था आ चुकी है।

श्री अधिष्ठाता जी-

आप लोग कृपया अपने-अपने स्थान पर चलें।

(वेल में आये हुये भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीटों पर वापस चले गये)

श्री अधिष्ठाता जी-

माननीय श्री रामलाल अकेला जी। कृपया अब आप भी अपना स्थान ग्रहण कर लें। बात आ चुकी है। वह नियम-56 की सूचना अग्राहय की जा चुकी है। कुछ माननीय सदस्यों की सूचनाओं को माननीय अध्यक्ष जी ने ध्यानाकर्षण हेतु सुनने का निर्णय लिया था, उन सदस्यों की सूचनायें सुनी जा रही हैं। माननीय श्री काली चरन सुमन जी आप अपनी बात रखिये।

(श्री सतीश महाना वेल में आ गये)

श्री सतीश महाना-

माननीय अधिष्ठाता जी, देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर बात कही गई है। मान्यवर, हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

महाना जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं, बार-बार वेल में आना आपका अच्छा नहीं है, यह आपको शोभा नहीं देता। मान्यवर, आप अपने स्थान पर चले जाये। मा0 सदस्य, वह सूचना अग्राह्य हो चुकी है। माननीय कालीचरन सुमन जी खड़े हैं, उनकी बात आ जाने दे। बाकी सदस्यों को भी अपनी बात कहने का अधिकार है।

*श्री काली चरन सुमन-

माननीय अधिष्ठाता जी, मामला बहुत गंभीर है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। सदन की कार्यवाही नहीं होने देंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

महाना जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने में सहयोग दें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बात यह है कि वह भी [x x x] और यह भी [x x x] सरकार और यह दोनों लोग मिले हुये हैं, [x x x] दोनों एक दूसरे के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

महाना जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(श्री सतीश महाना अपनी सीट पर चले गये)

श्री काली चरन सुमन-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय भदौरिया जी, आप कृपया बैठ जाये। आप स्थान ग्रहण कर लें। सदन को व्यवस्थित रूप से चलने दें।

श्री काली चरन सुमन-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनपद आगरा के 90 आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत श्री नत्थी लाल पुत्र श्री बुद्दा निवासी ग्राम लालऊ थाना मलपुरा जिला आगरा को दिनांक 01-08-2014 को गोली मार दी थी, परंतु तत्कालीन विवेचक श्री दिनेश तोमर थाना मलपुरा ने इस मामलें को न तो गंभीरता से लिया और न ही कोई कार्यवाही की, इसके परिणामस्वरूप दिनांक 10-11-2014 को पुनः मुस्तफा क्वार्टर शिवनगर पुलिया के पास आगरा कैण्ट थाना सदर के अंतर्गत गोली मारकर हत्या कर दी, परंतु स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की और न ही अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई। इस हत्या को लेकर क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

[01.20] विषय की ग्राह्यता पर शासन का जवाब न देकर जिनका कोई मतलब नहीं विषय के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

सुमन जी, कृपया आप बैठ जायें, पहले श्री खन्ना जी का व्यवस्था का प्रश्न सुन लेता हूं।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी 01 बजे कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक भी थी, नियम-56 की एक सूचना हमारे दल की ओर से लगायी गयी थी जिसमें मैं ग्राह्यता पर बोलकर चला गया था, मा0 महाना जी और मा0 धर्मपाल जी को बोलना था। माननीय महाना जी बोल रहे थे बीच में यह स्थिति पैदा हो गयी। जब सत्तापक्ष की ओर से कोई टीका-टिप्पणी होती है, कोई आरोप लगाया जाता है तो उसका जवाब देने का मान्यवर, हमको पूरा अधिकार है और हमारा जवाब उस पर आया नहीं। वह शब्द कार्यवाही से निकाले जाने चाहिए जो आपने कहे हैं। (सत्तापक्ष की ओर से टीका-टिप्पणी होती रही।) जिस बात का कोई औचित्य नहीं है, इस सदन की कार्यवाही से जिसका कोई मतलब नहीं है, उत्तर प्रदेश से जिसका कोई मतलब नहीं है उन बातों को यहां पर लाया गया जिसका कोई मतलब नहीं था उसको नहीं लाया जाना चाहिए था।

श्री अधिष्ठाता-

खन्ना जी, आपकी बात आ गयी। उस पर मा0 अध्यक्ष जी, निर्णय ले लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरी व्यवस्था पूरी नहीं हुई है, हमारी व्यवस्था पूरी हो जाए। उन बातों को कार्यवाही से निकाल दें और उस ग्राह्यता पर जो महाना जी बोल रहे हैं यह अपना कन्क्लूड कर देंगे उसके बाद दो मिनट आप धर्मपाल जी को बोलने का अवसर दे दीजिएगा।

श्री अधिष्ठाता-

वह सूचना अग्राह्य की जा चुकी है अब उस पर किसी को नहीं सुना जायेगा। माननीय काली चरन सुमन जी बोल रहे थे वह आगे अपनी बात रखेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इस सदन की परम्परा रही है कि पहले हम नियमों से चलेंगे और बाद में हम परम्पराओं, परिपाटी से चलते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, मा0 सदस्य सुमन जी बोल रहे थे उनको बिठाकर आपकी बात सुन ली।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस सदन की यह परिपाटी रही है कि हम ग्राह्यता के ऊपर बोलते हैं उसके बाद मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी या उनके स्थान पर सरकार की ओर से किसी भी मंत्री जी के द्वारा कोई जवाब आता है। हम लोगों ने जो अपना पक्ष रखा उसका जवाब आना चाहिए। इस बात का निर्देश पीठ से देना चाहिए। अभी यह कार्यवाही पूरी नहीं हुई।

श्री अधिष्ठाता-

उस सूचना को अग्राह्य किया जा चुका है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ग्राह्यता के ऊपर हमारी बात पूरी ही नहीं हुई।

श्री अधिष्ठाता-

बात पूरी हो गयी थी, अंतहीन बात नहीं सुनी जायेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारी बात पूरी नहीं हुई।

श्री अधिष्ठाता-

खन्ना जी, आपकी व्यवस्था की बात आ गयी, मा0 अध्यक्ष जी, जो भी उचित समझेंगे वह निर्णय ले लेंगे। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि महाना जी अपनी बात को कन्क्लूड कर लें।

श्री अधिष्ठाता-

अब उस बात का कोई औचित्य नहीं है। एक मा0 सदस्य बोल रहे थे वह अब बैठ गये हैं उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(01 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष जी पीठासीन हुए।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

सुमन जी को बोल लेने दीजिए यह आधा बोल चुके हैं। इनको बोल लेने दीजिए तब कहिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, खन्ना साहब बहुत सीनियर सदस्य हैं। जब सूचना अग्राह्य कर दिया गया तो फिर इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब आप इसे दोबारा फिर किसी दिन लगा दें। [x x x] (मा0 सदस्य श्री सतीश महाना जी ने कहा कि इस पर चर्चा हो जाए)

चलिये, हम तैयार हैं। दोनों पर चर्चा करा दें। बादशाह ने मल्लिका को अधिकार क्यों नहीं दिया ? दोनों पर करा दें, सहमत हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है, कृपापूर्वक मेरी बात सुन लें। अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मा0 महाना साहब ग्राह्यता पर बोल रहे थे, उधर से टीका-टिप्पणी हुई और उस विषय को जो इस हाउस से संबंधित नहीं है, जो उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित नहीं है, उधर से टीका-टिप्पणी में वह विषय उठाया गया, वह विषय इस कार्यवाही का अंग नहीं बनना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, भा0ज0पा0 के वरिष्ठ नेता ने एक मांग रखी सदन के सामने और सरकार ने और सदन ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। दोनों बिन्दुओं पर चर्चा करा दी जाए। [x x x]

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह विषय विधान सभा से संबंधित नहीं है। यह कार्यवाही में नहीं आना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय नेता जी भी सदन के सदस्य नहीं हैं अगर समाचार पत्र में उनका संज्ञान लिया जाएगा तो देश की मल्लिका को अधिकार कैसे नहीं मिलेगा। देश के बादशाह की अपनी जिम्मेदारी है, जिसके साथ अग्नि के चारों तरफ फेरे लिए, उसका भी संज्ञान लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं पूरी प्रोसीडिंग पढ़ूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

क्यों प्रोसीडिंग से निकलवा दिया जाए। कोई असंसदीय बात नहीं कही है। आपके माननीय सदस्य ने मांग की है अब आप अपने माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्यवाही करें। क्योंकि आपके यहां यह तय ही नहीं हो रहा है कि नेता कौन है। नेताओं के टकराव में सदन का समय भी खराब हो रहा है और आपकी पार्टी की छवि भी खराब हो रही है।समाचार पत्रों में रोज छप रहा है पढ़ लीजिए, कि भा0ज0पा0 के तीन नेता हैं तीनों में असल कौन है यह तय नहीं हो पा रहा है कौन रिकॉगनाइज्ड है कौन नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

हम लोग तो कार्य मंत्रणा समिति में थे, मैं पूरी प्रोसीडिंग पढ़ुंगा। जो आवश्यक होगा वह तो ठीक है जो अनावश्यक होगा उसे देखेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जो असंसदीय होगा।

श्री अध्यक्ष-

आपने बता दिया मैं देख लूंगा नियमों में क्या है।

(शोर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रधानमंत्री का शब्द असंसदीय नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने जब कह दिया मैं देख लूंगा जो असंसदीय होगा उसे निकाल दूंगा।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जो आपके सम्मुख नहीं था उसके बारे में आपने व्यवस्था दे दी कि आप नहीं थे कार्यवाही देख लेंगे। आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। लेकिन जो आपके सामने हुआ कि महाना जी ने बहुत खुशी से स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री जी की पत्नी पर चर्चा हो और खन्ना जी कह रहे हैं कि चर्चा न हो, तो यह तो आपके सामने हुआ ?

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था आ चुकी है अब इनको बोलने दीजिए। मा0 सदस्य बोल रहे थे उसी में आपने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया, व्यवस्था हो गई अब इनको बोलने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इनके बाद अनुमति दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप शर्त लगाकर बोलेंगे यह ठीक नहीं है। कालीचरन जी बोलो।

श्री कालीचरण सुमन-

मान्यवर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं।

(भा0ज0पा0 के अनेकानेक मा0 सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए और नारे लगा रहे थे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपने एक प्रश्न किया मैंने कहा मैं देख लूंगा और जो असंसदीय होगा वह निकाल दूंगा व्यवस्था मांगी वह दे दी। आप लोगों की सुने या आपके नेता की सुनें। एक बार जो कहा गया उसका मैंने उत्तर दे दिया। अब कालीचरण जी खड़े होकर अपनी बात कह रहे हैं तो क्या उनको नहीं कहने देंगे। आप लोग तो व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। यह विधायक सीधे हैं इन्हें बोलने दो।

श्री कालीचरण सुमन-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 के अन्तर्गत मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं।

(घोर व्यवधान)

(सदन के वेल में खड़े भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

आपने प्रश्न किया मैंने कहा कि मैं देख लूंगा और जो होगा असंसदीय या जो है, मैं उसको निकाल दूंगा। अब क्या बात हुई ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने मेरी सुनी नहीं मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

आप बोल रहे थे लम्बी-लम्बी बात। आपकी सुनें या आपके नेता की सुनें। आप सुनाने देंगे ? एक बार आपके नेता ने कहा उसका मैंने उत्तर दे दिया, उसकी व्यवस्था दे दी। अब वह खड़े होकर पढ़ रहे थे तो उनको पढ़ने नहीं देंगे। वह खड़े होकर अपनी बात कह रहे थे तो उनको कहने नहीं देंगे ? आप अपनी जगह पर जाइये और वहां से बोलिये।

(सदस्यगण अपने अपने स्थान पर चले गये)

श्री कालीचरन सुमन-

मान्यवर, नियम-56 में .....

श्री जाहिद बेग-

मान्यवर, हमारा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। लोकतंत्र में हमको भी दो मिनट का मौका मिलना चाहिए। हम भी विधान सभा के सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष-

अरे भाई आप तो व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा कर देंगें। जो है वह भी चला जायेगा। कालीचरन जी, दो मिनट में अपनी बात कह लो। (व्यवधान) अरे इनको बोलने दो। यह बेचारे बोल रहे थे, आधा पढ़ रहे थे आप लोगों ने व्यवधान डाल दिया। अरे पढ़ लेने दो। यह विधायक सीधे हैं पढ़ लेने दो। इनकी बात आ जाने दो।

श्री कालीचरन सुमन-

मान्यवर, नियम-56 के अन्तर्गत ....

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अरे आप लोगों के अभी बहुत लगे हैं, भदौरिया जी का लगा है। अभी रूक जाइये, यह खत्म होने दीजिये। आप लोग बैठिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अभी आपने कहा था कि आपकी बात सुन लेंगें लेकिन आप हमको मौका नहीं देंगें। (सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री कालीचरन सुमन-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष जी, सदन को व्यवस्थित करायें। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करिये जो सदन को चलने नहीं देना चाहते।

श्री अध्यक्ष-

मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग बैठ जाइये। उनको बोलने दीजिये। आप बोलिये कालीचरन जी।

श्री कालीचरन सुमन-

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे नियम-56 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आगरा जनपद के अन्तर्गत एक मामला बहुत गम्भीर है। मेरी विधान सभा क्षेत्र के मिराठी श्री नत्थी लाल पुत्र श्री बुद्वा राम मिराठी ग्राम लालऊ थाना मंतरा जिला आगरा में दिनांक 1-8-2014 को गोली मार दी गई थी। और तत्कालीन विवेचक श्री दिनेश तोमर थाना मंतरा ने इस मामले को न तो गम्भीरता से लिया और न ही कोई कार्यवाही की।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

श्री सतीश महाना-

देखिये मान्यवर, आपने यहां से मुझे भेजा कि आपकी बात सुनेंगे और अब सुन नहीं रहे हैं।

अध्यक्ष-

उनकी बात खत्म हो जाय, तब बोल लीजियेगा।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि आप हमको सुनेंगे लेकिन आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। यह विषय बाद में आया है। मान्यवर, यह मेरे बात बोलें। मान्यवर, यह सरकार दाउद के पैसों से चलेगी, आतंकवादियों के पैसों से चलेगी ?

श्री कालीचरन सुमन-

मान्यवर, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश का माहौल तो खराब करते ही हैं सदन का माहौल भी खराब करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अरे आप लोग अपने स्थान पर जायं। उनको अपनी बात कह लेने दीजिये। इनकी बात तो खत्म हो जाने दो। जब इनकी बात खत्म हो जाय तब बोलियेगा। जब नियम-56 में आपके बोलने का नम्बर आ रहा है तो आप यहां आ गये। जब बोलना होता है तो वेल में आ जाते हैं। जाइये इस तरह से चौराहे पर मीटिंग करें, वहां जाकर बतायें।

(माननीय सदस्यगण द्वारा सदन के वेल में खड़े होकर [x x x] के नारे लगाते रहे।)

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, इस बात की जांच होनी चाहिए कि मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं [x x x]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मैं वेल में उपस्थित सदस्यों से बार-बार अनुरोध कर रहा हूं लेकिन वह अपने आसन पर नहीं जा रहे हैं ।

आठवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की शाहजहांपुर में दिनांक 9-10-2012 को अशोक भोजवाल की पुत्री पूजा के अपहरण के सम्बंध में हुई एफ0आई0आर0 में पुलिस द्वारा समझौते का प्रयास कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में । इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

नवीं सूचना श्री राकेश बाबू की जनपद फिरोजाबाद की तहसील सदर के ग्राम नगरिया पदम में इतवारी खां पुत्र श्री शेरखां की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बंध में। इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया जी आपको बोलना हो तो आप वहां चलिए। आपका नम्बर आ गया है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(वेल से)

श्री सतीश महाना-

अध्यक्ष जी मेरा यह कहना था कि आदरणीय मुलायम सिंह जी ने यह कहा है कि [x x x] उन्होंने कोई विकास के काम नहीं कराए हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी वेल के अन्दर कही हुई बात का कोई संज्ञान न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप वहां चलकर अपनी बात कहें वेल में कही हुई बात का संज्ञान नहीं लिया जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूरे सत्र का समय खराब किया है। इन्होंने शोर शराबा करके अराजकता फैलाकर समय खराब किया है। यह विधान सभा नहीं चलने दे रहे हैं यह जनता का काम नहीं होने दे रहे हैं यह अराजकता फैलाना चाहते हैं यह विधान सभा के अन्दर और विधान सभा के बाहर माहौल खराब करना चाहते हैं।

[01.45] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25 नवम्बर 2014 की बैठक में निर्णय लिया है कि आज दिनांक 25 नवम्बर 2014 को निधन का निर्देश ले लिया जाय और तदुपरान्त विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

और खेद के साथ सदन यह कहना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का यह आचरण अच्छा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[01.47] उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम बदन के निधन पर शोकोद्‌गार

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

निधन में यहां नहीं रहा जाता है यह परम्परा है हम लोगों की भी यही गति होगी आपकी हो या न हो भगवान जानें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री राम बदन का 20 नवम्बर, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 71 वर्ष के थे। श्री राम बदन का जन्म 01 जनवरी, 1943 को ग्राम फरीदपुर धर्मा, जिला आजमगढ़ में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0एल0बी0की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री राम बदन वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना (अ0जा0) जिला आजमगढ़ से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे दसवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे।

श्री राम बदन राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप वाराणसी तथा लखनऊ कारागार में बन्दी रहे थे। वे परिगणित जाति छात्र समिति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के अध्यक्ष रहे थे। राजनीति एवं समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा अध्ययन और जनसर्म्क उन्हें प्रिय था। श्री राम बदन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

माननीय श्री राम बदन के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक-संतप्त परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतक के शोकाकुल परिवार तक पहुंचवा दूंगा।

अब हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान गृहण करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, आज नियम-301 और नियम-51 की सभी सूचनायें ले लें।

श्री अध्यक्ष-

नियम-301 नहीं यह पहले हो चुका है।

[01.48] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक-25-11-2014 को नियम-51 के अंतर्गत निम्नलिखित कुल 63 सूचनायें प्राप्त हुईं। उक्त सभी सूचनायें स्वीकृत की जाती हैं।

1	श्री पंकज गुप्ता	जनपद लखनऊ के नागरिकों की सुविधा हेतु महानगरीय परिवहन सेवा का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में है।
2	श्री तसलीम	जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।
3	श्री प्रदीप चौधरी	जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह में व्याप्त पेयजल संकट के निवारण हेतु वाटर टैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

4	श्री दलजीत सिंह	बुन्देलखण्ड क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है।
5	श्री राधे श्याम	जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर में निर्माणाधीन सड़कों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।
6	श्री अगयश राम सरन वर्मा	जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत कतिपय कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में मूलभूत सुविधायें न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
7	श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी की कतिपय ग्राम पंचायतों में पक्की सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।
8	श्री अनीसुर्ररहमान	जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के लोहिया ग्रामों को सी0सी0 मार्ग से न जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
9	श्री रमेश चन्द बिन्द	जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में कतिपय नहर एवं माइनरों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।
10	श्री रामचन्द्र यादव	जनपद फैजाबाद के तहसील रूदौली में विकलांग प्रमाण-पत्र न जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
11	श्री कुंवर कौशल सिंह	जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में राजीव गांधी महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा लोक निर्माण विभाग की भूमि को कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
12	श्रीमती कृष्णा पासवान	जनपद फतेहपुर में कौशाम्बी नहर का पूर्वनिर्मित बांध को तोड़ दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
13	श्रीमती सीमा	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर में करतोरा माइनर के टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है।
14	श्री जगन प्रसाद गर्ग	जनपद आगरा में भगवान टाकीज के पास कृपाल कालोनी की जर्जर सड़क व पार्क का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
15	श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव	वाराणसी कैंट विधान सभा क्षेत्र में सीवर लाइन व पाइप लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में है।
16	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी	जनपद बुलन्दशहर के शहरी क्षेत्र में विद्युत बिलों का भुगतान कराये जाने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के अनुरूप आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है।

17	श्री धर्मपाल सिंह	जनपद बरेली के आंवला विधान सभा क्षेत्र में आंवला भमोरा मार्ग की धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है।
18	श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी	जनपद बस्ती सदर में बस्ती मेंहदावल सड़क के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण के सम्बन्ध में है।
19	श्री सन्तराम कुशवाहा	न्यायालय अधिनियम, 2008 (अधिनियम संख्या 4 सन् 2009) को प्रदेश में लागू कराये जाने के सम्बन्ध में है।
20	श्री देवनरायन उर्फ जी0 एम0 सिंह	प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में मानक के अनुसार स्वीकृत पदों पर तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में है।
21	श्री चन्द्रभान सिंह पटेल	जनपद चित्रकूट के ग्राम सरहट मानिकपुर निवासी कामता प्रसाद की भूमि पर अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है।
22	श्री उमाशंकर	जनपद बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रसड़ा में चिकित्सकों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में है।
23	श्री काली चरन सुमन	आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पश्चिमपुरा कालोनी होली वाला पार्क की बाउन्ड्री वाल कराये जाने के सम्बन्ध में है।
24	श्री बब्बन सिंह चौहान	जनपद चन्दौली के नगर पालिका मुगलसराय में 1 लाख से कम कार्य का कोटेशन के आधार पर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है।
25	श्री गंगा सिंह कुशवाहा	जनपद हरदोई के स्वास्थ्य विभाग में जिला चिकित्सालय बाराबंकी में तैनात लैब टेक्निशियन द्वारा की जा रही शिकायतों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।
26	श्री राजबली जैसल	जनपद-इलाहाबाद की तहसील एवं विकास खण्ड-कोंराव के ग्राम-सेमरिहा में सुश्री रामसंवारी की भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
27	श्री राधेलाल रावत	जनपद-उन्नाव की ग्राम पंचायत-मवई ब्रह्मनान, तहसील-हसनगंज में पट्टों के निरस्तीकरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
28	श्री राधेश्याम जायसवाल	जनपद-देवरिया की तहसील-सलेमपुर के अन्तर्गत ग्राम-राउतपार अमेठिया निवासी श्री राम अवध यादव को पुस्तैनी जमीन के बंटवारे में हिस्सा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
29	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या	जनपद-लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-हसनपुर कटौली से सिगावर होते हुये सरैया तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

30	श्री भीम प्रसाद सोनकर	जनपद-लखनऊ के स्वास्थ्य भवन में तैनात निदेशक द्वारा प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में किये गये पद के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
31	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	प्रदेश में धान क्रय केन्द्र संचालित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
32	श्री त्रिलोकी राम	जनपद-अलीगढ़ के इगलास क्षेत्रान्तर्गत करवन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।
33	श्री पूरन प्रकाश	जनपद-मथुरा अन्तर्गत राया से बल्देव मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।
34	श्री दलवीर सिंह	जनपद-अलीगढ़ के नगर निगम क्षेत्र में शहर के मध्य स्थित प्राचीन अचल सरोवर में कचड़ा एवं दूषित पानी आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
35	श्री अजय कुमार 'लल्लू'	जनपद-कुशीनगर के चखनीताल ड्रेन में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में है।
36	श्री सुरेश कुमार खन्ना	जनपद-शाहजहांपुर के कतिपय प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत कराये जाने एवं बैठने की व्यवस्था सुचारु रूप से कराये जाने के सम्बन्ध में है।
37	श्री लोकेन्द्र सिंह	जनपद-बाराबंकी के जिला महिला चिकित्सालय में तैनात लैब टेक्नीशियन द्वारा किये जा रहे अनियमित कार्यों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
38	श्री जय प्रकाश निषाद	जनपद-कुशीनगर के थाना-कसया, ग्राम-साखोपार, निवासी-शातिर अपराधी पंकज सिंह एवं उसके गैंग के खिलाफ कठोर कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में है।
39	श्री रोशन लाल वर्मा	जनपद-शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड-निगोही एवं विकास खण्ड-सिधौली में विद्युत की हाई-वोल्टेज लाइन से दुर्घटनाग्रस्त परिवारों को कृषक दुर्घटना बीमा की आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।
40	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया	जनपद-कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।
41	श्री अवस्थी बाला प्रसाद	जनपद-सिद्धार्थनगर, जिला-बलिया की फर्म बी0के0 इण्टर प्राइजेज द्वारा कतिपय सड़कों का निर्माण पूर्ण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
42	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत	जनपद-झांसी के विकास खण्ड-चिरगांव के अन्तर्गत फोरलेन से ग्राम-बझेरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

43	श्री अलगू प्रसाद चौहान	जिला सहकारी बैंक, बस्ती के कर्मचारी श्री प्रहलाद गौड़ को अर्जित अवकाश के बदले वेतन का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
44	श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)	वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये ए0सी0पी0 व्यवस्था के सम्बन्ध में है।
45	श्री राकेश बाबू	जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत सवितानगर एवं द्वारिकापुरी बस्तियों में जल भराव की समस्या के सम्बन्ध में है।
46	डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल	बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरित 44 हजार शिक्षकों के वरिष्ठता क्रम में शासनादेशों के उल्लंघन के सम्बन्ध में है।
47	श्री उमेश पाण्डेय	जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड फतेहपुर मडांव के अन्तर्गत आने वाले गांव में मनरेगा योजना के अन्तर्गत मजदूरी भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है।
48	श्री सतीश महाना	कानपुर महानगर में जे0ए0एन0आर0यू0एम0 के अन्तर्गत विश्व बैंक बर्रा सेक्टर जे0के0 ओवरहेड टैंक के निर्माण के सम्बन्ध में है।
49	श्री जन्मेजय सिंह	चिकित्सा अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन में तैनात सहायक समीक्षा अधिकारी द्वारा एक्स-रे टेक्नीशियन टी0 वी0 एच0 वी0/बी0सी0जी0 टेक्नीशियन संवर्ग कर्मचारियों से धन उगाही के सम्बन्ध में है।
50	श्री उपेन्द्र तिवारी	जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना अन्तर्गत मुख्य सड़कों के मरम्मत एवं मरम्मत के फर्जी भुगतान के जांच के सम्बन्ध में है।
51	श्री राजिव	सहारनपुर नगर निगम में नगर पालिका भंग कर चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में है।
52	श्री मनीष असीजा	जनपद फिरोजाबाद स्थित यू0पी0 ट्रांसमीशन कारपोरेशन द्वारा 100 एम0वी0ए0 के स्थान पर 160 एम0वी0ए0 की क्षमता के ट्रांसफार्मर की स्थापना के सम्बन्ध में है।
53	श्री गोरख पासवान	जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड स्थित ग्राम पंचायत नगरा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है।
54	श्रीमती नन्दिता शुक्ला	जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत रेहरा बाजार के जंगल के पास मशीन से अवैध लकड़ियां कटवाये जाने के सम्बन्ध में है।
55	श्री पूर्णमासी देहाती	जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र रामकोला के मौन नाले के उच्चीकरण साइफन निर्माण एवं सफाई के सम्बन्ध में है।

56	श्री अमर पाल शर्मा	जनपद गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनियों की टूटी सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।
57	डा0 अरूण कुमार	जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र 123 में स्टेडियम को पीलीभीत बाईपास को संजय नगर प्रमुख सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में है।
58	श्रीमती आराधना मिश्र 'मोना'	जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र के तहसील लालगंज के ग्राम अरौ, ग्राम संग्राम सिंह व मंगापुर में होम्योपैथिक चिकित्सालयों के अधूरे निर्माण को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है।
59	श्री संजय प्रताप जयसवाल	अन्तर्जनपदीय मार्ग मेहदावल, रूधौली, डुमरियागंज मार्ग को स्टेट हाई-वे में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में है।
60	श्री प्रदीप माथुर	जनपद मथुरा स्थित मथुरा स्केप नहर के कि0मी0 123.400 में सिल्ट की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है।
61	श्री दिलनवाज खान	जनपद बुलन्दशहर में मण्डी समितियों द्वारा श्री जनेश्वर मिश्र में निर्माणाधीन सी0सी0 रोड में मानक के अनुसार सामग्री न जाने के सम्बन्ध में है।
62	श्री सिनोद कुमार शाक्य	प्रदेश के आयुर्वेद विभाग में वर्ष 1988 एवं 92 में नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को विनियमितीकरण के सम्बन्ध में तथा।
63	श्री सुधीर कुमार	उप पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं सूचीकार के वेतनमान व ग्रेड-पे में हुई वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में है।

[01.48] पडरौना चीनी मिल की नीलामी रुकवाकर और उसको चलाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। मा0 अध्यक्ष जी, आज सदन स्थगित होने जा रहा है। और इसी सदन में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि पडरौना चीनी मिल की नीलामी रूकवाकर, मा0 मुख्य मंत्री जी से वार्ता करके सत्र के पहले ही उसकी नीलामी रूकवाउंगा और उसको चलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा। चूंकि मा0 मुख्य मंत्री जी सदन में नही हैं। मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी हैं और चूंकि आपके समक्ष यह सारी बातें आयी थीं आपने भी सदाशयतापूर्वक उसको गंभीरता से लेने का आग्रह किया था और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए नीलामी रुकवाकर चलवाने की बात मा0 मुख्य मंत्री जी से वार्ता करके चलवाने की बात की थी। हम समझते हैं कि यह मुद्दा कहीं यूं ही अछूता न रह जाये। आश्वासन ही बना न रह जाये क्योंकि आज के बाद हम यहां नहीं बैठेंगे और 29 तारीख को उसकी नीलामी लगी

हुयी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर कोई अंतिम निर्णय आ जाये कि नीलामी भी रूक जाये और पडरौना चीनी मिल का संचालन शुरू हो सके। मैं इस पर आग्रह करूंगा कि इस पर आपका संरक्षण मिलना चाहिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

हम सहमत हैं आपके विचार से।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री जाहिद बेग-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, प्रधानमंत्री जी ने ।

श्री अध्यक्ष-

आप तो और अव्यवस्था फैला दोगे, व्यवस्था की जगह पर । बैठो। आपका लिखा नहीं जाएगा। आप बैठो।

(इस बीच मा0 सदस्य श्री जाहिद बेग बोलते रहे लेकिन उनका माइक ऑफ था।)

[01.52] जनपद बुलन्दशहर के अनेक पुराने पोखर/तालाब की जमीनों पर भू-माफियों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलनवाज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, श्री दिलनवाज खान मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17-11-2014 को दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[बुलन्दशहर के पुराने पोखर/तालाब की जमीनों पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया, जिससे सरकार की राज्य सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुंच रहा है। उक्त के क्रम मेंअवगत कराया गया है कि जनपद बुलन्दशहर में ऐसे अनेक पुराने पोखर/तालाबों जो कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने के बाद भी उनका स्वरूप बदलता जा रहा है तथा इनको पाटकर बस्तियां बनाई जा रही हैं। ऐसी अवैध बस्तियों को प्रशासन द्वारा चिन्हित कर उनकी सूची प्रकाशित करते हुए उनका ध्वस्तीकरण किया जाय तथा राजस्व अभिलेखों के अनुसार पोखर/तालाब दर्ज होने के बाद भी उस पर किये जा

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहे अवैध कब्जों को तुरन्त रोका जाय एवं अवैध कब्जा करने वाले लोगों पर आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जानी जनहित में नितान्त आवश्यक है। मा0 सदस्य द्वारा जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी बुलन्दशहर से आख्या/सूचना मांगी गई थी। जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या में सूचित किया गया है कि आधार वर्ष खतौनी में अंकित जनपद बुलन्दशहर के तालाबों, पोखरों, झीलों, वाटर रिजरवायर्स, कुओं की कुल संख्या-3579 तथा क्षेत्रफल 1448.099 हे0 अंकित है। ताबाल एवं पोखरों पर अवैध कब्जों की जांच हेतु चलाये गये अभियान में कुल 53.308 हे0 क्षेत्रफल पर अवैध कब्जे के 911 प्रकरण प्रकाश में आये, जिनसे अभियान चलाकर 10.041 हे0 क्षेत्रफल पर से 65 अवैध कब्जे हटाये जा चुके हैं। अवशेष 43.267 हे0 क्षेत्रफल पर 846 अवैध कब्जों को मौके पर पुरानी पक्की आवादी बनी होने के कारण नहीं हटवाया जा सका है। इन प्रकरणों जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122बी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।]

जनपद फिरोजाबाद में कांच उद्योग को बढ़ावा दिये जाने तथा युवाओं को बेरोजगार हेतु ग्लास टेक्नोलाजी कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, श्री मनीष असीजा, मा0 सदस्य द्वारा नियम-51के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 17-11-2014 में यह उल्लेख किया गया है कि....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[जनपद फिरोजाबाद में कांच उत्पादन के उद्योग व्यापार में हजारों की संख्या में छोटी-बड़ी इकाईयां कार्यरत हैं, जिनमें लाखों की संख्या में कुशल एवं अकुशल श्रमिक, तकनीकी विशेषज्ञ, इंजीनियर्स एवं ग्लास टेक्नोलाजिस्ट कार्यरत हैं। फिरोजाबाद के कांच, चूड़ी एवं कांच के अन्य उत्पादों की डोमेस्टिक मार्केट एवं वैश्विक स्तर पर और अधिक उन्नति/प्रगति के लिये तकनीकी कुशलता और अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक है। लगभग 100 वर्षों से अधिक पुराने परम्परागत उद्योग से जहां फिरोजाबाद के आस-पास के क्षेत्र के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में बाहर से तकनीकी विशेषज्ञों की सेवायें भी लेनी पड़ती हैं। अतः उक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत जनहित में फिरोजाबाद में कांच उद्योग की उन्नति एवं क्षेत्रीय स्तर पर युवाओं के रोजगार एवं उज्जवल भविष्य को देखते हुए एक उच्च स्तरीय आधुनिक ''ग्लास टेक्नोलाजी कालेज'' खोलने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा एवं डिग्री स्तरीय संस्थायें संचालित हैं। जनपद फिरोजाबाद में 02 डिप्लोमा स्तरीय शिक्षण संस्थायें-राजकीय पालीटेक्निक, फिरोजाबाद एवं राजकीय पालीटेक्निक, टूण्डला संचालित हैं। राजकीय पालीटेक्निक, फिरोजाबाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं केमिकल इंजीनियरिंग के साथ-साथ ग्लास एण्ड सिरेमिक्स इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है, जिससे युवाओं को ग्लास एवं सिरेमिक्स के आधुनिक तकनीक के अध्ययनोपरान्त रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

3-जहां तक डिग्री स्तर पर ग्लास टेक्नालाजी कालेज खोले जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कैमिकल इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइन्स आदि विषयों में डिग्री स्तरीय पाठ्यक्रम संचालित हैं तथा इन पाठ्यक्रमों के डिग्रीधारी ही ग्लास उद्योग में कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक मण्डल में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने की राज्य सरकार की प्राथमिकता के अन्तर्गत आगरा मण्डल के जनपद-मैनपुरी में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खोला जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। राजकीय इंजीनियरिंग कालेज मैनपुरी में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फायर टेक्नोलाजी एवं सेफ्टी इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रानिक्स कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग (प्रत्येक की क्षमता 60 छात्र) संचालित किये जायेंगे, जिससे वहां के उद्योग और युवा लाभान्वित होंगे। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) नई दिल्ली की स्नातक स्तरीय इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी पाठ्यक्रम की अनुमोदित सूची में स्नातक स्तरीय ग्लास टेक्नोलाजी पाठ्यक्रम सम्मिलित नहीं है। अतः उक्त के दृष्टिगत ग्लास टेक्नालाजी पाठ्यक्रम का डिग्री स्तरीय इंजीनियरिंग कालेज खोला जाना सम्भव नहीं है।]

कानपुर सदर तहसील अन्तर्गत सरसौल ब्लाक को नरवल तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गयी सूचना दिनांक-17-11-2014.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[यह उल्लेख किया गया है कि कानपुर सदर तहसील अन्तर्गत सरसौल ब्लाक को नरवल तहसील बनाने विषयक मांग स्थानीय नागरिकों द्वारा विगत कई वर्षों से की जा रही है। सरसौल ब्लाक

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की आबादी भी 2 लाख से ऊपर है, जो तहसील बनाये जाने हेतु पर्याप्त है। मुख्य शहर से यहां की दूरी लगभग 50 कि0मी0 पड़ती है जिससे स्थानीय नागरिकों को कई काम करवाने में अत्यधिक कठिनाई होती है। नरवल तहसील बनाने हेतु शासन के समक्ष प्रस्ताव लम्बित है परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। क्षेत्रीय जनता द्वारा नरवल तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में कई बार स्थानीय स्तर पर तथा शासन स्तर पर अनुरोध किया जा चुका है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के आधार पर अवगत कराना है कि सरसौल ब्लाक, जनपद कानपुर नगर को नरवल तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, कानपुर नगर से मण्डलायुक्त के माध्यम से प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी। उक्त प्रस्ताव जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा राजस्व परिषद् को उपलब्ध करा दिया गया है। उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् के स्तर पर अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को यथाशीघ्र बैठक आहूत की जायेगी। समिति की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त यथा संस्तुति नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।]

प्रदेश में वर्ष 1989 से शासनादेशों के तहत नियुक्ति परियोजना अधिकारियों को बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल का नाम पुकारे जाने पर, उनके अनुपस्थित रहने पर)

जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद् सिकन्दराबाद का सीमा विस्तार न होने के कारण वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17-11-2014 को नियम-51 के अंतर्गत यह सूचना दी गयी कि जनपद बुलन्दशहर के अंतर्गत.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[नगर पालिका परिषद् सिकन्द्राबाद का सीमा विस्तार लगभग 25 वर्ष पहले हुआ था इसके बाद उससे लगकर भारी आबादी तथा कालोनी बस चुकी है, लेकिन सीमा विस्तार न होने के कारण

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वह आबादी तथा कालोनियां नगरपालिका परिषद् सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत नहीं आती हैं, जिसके कारण उस आबादी तथा कालोनियों में मूलभूत सुविधायें जैसे पीने का पानी, गंदे जल की निकासी, सड़क तथा बिजली आदि उपलब्ध नहीं हो पाई है। पीने का स्वच्छ पानी न मिलने तथा गंदे पानी की निकासी न होने के कारण वहां के निवासियों को गम्भीर बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। प्राथमिक विद्यालय न होने के कारण वहां के बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। नगरपालिका परिषद् सिकन्द्राबाद की सीमा विस्तार का प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा शासन को भेजा जा चुका है लेकिन ग्राम प्रधान सिकन्द्राबाद द्वारा अनापत्ति पत्र न देने के कारण सीमा विस्तार को शासन द्वारा अनुमति नहीं मिल पा रही है। ग्राम प्रधान सिकन्द्राबाद देहात व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण अनापत्ति पत्र नहीं दे रही है। जनहित में ग्राम प्रधान के अनापत्ति पत्र की औपचारिकता में शिथिलता देते हुए नगरपालिका परिषद् सिकन्द्राबाद की सीमा विस्तार अति आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-2896/नौ-8-2001-94ज/2001, 01 अगस्त, 2001 में ग्राम सभाओं की भूमि को पालिका सीमा में सम्मिलित किये जाने हेतु सम्बन्धित ग्राम सभाओं की सहमति प्राप्त किये जाने का प्रावधान किया गया था। शासनादेश संख्या-2212/9-6-2014-181 मिस/2014, दिनांक 10-11-14 द्वारा शासनादेश दिनांक 01-08-2001 को निरस्त करते हुए नगरपालिका परिषद् की सीमा विस्तार हेतु मापदण्डों का पुनर्निधारण किया गया है। नवीन मापदण्डों के आधार पर नगरपालिका परिषद्, सिकन्द्राबाद का सीमा विस्तार किये जाने का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।]

महानगर बरेली में सालिड बेस्ट प्रोजेक्ट को पूर्ण क्षमता से चलवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरूण कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17-11-2014 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में महानगर बरेली में.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना को पूरी क्षमता से चलवाये जाने की मांग की गई है।

2-उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बरेली नगर हेतु डम्पिंग ग्राउण्ड के रूप में बरेली के ग्राम रजऊ परसपुर में 21.20 एकड़ भूमि वर्ष 1977 में रक्षित की गई थी। भारत सरकार द्वारा एअर फील्ड नगरों में एअरफोर्स के विमानों की पक्षियों से सुरक्षा हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परियोजना, जिसकी स्वीकृत लागत रु0 1386.00 लाख थी, की स्वीकृति वर्ष 2005 में प्रदान की गई थी। इस योजना के क्रियान्वयन का दायित्व सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को सौंपा गया था। सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जली निगम द्वारा परियोजना के समस्त निर्माण कार्य मार्च, 2013 तक पूर्ण करा दिये गये थे तथा इस प्लांट पर कूड़े के निस्तारण भी प्रारम्भ हो गया था एवं 300 मैट्रिक टन क्षमता के इस प्लांट पर लगभग 200 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण प्रतिदिन हो रहा था।

3-उक्त प्लांट को संचालित करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकार दिनांक 31-12-2013 तक के लिये प्रमाण-पत्र प्राप्त था। नगर निगम बरेली द्वारा नवीनीकृत प्राधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिनांक 23-07-2014 को पत्र प्रेषित किया गया था परन्तु उनके द्वारा दिनांक 12-08-2014 को कतिपय कमियों को इंगित करते हुए इसको निरस्त कर दिया गया। नगर निगम, बरेली द्वारा इन कमियों को दूर करते हुए इस प्राधिकार प्रमाण-पत्र को पुनः निर्गत करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपने पत्र दिनांक 29-11-2013, 28-01-2014, 07-02-2014, 07-04-2014 एवं 22-09-2014 द्वारा अनुरोध किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभी प्राधिकार प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

4-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्रमाण-पत्र न मिलने के कारण नेशलन ग्रीन ट्रब्यूनल द्वारा अपने आदेश दिनांक 30-05-2014 के द्वारा प्लान्ट को बन्द करने के भी आदेश दिये गये हैं। मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 30-05-2014 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में अपील की गई है।]

जनपद हाथरस के थाना हाथरस के ग्राम छौक में लापता श्रीमती राजबेटी के पति श्री बनी सिंह की सम्बन्धित थाने से प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री गेंदा लाल चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, उपर्युक्त विषयक माननीय सदस्य विधान सभा, श्री गेंदालाल चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[दिनांक 17-11-14 को विधान सभा सचिवालय (पटल कार्यालय) के पत्र संख्या-2152/वि0स0/प0का0/14, दिनांक 17-11-14 द्वारा केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किये जाने के निर्देश प्राप्त होने पर सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक से विस्तृत सूचना प्राप्त की गई है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपर्युक्त प्रकरण में श्री बनी सिंह निवासी ग्राम होन, थाना हाथरस के 01 माह से लापता होने एवं कथित रूप से एफ0आई0आर0 दर्ज न होने के सम्बन्ध में यह अवगतार्थ है कि दिनांक 12-11-14 को श्रीमती राजबेटी पत्नी श्री बनी सिंह निवासी-ग्राम छोंक, थाना-हाथरस जंक्शन द्वारा थाना में उपस्थित होकर अपना शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए अभियोग पंजीकृत करने का अनुरोध किया गया जिस पर थानाध्यक्ष हाथरस जंक्शन द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रश्नगत मामले में थाना हाथरस गेट पर अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही है। आप वहीं से सम्पर्क करें तभी साथ आये आगन्तुकों में से एक व्यक्ति ने मोबाइन से मा0 विधायक, श्री गेंदालाल चौधरी से वार्ता कराई तो थानाध्यक्ष हाथरस जंक्शन द्वारा मा0 विधायक जी को ससम्मान अवगत कराया कि प्रकरण में थाना हाथरस गेट पर मुकदमा पंजीकृत है तथा वहीं से कार्यवाही चल रही है। यह भी संज्ञान में लाया गया कि हाथरस जंक्शन क्षेत्र में होन नाम का कोई ग्राम नहीं है तथा दिनांक 12-11-14 को श्रीमती राजेश्वरी नामक महिला द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है बल्कि श्रीमती राजबेटी पत्नी श्री बनी सिंह निवासी ग्राम छोंक, थाना-हाथरस जंक्शन द्वारा शिकायत की गई।

दिनांक 26-09-2014 को वादी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री धरमवीर निवासी विनोद विहार कालोनी थाना-हाथरस गेट, जनपद-हाथरस ने तहरीर सूचना अंकित कराई कि उसके ट्रक 12 चक्का नं0-आर0जे0-11-जी0ए0-4664 को नगर गुजरात से लोहा स्क्रेप लादकर अलीगढ़ पहुंचना था उक्त ट्रक दिनांक 25-09-14 को समय 19:30 बजे भाड़ा लेकर मण्डी समिति हाथरस पर पहुंचा। चालक बनी सिंह पुत्र तेज सिंह निवासी छोंक, थाना हाथरस जंक्शन ने उसके मोबाइल पर पैसे के लिये कहा, तब उसने तत्काल 1500/-रु0 मण्डी समिति हाथरस में दिये तथा ट्रक मण्डी से रवाना हो गया। दिनांक 26-09-14 को जब उसने ड्राइवर बनी सिंह को फोन किया तो ड्राइवर का मोबाइल स्वीच आफ था। उसके बाद वादी ने शंकर ट्रेडर्स कम्पनी सराय कटरा तुर्कमान गेट थाना-कोतवाली अलीगढ़ जहां पर माल पहुंचना था, उसे बताया गया कि माल अभी नहीं आया है। दिनांक 26-09-14 को ट्रक आर0जे0-11-जीए-4664 फिरोजाबाद में मयमाल के मिला, किन्तु चालक बनी सिंह एवं क्नीलर तीरथ सिंह नहीं मिले उक्त तहरीर के आधार पर थाना-हाथरस गेट, जनपद हाथरस पर मु0अ0सं0-650/14 धारा-364 भादवि पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना की जा रह है। विवेचना के दौरान दिनांक 06-10-14 को थाना फतेहाबाद जनपद-आगरा पर अभियुक्त राजकुमार पुत्र स्व0 दर्शन निवासी जोहना, थाना सिविल लाइन, जनपद इटावा व अभियुक्त मारुति उर्फ सर्वेस पुत्र गंगाराम निवासी बिगौली, थाना-बाह, जनपद आगरा को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने पूछतांछ पर बताया कि उन्होंने उक्त ट्रक को लूटकर मयमाल के बेचने के लिये ट्रक क्लीनर तीरथ पुत्र छदाभी लाल निवासी नगला झुन्ना, थाना-सादाबाद, जनपद हाथरस तथा भानू उर्फ मानवेन्द्र पुत्र कमलेश जाटव निवासी-ग्राम नादऊ, थाना-खन्दौली, जनपद आगरा तथा अन्य दो व्यक्ति नाम-पता अज्ञात को उसायनी चौराहा, फिरोजाबाद पर दे दिया था जो अमित कबाड़ी शिकोहाबाद के यहां लेकर जा रहे थे कि रास्ते में पुलिस की जीप द्वारा ट्रक का पीछा किया जाना समझकर इन लोगों ने ट्रक को डबरई फिरोजाबाद पेट्रोल पम्प के पास छोड़ दिया। ट्रक मयमाल के बरामद होने के फलस्वरूप अभियोग में धारा-392, 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई है। चालक बनी सिंह के पता लगाने तथा अभियुक्त भानू उर्फ मानवेन्द्र तथा क्लीनर की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। विवेचना प्रचलित है।]

प्रदेश में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004 से 2007 में बने मार्गों के रख-रखाव हेतु बजट आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्र ''मोना'' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में 'त्वरित आर्थिक विकास योजना'.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण मार्गों का निर्माण किया गया था जिनसे लाखों की आबादी लाभान्वित होती है। त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-2007 में निर्मित की गई सड़कों का रख-रखाव/मरम्मत नहीं हो रहा है जिसके कारण ये सड़कें अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं, और जनहित में अत्यन्त यह महत्वपूर्ण मार्ग आवागमन के योग्य नहीं रह गये हैं और लगभग पूरी तरह क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं, तथा दिन-प्रतिदिन इन मार्गों की उपयोगिता कम होती जा रही है जिन निर्माण एजेंसियों/विभागों द्वारा इन मार्गों का निर्माण कराया गया है उनके पास मार्गों के रख-रखाव का कोई बजट नहीं होता है इसलिये पिछले लगातार कई वर्षों से इन मार्गों का रख-रखाव नहीं हो पा रहा है। त्वरित आर्थिक विकास येाजना के तहत बनाई गई सड़कों की मरम्मत यदि अतिशीघ्र नहीं कराई गई तो कई करोड़ की सरकारी लागत से बनाई गई ये सड़कें पूरी तरह नष्ट हो जायेंगी और सरकारी सम्पत्ति का नुकसान होगा तथा जनता के सम्मुख आवागमन की समस्या पुनः उत्पन्न हो जायेगी। शासन के निर्णय के अनुसार त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत बनाई गई सड़कों को लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरित करके इनकी पुनः विशेष मरम्मत कराई जाय जिससे इन मार्गों का अस्तित्व बना रहे और ग्रामीणांचल को जोड़ने वाले ये मार्ग एक बार पुनः नया जीवन प्राप्त कर लाखों लोगों की सेवा कर सकें। सड़कों की मरम्मत न होने के कारण जहां एक तरफ करोड़ों रुपये सरकारी सम्पत्ति नष्ट हो रही है वहीं लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है और लोगों को कुण्ठा तथा रोष है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करती हूं।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

केवल वक्तव्य

प्रदेश के समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु शासनादेश सं0-2392/23-1-2013-72 सा0/13, दिनांक 22-11-13 द्वारा उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013 प्रख्यापित की गई है, जिसमें निम्नवत् प्राविधान है :-

1-जिस विभाग द्वारा ग्राम सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जायेगा (ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को छोड़कर) उक्त मार्ग उसी विभाग के पारम्परिक स्वामित्व का माना जायेगा तथा मार्ग के अनुरक्षण का दायित्व भी उसी विभाग का होगा।

2-ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा विभागों/संस्थाओं के बजट से निर्मित ग्राम सम्पर्क मार्गों पर पंचायती राज विभाग का स्वामित्व माना जायेगा।

वित्तीय संसाधन-

1-कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग (राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्) द्वारा अपने ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण का कार्य परिषद् के वित्तीय संसाधनों से कराया जायेगा।

2-ग्राम सम्पर्क मार्गों की सामान्य मरम्मत का कार्य चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा गन्ना विकास समितियों/परिषदों के धन से ही कराया जायेगा। मार्गों के सुदृढ़ीकरण हेतु आंकलित/अनुमानित धनराशि का 20 प्रतिशत गन्ना समितियों/लाभार्थी संस्थाओं से वित्त पोषित कराया जायेगा तथा शेष 80 प्रतिशत धनराशि पूंजीगत पक्ष से राज्यांश के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

3-पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्मित ग्राम सम्पर्क मार्गों का अनुरक्षण पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से संक्रमित धनराशि से किया जायेगा।

4-लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य केन्द्रीय वित्त आयोग एवं प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय संसाधनों से कराया जायेगा।

अतः उपरोक्त 'उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013' के दृष्टिगत सम्बन्धित विभागों द्वारा ही अनुरक्षण की कार्यवाही की जायेगी।]

(राष्ट्रीय लोक दल के माननीय सदस्यगण सदन की वेल में आ गये।)

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ नहीं आप लोग अपने स्थान पर जायें। अब सब हो गया। अब लास्ट में आप वेल में आयें हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मत से स्वीकृत हुआ)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर सदन स्थगित होने से पहले एक चाहते हैं और सभी माननीय सदस्य भी ऐसा चाहते हैं कि कृपापूर्वक आज नियम-301 की सारी सूचनायें स्वीकार कर ली जायें।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा ठीक है, एक दिन ले ली थीं, यह भी ले ली जायेंगी। जाइये 301 ले लेंगे।

राष्ट्र-गान

श्री अध्यक्ष-

अब राष्ट्र-गान लिया जाता है।

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे ।
भारत भाग्य विधाता ।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा,
द्राविड़-उत्कल-बंग ।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग ।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ।
गाहे तव जय गाथा ।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता ।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 55 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 25 नवम्बर, 2014

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 06 विधान सभा (19)-23-04-2015-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।